कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66 अंक : 5 पृष्ठ : 56 मार्च 2020 मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण भारत के लिए बजट 2020-21

केंद्रीय बजट 2020-21 पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बजट 2020–21 को 'विज़न' और 'एक्शन' पर आधारित बताया। उन्होंने लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद अपने वक्तव्य में कहा कि इस बजट में जिन नए सुधारों का ऐलान किया गया है, वो देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ–साथ इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मज़बूत करने और गति देने का काम करेंगे।

रोज़गार सृजन

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट 2020 में रोज़गार सृजन के चार प्रमुख क्षेत्रों एग्रीकल्चर, इंफास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि 16 सूत्री कार्ययोजना से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में मदद मिलेगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे परंपरागत तौर–तरीकों के साथ ही बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन में मूल्य संवर्धन होगा और इससे भी युवाओं हेतु रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत युवाओं को फिश प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से बेचने और ट्रांसपोर्ट के लिए 'किसान रेल' और 'कृषि उड़ान' के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी।

बजट में युवाओं में कौशल विकास को लेकर भी नई और अभिनव पहलों का ऐलान किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आयुष्मान भारत' योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है। इस क्षेत्र में मानव–संसाधनों के विकास, चाहे वे डॉक्टर हो, नर्स हो या अटेंडेंट और साथ ही चिकित्सा उपकरण निर्माण की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं। इसे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई नए निर्णय लिए हैं।

अवसंरचना

प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी रोज़गार सृजन के काफी अवसर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 65 सौ से अधिक प्रोजेक्टस पर 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है जोकि बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर बढ़ाएगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोज़गार, तीनों क्षेत्रों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देश में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की घोषणा भारत के पर्यटन क्षेत्र को नई गति देगी और रोज़गार के भी अपार अवसर पैदा होंगे।

सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एग्ज़ाम

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग–अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। इस व्यवस्था को बदलकर, अब विविध नौकरियों के लिए– चाहे वे बैंक, रेलवे या कोई अन्य सरकारी नौकरी हो, सभी जगह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन कॉमन एग्ज़ाम के जरिए नियुक्तियां की जाएंगी।

इज़ ऑफ डूइंग एंड इज़ ऑफ लिविंग

प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बजट में एक लाख ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ियों, स्कूलों, वेलनेस सेंटरों एवं पुलिस स्टेशनों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इससे इज़ ऑफ डूइंग एंड इज़ ऑफ लिविंग में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे दूरदराज के गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये बजट आय और निवेश को बढ़ाएगा; साथ ही, इससे मांग और खपत भी बढ़ेगी और फाइनेंशियल सिस्टम और क्रेडिट फ्लो में नई स्फूर्ति आएगी; और देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही इस दशक में भविष्य की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा। ❑

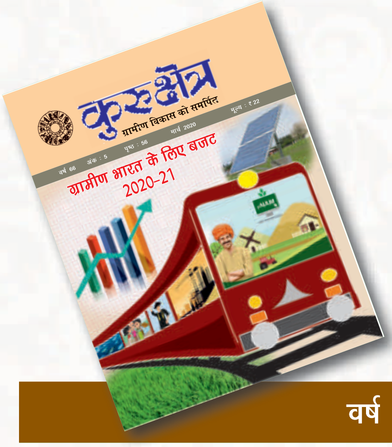

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 66 ★ मासिक अंक : 5 ★ पृष्ठ : 56 ★ फाल्गुन–चैत्र 1941 ★ मार्च 2020

प्रधान संपादक: राजेंद्र चौधरी

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : विनोद कुमार मीना

आवरण : राजेन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई–मेल : helpdesk1.dpd@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई–मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011–24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली–110003

कृषि, किसान और ग्रामीण भारत के उत्थान का बजट — नरेन्द्र सिंह तोमर — 5
बजट में ग्रामीण अवसंरचना पर ज़ोर — प्रमोद जोशी — 10
फौलादी बुनियाद रचने का दस्तावेज़ — भुवन भास्कर — 14
वित्तीय समावेशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगी मज़बूती — सतीश सिंह — 17
कृषि क्षेत्र के लिए दूरदर्शी बजट — जी. श्रीनिवासन — 22
कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी का बहीखाता — शिशिर सिन्हा — 25
कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास हेतु 16 कार्यबिंदु — --- — 28
कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता — डॉ. के. के. त्रिपाठी — 31
स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए नए कदम — डॉ. जगदीप सक्सेना — 35
व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण पुनरुत्थान — डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी — 39
युवाओं का कौशल विकास — बनश्री पुरकायस्थ — 42
ग्रामीण शिक्षा और बजट — प्रो. सतीश कुमार यादव — 47
महिला और बाल विकास एवं पोषण — डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी — 51
इंडिया/भारत 2020 का लोकार्पण — --- — 54

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी–विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं–1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र–ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	C/O (द्वारा) पीआईबी, अखंडानंद होल, द्वितीय तल, मदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079–26588669

संपादकीय

बजट 2020–21 के जरिए वर्तमान सरकार ने भारत को वर्ष 2024–25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का स्वरूप देने और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बजट 2020–21 में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान किया गया है। बजट में दीर्घकालिक प्रभाव वाले अनेक सुधारों की घोषणा की गई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ इसकी नींव मज़बूत करने का काम करेंगे। यह बजट कृषि क्षेत्र की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और ग्रामीण भारत के चतुर्दिक विकास का ब्लू प्रिंट पेश करता है। इस बजट में गांव, गरीब और किसान की समृद्धि की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि, सिंचाई और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस बजट में किसानों को 15 लाख करोड़ रुपये का संस्थागत ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज व आसान शर्तों पर ऋण की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

बजट 2020–21 को कृषि क्षेत्र में बुनियादी बदलाव के लिहाज़ से एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को संबोधित करते हुए जो 16 सूत्री कार्ययोजना पेश की है, उसके हर बिंदु पर गौर करने से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए क्या 'रोडमैप'अपनाना चाहती है। इस बजट में भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर जो बुनियादी घोषणाएं की गईं हैं, उनके नतीजे आने वाले समय में कई तरीकों से खेती की बेहतरी में सीधा योगदान करेंगे।

बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा भंडारगृहों के संबंध में है, जिसमें सरकार ने देश में मौजूद 16.2 करोड़ टन अनुमानित क्षमता के भंडारगृहों, की मैपिंग और जियो टैगिंग करने का फैसला किया है। साथ ही, बजट में **किसान रेल** और **कृषि उड़ान** शुरू करने का भी प्रस्ताव है। जहां किसान रेल देश के एक इलाके के किसानों को दूसरे इलाके तक जल्दी खराब होने वाले कृषिगत उत्पाद, जैसे दूध, मांस, मछली इत्यादि पहुंचाने का ज़रिया उपलब्ध कराएगी, वहीं 'कृषि उड़ान' के माध्यम से जनजातीय इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को देश के बड़े बाजारों से जोड़ने में सहूलियत होगी।

पिछले बजट में वित्तमंत्री ने ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का एक दिशासूचक प्रस्ताव दिया था। 2020–21 के बजट में इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पहली बार रसायनिक खादों की सब्सिडी में कटौती की शुरुआत की है। इस तरह कृषि विशेषज्ञों की खाद सब्सिडी को खत्म करने की वर्षों पुरानी मांग पर अमल करने की शुरुआत हो चुकी है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

बजट में एक तरफ बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए **एक जिला–एक उत्पाद** योजना को प्राथमिकता दी गई है। तो दूसरी तरफ, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य उत्पादक संगठनों द्वारा युवाओं को मछली पालन क्षेत्र से जोड़ा जाएगा जिससे वर्ष 2022–23 तक मछली उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने और मछलियों के निर्यात को वर्ष 2024–25 तक 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में **पीएम कुसुम योजना** को व्यापक स्वरूप देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत खेतों में सोलर यूनिट लगाकर उन्हें विद्युत ग्रिड से जोड़ा जाएगा ताकि किसान बिजली का उत्पादन करके भी लाभ कमा सकें। पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद दी जाएगी।

सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, रेल, हवाई अड्डों और मेट्रो के विकास से जुड़े बुनियादी ढांचे में अगले पांच वर्ष के दौरान 103 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। इससे बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन होगा। **भारत नेट कार्यक्रम** के तहत इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर–टू–द–होम (एफ.टी.टी.एच.) से जोड़ा जाएगा जिसके लिए 6000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार का विज़न ग्राम पंचायत–स्तर पर सभी छह सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों,सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को शीघ्र साकार करने के उद्देश्य से बजट 2020–21 में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को मज़बूत करेंगे। साथ ही, पहले से जारी कुछ कार्यक्रमों को आवश्यक वित्तीय सहायता देकर अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने का भी प्रस्ताव है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने तथा स्वच्छ पर्यावरण एवं हवा के लिए भी रचनात्मक घोषणाएं की गई हैं।

संक्षेप में, इस बजट में जहां ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं वहीं कृषि क्षेत्र हेतु कई बेहद अहम फैसले लिए गए हैं। कृषि क्षेत्र की 16 सूत्री कार्ययोजना को अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो कृषि क्षेत्र में इन प्रस्तावों के दूरगामी परिणाम तय हैं। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य; स्वच्छता और पर्यावरण क्षेत्रों में सुधार हेतु बजट आवंटन में वृद्धि से एक शिक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ भारत के निर्माण की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कृषि, किसान और ग्रामीण भारत के उत्थान का बजट

–नरेन्द्र सिंह तोमर

वर्तमान सरकार भारत को वर्ष 2024–25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का स्वरूप देने और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बजट में सीधे कोई घोषणा करने की जगह संबंधित क्षेत्रों को मज़बूत बनाने की रणनीति अपनाई गई है। कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया बजट प्रावधान अब तक का सर्वाधिक है। सरकार ने बजट में कृषि, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे के विकास के संबंध में जिन कार्य योजनाओं की घोषणा की है, उन्हें गांव, गरीब और किसान की समृद्धि के लिए सही दिशा में उठाए गए ठोस कदम कहा जा सकता है।

वर्ष 2020–21 का केंद्रीय बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है जिसमें कृषि क्षेत्र की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने, किसानों की माली हालत सुधारने और ग्रामीण भारत के चतुर्दिक विकास का स्पष्ट खाका पेश किया गया है। बजट में दीर्घकालिक प्रभाव वाले अनेक सुधारों की घोषणा की गई है जिनका उद्देश्य लघु, मध्यम और दीर्घावधि उपायों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ अधिक मज़बूत बनाना है। बजट के तीन प्रमुख घटक हैं– **महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और ज़िम्मेदार समाज।**

महत्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच कायम करने और रोज़गार के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है ताकि देश के सभी नागरिकों का जीवन–स्तर बेहतर बनाया जा सके। सभी के लिए आर्थिक विकास के तहत "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" को प्रमुख आधार बनाया गया है। बजट में भ्रष्टाचार–मुक्त, नीति निर्देशित और सक्षम शासन के साथ साफ–सुथरे और मज़बूत वित्तीय क्षेत्र की परिकल्पना साकार करने के उपाय तलाशे गए हैं। बजट में जीवन की सुगमता को तीन प्रमुख विषयों (1) कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास (2) आरोग्य, जल और स्वच्छता तथा (3) शिक्षा और कौशल के रूप में रेखांकित किया गया है।

> "बजट 2020 तीन महत्वपूर्ण विषयों के इर्द–गिर्द बना है:–
>
> एकः **महत्वाकांक्षी भारत** जिसमें समाज के सभी वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर नौकरी की सुलभता से बेहतर जीवन–स्तर चाहते हैं।
>
> दोः **सबके लिए आर्थिक विकास** जिसे प्रधानमंत्री के प्रबोधन ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' में दर्शाया गया है। इससे अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इसमें निजी क्षेत्र के लिए अधिक गुंजाइश होगी। दोनों मिलकर अधिक उत्पादकता और बेहतर क्षमता सुनिश्चित करेंगे।
>
> तीनः **हमारा संरक्षण समाज होगा** जो मानवीय और दयाभावना से भरा होगा। अन्त्योदय विश्वास का प्रतीक है।"

देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसका कारण यह है कि कृषि और इसके अनुषंगी उद्योगों में ही लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है। कृषि और अन्नदाता किसान की स्थितियों में सुधार से 70 प्रतिशत आबादी के न केवल जीवन–स्तर में बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि 'नए भारत' का स्वप्न, भी साकार हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गांव और किसान दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है और ये एक–दूसरे के पूरक भी हैं। कृषि पैदावार कितनी भी अधिक हो अगर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मज़बूत नहीं है तो किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल सकता है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय को एक साथ रखा है ताकि इनके अंतर–संबंधों को मूल में रखकर ठोस नीतियों और

बजट के मुख्य बिंदु

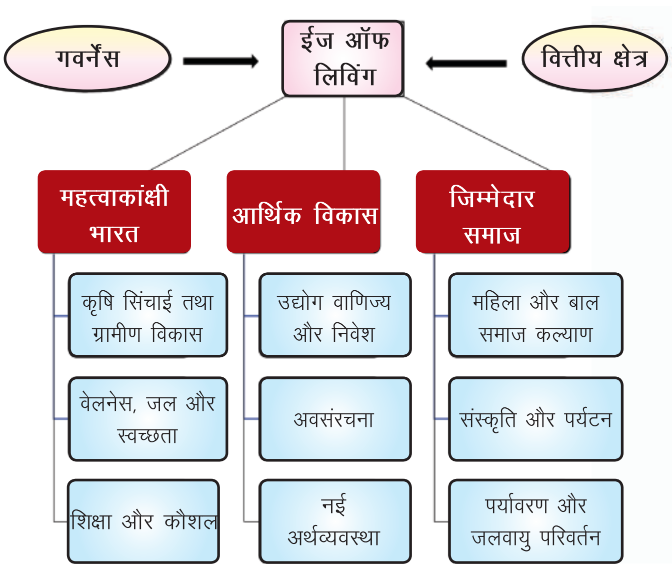

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

रणनीतियों को अमलीजामा पहनाया जा सके।

यह अत्यन्त प्रसन्नता और सुखद संतोष का विषय है कि बजट के सबसे अधिक प्रस्ताव और घोषणाएं ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण पर केंद्रित हैं। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्रीय कार्ययोजना पेश की गई है और इसके लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि, सिंचाई और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान किसानों को 15 लाख करोड़ रुपये का संस्थागत ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज व आसान शर्तों पर ऋण की ज़्यादा उपलब्धता सुनिश्चित होगी। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा तथा नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और व्यापक बनाया जाएगा। देश में गंभीर जल–संकट का सामना कर रहे 100 ज़िलों के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाएगी। इन ज़िलों में भू–जल स्तर बढ़ाने, जल–संरक्षण और जल–संचयन के उपायों पर बल दिया जाएगा।

वित्तमंत्री ने अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए **"पीएम कुसुम योजना"** को व्यापक स्वरूप देने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत खेतों में सोलर यूनिट लगाकर उन्हें विद्युत ग्रिड से जोड़ा जाएगा ताकि ये किसान बिजली का उत्पादन करके भी लाभ कमा सकें। इस योजना से वर्ष 2022 तक 25 हजार 750 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना है। पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पम्प लगाने में मदद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ग्रिड से जुड़े पंपसेटों को सौरऊर्जा चालित बनाने के लिए 15 लाख किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को अपनी परती या बंजर ज़मीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद दी जाएगी। इन सभी उपायों से साफ है कि वर्तमान सरकार भारत को वर्ष 2024–25 तक 5 ट्रिलियन (पांच लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था का स्वरूप देने और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए बजट में सीधे कोई घोषणा करने की जगह संबंधित क्षेत्रों को मज़बूत बनाने की रणनीति अपनाई गई है। कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया बजट प्रावधान अब तक का सर्वाधिक है। सरकार ने बजट में कृषि, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे के विकास के संबंध में जिन कार्ययोजनाओं की घोषणा की है, उन्हें गांव, गरीब और किसान की समृद्धि के लिए सही दिशा में उठाए गए ठोस कदम कहा जा सकता है।

सरकार ने कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के तहत **'किसान रेल'** सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए वातानुकूलित किसान मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटेड डिब्बे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं– फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, अंडे, मांस, मछली इत्यादि की लंबी दूरी की ढुलाई के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाएंगी। इसके लिए बाधारहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव किया गया है। **कृषि उड़ान योजना** की शुरुआत भी की जाएगी। इस सेवा का संचालन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर किया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र और आदिवासी इलाकों से कृषि उत्पादों को कम समय में

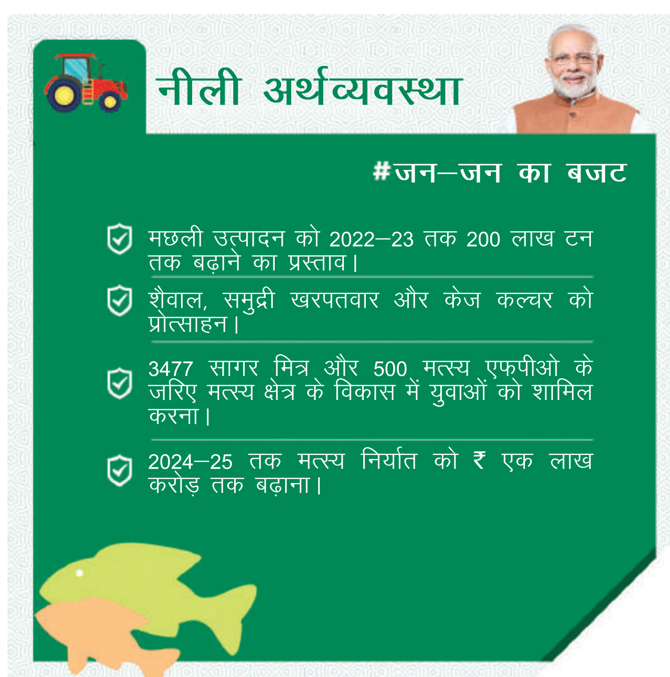

बाज़ार तक पहुंचाया जा सकेगा। फलस्वरूप, इन क्षेत्रों के किसानों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। **कृषि उड़ान** से विदेशों में भी कृषि उत्पाद बेचना संभव हो सकेगा। इस व्यवस्था से नाज़ुक और जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को बेहतर मूल्य पर बिक्री के लिए किसानों को व्यापक बाज़ार मिलेगा और उन्हें ऐसी वस्तुओं को हड़बड़ी में औने–पौने दामों पर बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

बजट में नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 2024–25 तक मछलियों के निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022–23 तक मछली उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने के लक्ष्य पर बल दिया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार 477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य उत्पादक संगठनों द्वारा युवाओं को मछली पालन क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। मछली पालन क्षेत्र को और व्यापक बनाने के लिए शैवालों एवं समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास, प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी। बजट में मछुआरों को किसान का दर्जा देने की बात कही गई है। इससे मछुआरे भी कृषि क्षेत्र को मिलने वाले सरकारी लाभों के हक़दार बन जाएंगे। इससे न केवल मछुआरों की आजीविका आकर्षक बनेगी और उनकी माली हालत सुधरेगी, बल्कि मछली पालन क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और इसका आधार मज़बूत बनेगा।

बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट में "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट" (ओ.डी.ओ.पी.) यानी **एक जिला–एक उत्पाद** योजना को तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही यह योजना चला रही है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। वित्तमंत्री ने इसे बागवानी क्षेत्र में पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। बजट में रासायनिक उर्वरकों के ज़रूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पारंपरिक जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है। जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा देने की नीति अपनाई जाएगी। जैविक खेती पोर्टल के जरिए जैविक उत्पादों के ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार को मज़बूत बनाया जाएगा। सरकार ने बजट में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की रणनीति पर बल देकर एक साथ कई लक्ष्य साधने की कोशिश की है। इससे जहां एक ओर, जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग से किसानों को कम लागत में ज्यादा लाभ मिल सकेगा, वहीं रासायनिक खादों और दवाओं के अधिक इस्तेमाल पर अंकुश भी लगेगा। इस कदम से न केवल भूमि की उपजाऊ क्षमता का संरक्षण हो सकेगा, बल्कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान उर्वरकों पर सब्सिडी की रकम लगभग 80 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

प्राकृतिक खेती को मज़बूत बनाने और वर्षा–सिंचित क्षेत्रों में

पीएम कुसुम के तहत **20 लाख** किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे	अबाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति शृंखला के लिए **''किसान रेल''** एवं **''किसान उड़ान''** की शुरुआत
वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता **दोगुनी करना**	**15 लाख करोड़ रुपये** का कृषि ऋण लक्ष्य
ई–एनडब्ल्यूआर का ई–नाम के साथ **एकीकरण**	**स्वयं सहायता समूहों** द्वारा ग्राम भंडारण योजना का शुभारंभ

एकीकृत खेती प्रणाली का विस्तार करने का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। इससे किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन मिल सकेगा। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के स्वावलंबन पर पूरा ध्यान दिया गया है और इस दृष्टि से **"धान्य लक्ष्मी योजना"** की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बीज से संबंधित योजनाओं से महिलाओं को खासतौर पर जोड़ा जाएगा। महिला किसानों को बीज की गुणवत्ता–जांच और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों को विभिन्न भंडारण योजनाओं से जोड़ने के लिए ऋण एवं वित्तीय सहायता दी जाएगी। बजट में गैर–फसल मौसम के दौरान बहु–स्तरीय फसल उगाने, मधुमक्खी पालन, सौर–पंपों तथा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।

सरकार ने किसानों के अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए हर गांव में भंडारगृह बनाने का भी फैसला किया है। इन भंडारगृहों का निर्माण सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत किया जाएगा। उत्पादों पर लॉजिस्टिक लागत कम करने के उद्देश्य से किसानों को स्वयंसहायता समूहों द्वारा संचालित भंडारण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। भंडारगृहों, शीतगृहों तथा प्रशीतन वाहन (रेफ्रिजरेटेड वैन) सुविधाओं का नक्शा नाबार्ड बनाएगा और वही उनकी जिओ–टैगिंग भी करेगा। वेयरहाउस विकास एवं नियामक प्राधिकरण भंडारगृहों की स्थापना के लिए नियम–कानून बनाएगा। ब्लॉकों और तालुक–स्तर पर सुव्यवस्थित भंडारगृह बनाने के लिए पूंजी की कमी की भरपाई की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम भी अपनी ज़मीन पर ऐसे भंडार–गृहों का निर्माण करेंगे। नेगोशियेबल वेयरहाउसिंग रिसीट पर किया जाने

अवसंरचना

- राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति शीघ्र ही शुरु की जाएगी।
- सड़कें: राजमार्गों का तेजी से विकास।
- लर्निंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण का ऑनलाइन निर्गमन।
- रेल: चार स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं।
- पीपीपी के जरिए 150 यात्री रेलगाड़ियां।
- पर्यटन स्थलों के लिए तेजस जैसी और अधिक रेलगाड़ियां।
- पत्तन: कम से कम एक बड़े पत्तन का निगमीकरण।
- हवाई अड्डे: 100 और हवाई अड्डों को 'उड़ान' योजना के अंतर्गत पुनः विकसित किया जाएगा।

विद्युत: परम्परागत ऊर्जा मीटरों के स्थान पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना।

गैस ग्रिड: राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 27,000 किमी. तक विस्तार

- अवसंरचना वित्तपोषण: 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई।
- गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी।

भारत नेट (₹ करोड़)

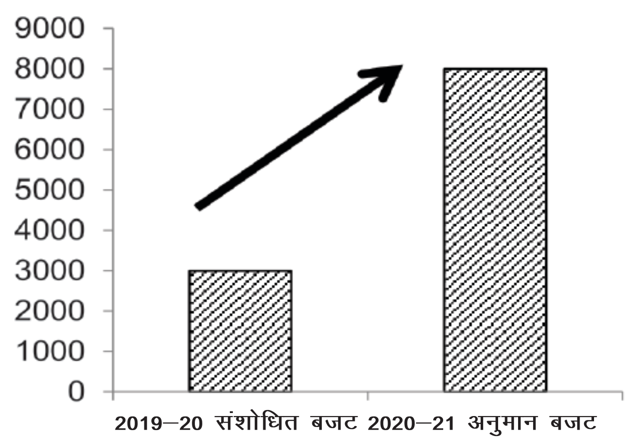

तेजी से सड़क विकास

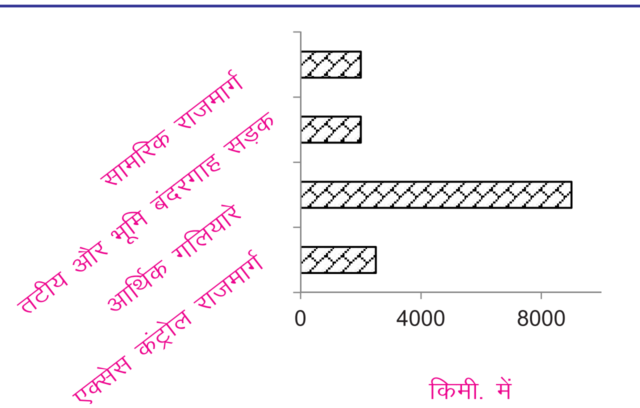

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

वाला वित्तपोषण ई–नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा। उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो कृषि उपज विपणन कानून और अनुबंध कृषि यानी ठेके पर खेती जैसे मॉडल कानून को अमल में लाएंगे।

कृषि क्षेत्र को पशुधन के रूप में एक मज़बूत कड़ी मिली हुई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पशुधन में आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आय, रोज़गार एवं पोषण में इसकी भूमिका अहम है। वर्तमान में भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध–उत्पादक देश है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास की प्रचुर संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को मौजूदा 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा। चरागाहों के विकास के लिए मनरेगा का संयोजन (कन्वर्जेंस) किया जाएगा। मवेशियों के खुरपका– मुंहपका रोग (एफएमडी) तथा भेड़–बकरियों में होने वाली पीपीआर बीमारी को वर्ष 2025 तक पूरी तरह समाप्त करने की विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। गरीबी–उन्मूलन के लिए बजट में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है।

सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, रेल, हवाई अड्डों और मेट्रो के विकास से जुड़े बुनियादी ढांचे में अगले पांच वर्ष के दौरान 103 लाख करोड़ रु. खर्च करने की घोषणा की है। इसे रोज़गार के अवसर बढ़ाने के एक बड़े उपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए। आधारभूत ढांचे के विकास और रोज़गार–सृजन के लिए 103 लाख करोड़ रुपये की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) योजना के तहत 6 हजार 500 परियोजनाओं की पहचान भी की जा चुकी है। **'उड़ान'** योजना के तहत वर्ष 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। इससे छोटे–बड़े शहर विमान सेवा से जुड़ेंगे और इन इलाकों में पर्यटन क्षेत्र का तेज़ी से विकास होगा। मौजूदा समय में देश में केवल 600 हवाई जहाज़ हैं। यह संख्या बढ़ाकर 1200 तक ले जाने की योजना है। वर्ष 2024 से पहले 6000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा और 9000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा। समुद्र–तटीय इलाकों में 2000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। पूर्वोत्तर सहित रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों में 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे का काम वर्ष 2023 तक पूरा करने और चेन्नई–बेंगलुरु एक्सप्रेस वे का काम जल्दी शुरू कराने का वायदा भी किया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से जुड़ी परियोजनाओं से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को भी नई ऊर्जा मिलेगी और बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा। वास्तव में, वर्ष 2020–21 का केंद्रीय बजट मुख्य रूप में गांवों और किसानों की समृद्धि एवं खुशहाली बढ़ाने वाला है। इनके लिए आवंटित बजट की ज़्यादातर राशि संपत्तियों के सृजन पर खर्च होगी।

मनरेगा के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह मांग–आधारित योजना है और इसमें मांग के हिसाब से ही राशि दी जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 61 हजार 815 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसे मांग बढ़ने पर संशोधित कर 71 हजार 200 करोड़ रुपये कर दिया गया। ऐसा इस उद्देश्य से किया गया कि युवाओं को उनके गांव में ही रोज़गार मिल सके और उन्हें आजीविका के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े। वर्ष 2020–21 के बजट में मनरेगा के लिए 61 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद, मांग के अनुसार जरूरत पड़ने पर संशोधित अनुमान के तहत और राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार देशभर में निजी क्षेत्र के जरिए डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए जल्द ही एक नीति लाएगी। बजट में वर्ष 2020–21 के दौरान **"भारत नेट कार्यक्रम"** के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत नेट के तहत इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर–टू–द होम (एफटीटीएच) से जोड़ा जाएगा। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने तथा स्वच्छ पर्यावरण एवं हवा के लिए भी रचनात्मक घोषणाएं की गई हैं। **स्वच्छ हवा कार्यक्रम** के लिए 4400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान एक अहम घोषणा है। पिछले बजट में इस मद में केवल 460 करोड़ रुपये का आवंटन था। इस तरह नए बजट में इस कार्यक्रम के लिए लगभग 10 गुना वृद्धि की गई है।

सरकार ने विकास को गति देने और कर प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न उपायों के साथ कर ढांचे को सरल बनाया है और व्यक्तिगत आयकर के मामले में मध्यम श्रेणी के करदाताओं को बड़ी राहत दी है। आयकरदाताओं को नई या पुरानी प्रणाली में से जो भी अधिक फायदेमंद हो, उसे अपनाने का विकल्प दिया गया है। बजट में उदारीकरण और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने और आईडीबीआई बैंक में सरकार की शेष हिस्सेदारी निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव किया गया है।

नए साल के इस पहले पूर्ण बजट में अगले 5 साल के विकास की स्पष्ट झलक है। वास्तव में, कुछ काम दीर्घकाल में परिणाम देते हैं जबकि कुछ कार्यों के परिणाम तत्काल दिखाई देने लगते हैं। सरकार की सोच, परिणामों से ज्यादा दीर्घावधि के महत्वपूर्ण कार्यों और तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने पर आधारित है।

एक समय था, जब देश की कृषि नीति का मुख्य ज़ोर उपज बढ़ाने पर केंद्रित था, लेकिन आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। अब किसान की आय दोगुनी करने के साथ उसका जीवन–स्तर उठाने और शहरी–स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात होती है। इसके लिए पारंपरिक उपज के अलावा हमारा ध्यान इस पर केंद्रित है कि किसान की फसल उन्नत हो, वह बागवानी, फलों, फूलों और सब्जियों की खेती पर ज़ोर दे, सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीक को उपयोग में लाए, उसे खाद–बीज आसानी से मिलें, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम से कम हो, कृषि उपकरणों का विकास छोटी जोत को ध्यान में रखकर किया जाए और जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए। नए वर्ष का बजट इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार देश को आगे ले जाने के लिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र के उत्थान के साथ गांवों के विकास से जुड़े सभी क्षेत्रों और पहलुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन सभी मुद्दों पर तेजी से काम कर रही है।

> **"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"** से प्रेरित गवर्नेंस में फोकस
> - निवारात्मक स्वास्थ्य देखभालः स्वच्छता और जल
> - स्वास्थ्य देखभालः आयुष्मान भारत
> - स्वच्छ ऊर्जाः उज्ज्वला और सौर ऊर्जा
> - वित्तीय समावेशन, क्रेडिट सहायता और पेंशन
> - किफायती आवासन
> - डिजिटल अभिगम्यता
>
> **स्रोत : बजट 2020–21**

वास्तव में, वित्तमंत्री ने अपने बजट के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस कथन को चरितार्थ करने की कोशिश की है कि– "भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए भारत का पहला लक्ष्य अंत्योदय का उत्थान होना चाहिए।" 'अंत्योदय' शब्द पं. दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, जिसका अर्थ है– हाशिए पर मौजूद और गरीबी का दंश झेल रहे व्यक्तियों और समुदायों के उत्थान के उपायों को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, कृषि–उत्थान और किसानों के कल्याण पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ग्रामीण और शहरी भारत के बीच असमानता की खाई अगले 5 वर्षों में पूरी तरह पाटने के ठोस उपायों को तेज़ी से लागू करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। निचले तबके की आमदनी बढ़ाने और बुनियादी संसाधन उपलब्ध कराने के उपाय समावेशी विकास का लक्ष्य पूरा करने में निश्चित रूप से मददगार होंगे। किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता, गांव के हर घर को बिजली और नल–जल उपलब्ध कराना, महिलाओं को उज्ज्वला गैस चूल्हे की सुविधा देना और ग्रामीणों के लिए पक्के आवास और शौचालय बनाना निःसंदेह ऐसे उपाय हैं, जिनसे लाचार को सशक्त बनाने का रास्ता खुला है और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है।

(लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री हैं।)

ई–मेल : **ns.tomar@sansad.nic.in**
mord.kb@gmail.com

बजट में ग्रामीण अवसंरचना पर ज़ोर

–प्रमोद जोशी

वित्तमंत्री ने बजट में जिस 'महत्वाकांक्षी भारत' का उल्लेख किया है, उसका काफी बड़ा हिस्सा गांवों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांवों के कल्याण की सभी योजनाओं स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, महिला एवं बाल विकास आदि की सफलता बेहतर सड़कों, परिवहन, स्वच्छता और आवासीय सुविधाओं के बिना संभव नहीं हैं। इसी के मद्देनज़र देश की अर्थव्यवस्था में गति लाने के अलावा अवसंरचना पर काफी ज़ोर दिया गया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार संभवतः इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में गति लाने के अलावा अवसंरचना पर काफी ज़ोर दिया गया है, पर उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। खासतौर से कृषि, सिंचाई और भंडारण यानी ग्रामीण अवसंरचना पर जितने भारी निवेश की आवश्यकता है, उतना दिखाई नहीं पड़ता है। वित्तमंत्री ने कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर केंद्रित 16 बिंदुओं का उल्लेख अपने भाषण में किया है, पर इनसे संबद्ध मदों पर जो धनराशि आबंटित की है, उसमें बहुत इज़ाफा नहीं है। गत 31 दिसंबर को वित्तमंत्री ने अगले पांच वर्ष में अवसंरचना पर 103 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह आशा व्यक्त की गई है कि इस निवेश में निजी क्षेत्र की भी भूमिका होगी, पर इसमें पहल सरकार को ही करनी होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि यह अवसंरचना ग्रामीण क्षेत्र से भी होकर गुज़रेगी।

ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकारों के सहयोग से देश के गांवों में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संचालित करता है। 2020–21 के केंद्रीय बजट में इसके लिए 1,20,147,91 रुपये का आबंटन किया गया है, जबकि 2019–20 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 1,22,649.00 करोड़ रुपये थी। यह विभाग गांवों में महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों की सहायता करता है, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कों समेत ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े तमाम कार्यक्रमों को चलाता है। उसके बजट में वृद्धि की उम्मीद की जा रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। इस साल के बजट के हालांकि दूसरे कार्यक्रमों में मामूली वृद्धि हुई है, पर मनरेगा कार्यक्रम में 2019–20 के संशोधित अनुमान 71,001 करोड़ की तुलना में 2020–21 के बजट में 61,500 करोड़ की धनराशि रखी गई है।

वित्तमंत्री ने बजट में जिस 'महत्वाकांक्षी भारत' का उल्लेख किया है, उसका काफी बड़ा हिस्सा गांवों में निवास करता है। ग्रामीण अवसंरचना काफी हद तक राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है। इसीलिए नीति आयोग ने सामाजिक कल्याण के विविध क्षेत्रों में राज्य सरकारों के मूल्यांकन का काम भी शुरू किया है। इस काम में भारी निवेश की जरूरत होती है और उसका लाभ मिलने में बरसों लगते हैं। इसका संदर्भ आवास, सड़कों, परिवहन, यातायात, बिजली और भंडारागारों, अस्पतालों और स्कूलों की इमारतों से है। बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था में गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने और पंचायतों के डिजिटलीकरण पर निवेश की जरूरत है।

भारत में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की बड़ी भूमिका है। हालांकि महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी

प्रमुख योजनाओं हेतु बजट आवंटन

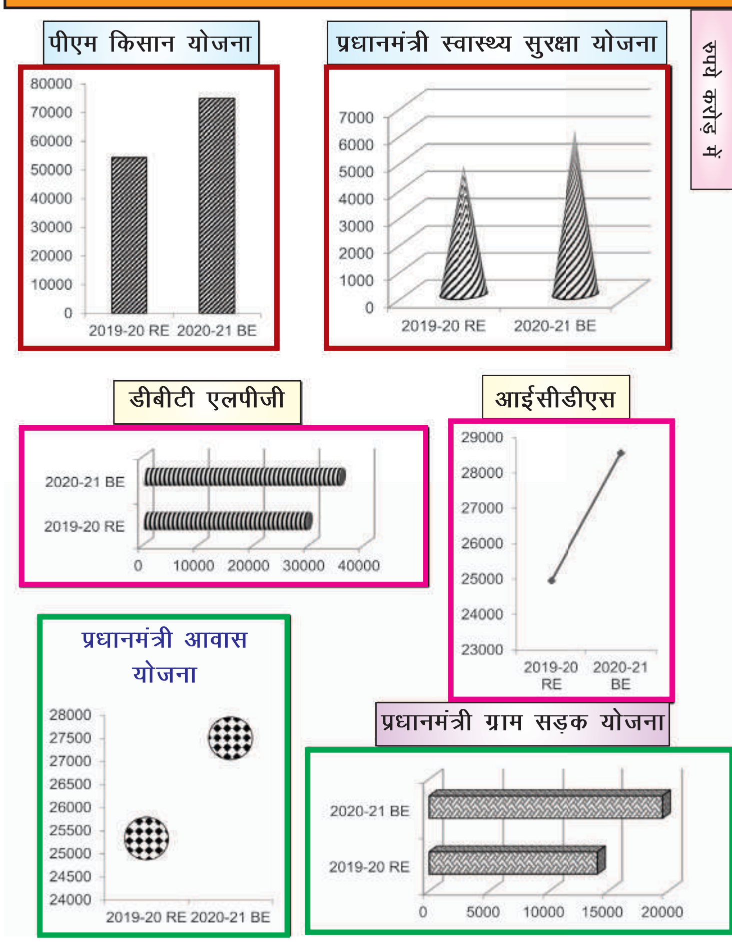

*BE– बजट अनुमान RE– संशोधित अनुमान

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

(मनरेगा) योजना वर्ष 2006 से प्रभावी हुई, पर उसके क्रियान्वयन से जुड़ी कई तरह की शिकायतें थीं। वर्ष 2015 में इसके साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ने के बाद इसके क्रियान्वयन में कुशलता आती चली गई है। दूसरी बातों के साथ–साथ इसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन को सम्मिलित किया गया और इसे आधार संबद्ध भुगतान (एएलपी) से जोड़ दिया गया। इस प्रकार जन–धन, आधार और मोबाइल फोन की 'त्रय' शक्ति ने काम को आसान और बेहतर बना दिया।

राष्ट्रीय अवसंरचना

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में देश की अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही थी। इसके बाद एक कार्यबल बनाया गया था, जिसने 102 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की पहचान की है। पिछले साल के अंतिम दिन केंद्र सरकार ने 103 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) की घोषणा की। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 6500 से अधिक योजनाओं पर काम चल रहा है। ये योजनाएं केवल शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका काफी असर ग्रामीण विकास पर भी पड़ेगा। मसलन गांव के पास से एक राजमार्ग का गुज़रना कई प्रकार के रोज़गारों को जन्म देता है। चीन के वृहद् आर्थिक विकास के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसके भारी निवेश का हाथ है। वित्तमंत्री ने कहा, राजमार्गों के विकास के अंतर्गत 2500 किलोमीटर लंबे अभिगम नियंत्रण एक्सप्रेस वे, 9000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारों, 2000 किलोमीटर लंबे तटीय राजमार्ग और 2000 किलोमीटर के नीतिबद्ध (स्ट्रैटेजिक) राजमार्गों को विकसित किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को 2030 तक प्राप्त करने में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को बार–बार दोहराया है। इसके लिए भी ग्रामीण अवसंरचना का विकास जरूरी है क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलता बेहतर सड़कों, परिवहन, स्वच्छता और आवासीय सुविधाओं के बगैर सम्भव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली को दूर करने और सन 2015–16 को आधार वर्ष मान कर 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने तीन फोकस क्षेत्र तय किए हैं। ये हैं– कृषि ऋण, फसल बीमा और सिंचाई सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच को बढ़ाना। इस सिलसिले में नकद लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि बटाई पर काम करने वालों और महिलाओं के मामलों में लाभार्थियों की पहचान करना आसान नहीं है। इस काम को आसान करने के लिए वित्तमंत्री ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे तीन आदर्श कानूनों को अपनाएं।

सौर ऊर्जा पर ज़ोर

भारत की सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण भारत की सामाजिक और भौतिक अवसंरचना की दयनीय दशा है, जिनके कारण एक भारी बेरोज़गारी और पलायन है। वित्तमंत्री ने 2020–21 के बजट में

महत्वपूर्ण योजनाओं को आवंटन

(₹ करोड़)

क्र. सं.	योजना का नाम	ब.अ. 19–20	सं.अ. 19–20	ब.अ. 20–21
1.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9,200	9,200	9,197
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम	60,000	71,002	61,500
3.	राष्ट्रीय गंगा योजना	750	353	800
4.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000	14,070	19,500
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	25,853	25,328	27,500
6.	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	10,001	10,001	11,500
7.	स्वच्छ भारत मिशन	12,644	9,638	12,294
8.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	33,651	34,290	34,115
9.	पीएमजेएवाई–आयुष्मान भारत	6,556	3,314	6,429
10.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान)	75,000	54,370	75,000
11.	दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन–आजीविका	9,774	9,774	10,005
12.	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	4,000	4,733	6,020
13.	अम्ब्रैला एकीकृत बाल विकास योजना	27,584	24,955	28,557
14.	स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	11,000	9,912	11,000

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

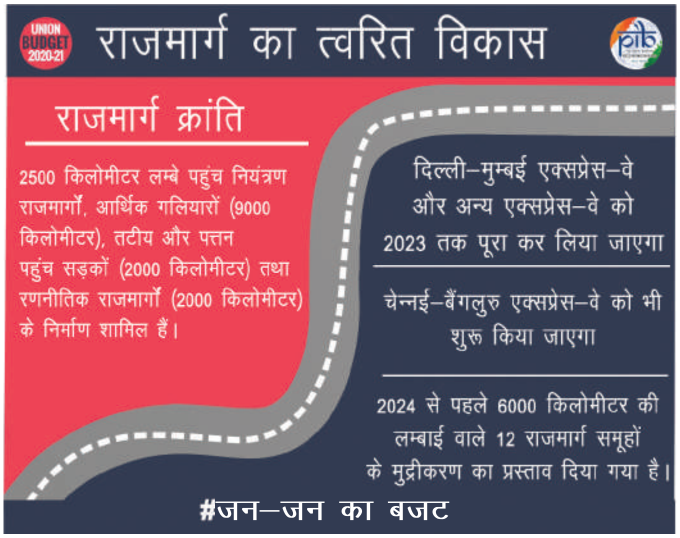

कृषि अवसंरचना, खासतौर से सिंचाई को बेहतर बनाने के उपायों पर जोर दिया है। इसमें पानी की समस्या से जूझ रहे 100 गांवों के करीब 20 लाख किसानों के लिए एक योजना की घोषणा की गई है। ये किसान सौर ऊर्जा से अपने पंप सेट जोड़ सकेंगे। इसी तरह 15 लाख किसानों के ग्रिड से जुड़े पंपसेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का कार्यक्रम भी बनाया गया है।

इस बजट में गांवों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर काफी ज़ोर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान (पीएम–कुसुम) स्कीम नाम से यह कार्यक्रम नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है। विभाग ने खाना पकाने की गैस के लिए एक लाख बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का कार्यक्रम भी बनाया है। पीएम–कुसुम के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े और ग्रिड से बाहर के लिए क्रमशः 2150 और 700 करोड़ रुपये के बजट का आबंटन किया गया है।

डिजिटल कनेक्टिविटी

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, हमारा विज़न पंचायत–स्तर पर सभी छह सार्वजनिक संस्थानों–आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसलिए भारतनेट के माध्यम से फाइबर टु होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों से इस वर्ष एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। भारतनेट कार्यक्रम के लिए बजट में 6000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत नागरिकों को खासतौर से डिजिटल भुगतान के लिए कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस संचालित करने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का बजट भी 2019–20 के संशोधित अनुमान 3212.52 से बढ़ाकर 3958 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके तहत डिजिटल प्रशासन के काम भी आते हैं।

ग्राम भंडारण और परिवहन

बजट में अन्न भंडारण की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है। देश में इस समय 16.2 करोड़ टन की कृषि भंडारण, कोल्ड स्टोरेज क्षमता है। वित्तमंत्री ने अब ब्लॉक और तालुका–स्तर पर पब्लिक–प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर भंडारागार बनाने का प्रस्ताव किया है। इन्हें भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) के मापदंडों के आधार पर बनाया जाएगा। वित्तमंत्री ने ग्राम पंचायतों में जिस 'ग्राम भंडारण' योजना का उल्लेख किया है, उनका संचालन महिलाओं के स्वयंसेवी समूह करेंगे। इस कदम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण होगा, पर बजट में इस मद में किसी अतिरिक्त राशि का उल्लेख नहीं है।

इस स्कीम से करीब एक लाख पंचायतों में खाद्य सामग्री के स्टोरेज की व्यवस्था बनेगी। इसके साथ ही यह योजना महिलाओं को रोज़गार भी देगी। महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सहायता दी जाएगी। दूसरी तरफ, मुद्रा योजना के लिए बजट में 510 करोड़ रुपये के आबंटन में इस साल कोई वृद्धि नहीं हुई है।

ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन एक बड़ी समस्या है। वित्तमंत्री ने बजट में दो स्कीमों का उल्लेख किया है। ये हैं– किसान रेल और कृषि उड़ान। ये सेवाएं खराब होने वाली वस्तुओं को जल्द बाजार में पहुंचाने में मददगार होंगी। इनमें मछली, डेयरी उत्पाद, फल और सब्जियां शामिल हैं। जनजातीय जिलों और पूर्वोत्तर के बागवानी उत्पादों के लिए भी यह मददगार होंगी। 'कृषि उड़ान' के लिए बजट में कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह सेवा तत्काल शुरू नहीं हो रही है। रेल मंत्रालय ने 'किसान रेल सेवा' पीपीपी मॉडल पर शुरू की है, जिसमें खराब होने वाली सामग्री के लिए राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन बनाई गई है। अलबत्ता रेल मंत्रालय के अधीन बजट में पीपीपी पर सकल परिव्यय 2019–20 के संशोधित अनुमानों 28,100 करोड़ रुपये से घटकर 2020–21 के बजट में 25,292 करोड़ रुपये हो गया है।

ग्रामीण सड़कें और आवास

मनरेगा और दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम) के अलावा भारत सरकार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दो अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर काम कर रही है। ये हैं– प्रधानमंत्री

डिजिटल क्रांति

डीबीटी अपनाना
- 2018–19 के दौरान 7 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए।

अगला कदम
- डिजिटल गवर्नेंस
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार
- आपदा समुत्थान
- पेंशन और बीमा अभिगम्यता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)। इस बजट में दोनों कार्यक्रमों हेतु 19,500 करोड़ रुपये की अलग–अलग धनराशि रखी गई है। ये दोनों कार्यक्रम गरीबी निवारण, रोज़गार निर्माण और ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण का काम भी करते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लक्ष्य वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में, आवास–वंचित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का है। 1 अप्रैल, 2016 से शुरू हुई इस योजना के तहत 2.95 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है। 2016–17 से 2018–19 की तीन वर्ष की अवधि में एक करोड़ आवास बनाने का दावा किया गया है। शेष 1.95 करोड़ आवास अब बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2020 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को केंद्र सरकार मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मकान का निर्माण करने के लिए 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

पिछले वर्ष जुलाई में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना–3 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए इस बजट में 19,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि 2019–20 का संशोधित अनुमान 14,070 करोड़ रुपये का है। अलबत्ता पिछले बजट में यह धनराशि 19,000 करोड़ रुपये थी। बजट पत्र के अनुसार सन 2000 से अब तक इस योजना में 1,67,152 बसावटों को इन सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी दी गई है। पीएमजीएसवाई–3 के तहत नौ राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के 44 जिलों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया। इय योजना

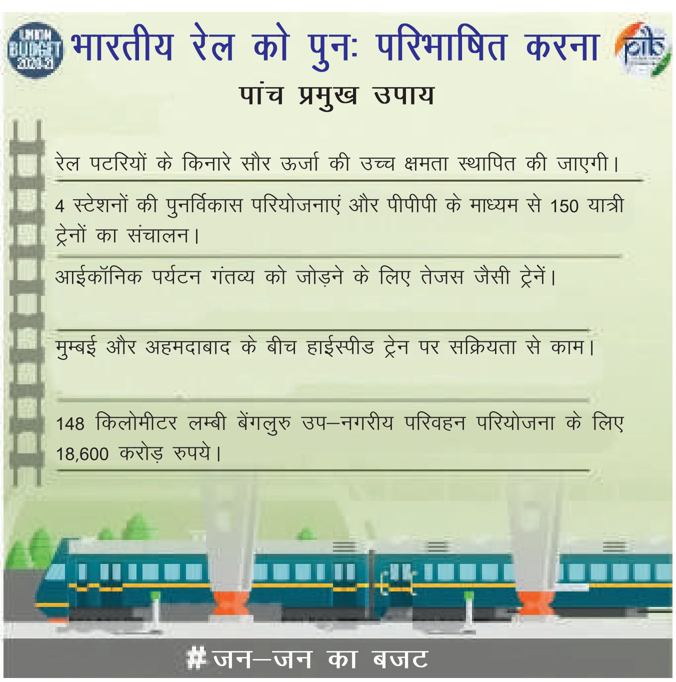

> “हमारा विज़न है ग्राम पंचायत–स्तर पर सभी 6 सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसलिए, भारतनेट के माध्यम से फाइबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों से इस वर्ष 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। 2020–21 में भारतनेट कार्यक्रम को 6000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है।”
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

के तहत 6,08,899 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य कर लिया गया है। इस साल इसके तहत 13 राज्यों को लक्षित किया जा रहा है।

सड़कों का विस्तार बाजारों को व्यक्तियों से जोड़ता है। ग्राहकों के पास चुनने के लिए ज्यादा वस्तुएं होती हैं। इसी तरह उत्पादक के पास अपना माल बाहर ले जाकर बेचने के बेहतर मौके होते हैं; परिवहन लागत घटती है। इसके अलावा, लोगों के बीच संपर्क बढ़ने से सूचना का आदान–प्रदान भी बेहतर होता है; लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों का प्रसार होता है; नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। सड़कें गांवों से शहरों की ओर ले जाती हैं यानी पलायन बढ़ाती हैं। पर सड़कें लोगों को पलायन से रोक भी सकती हैं। अपने घर में रोज़गार हो तो कोई बाहर क्यों जाएगा?

ऐसे सर्वेक्षणों की जरूरत है, जिनसे पता लगे कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण का सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होती है। सन 2001 से 2010 के बीच पीएमजीएसवाई के कारण देश के तकरीबन 11 करोड़ लोगों को बेहतर रास्ते मिले। यह संख्या देश की कुल ग्रामीण आबादी का 14.5 फीसदी है। सड़कों के बनने से सबसे बड़ा प्रभाव परिवहन लागत में कमी के रूप में आता है। गैर–खेतिहर मजदूरी बढ़ने से गांव की आय बढ़ती है, जिससे उपभोग भी बढ़ता है। शहरी बैंकिंग, बीमा और ऋण सेवाएं भी कमोबेश गांव तक आती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा भी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कई तरह के कार्यक्रमों के अधीन होता है। इसमें महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना, एमपीएलडी (संसद सदस्यों हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास योजना), आपदा राहत तथा अन्य स्थानीय कार्यक्रम जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के मुकाबले इनमें स्थानीय एजेंसियों की भूमिका ज्यादा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : pjoshi23@gmail.com

फौलादी बुनियाद रचने का दस्तावेज़

–भुवन भास्कर

वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को संबोधित करते हुए 16 सूत्रीय एजेंडा पेश किया है, जिसके हर बिंदु को यदि ध्यान से देखा जाए, तो साफ हो जाएगा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए क्या रोडमैप अपनाना चाहती है। इस बजट में भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर जो बुनियादी घोषणाएं की गईं हैं, उनके नतीजे आने वाले समय में कई तरीकों से खेती की बेहतरी में सीधा योगदान करेंगे।

मोदी सरकार के छठे वर्ष में 2020–21 का आम बजट शायद पहला ऐसा बजट था जब उद्योग, टैक्स जैसे विषय खेती–किसानी से जुड़े मसलों पर भारी रहने की संभावना थी क्योंकि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सामने वृहत्तर आर्थिक चुनौतियां ज्यादा अभिव्यक्त रूप में नजर आ रही थीं। लेकिन जब वित्तमंत्री ने लगभग पौने 3 घंटे का अपना बजट भाषण समाप्त किया, तो एक बार फिर यह साबित हो गया कि मोदी सरकार के लिए आर्थिक प्रगति और विकास की राह भारत के गांवों से होकर ही जाती है और मीडिया या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां चाहे जो भी मानक तय करें, सरकार की दृष्टि अपने लक्ष्य और उसे हासिल करने को लेकर बिलकुल साफ है।

वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को संबोधित करते हुए 16 सूत्रीय एजेंडा पेश किया है, जिसके हर बिंदु को यदि ध्यान से देखा जाए, तो साफ हो जाएगा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए क्या रोडमैप अपनाना चाहती है। इस बजट में भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर जो बुनियादी घोषणाएं की गईं हैं, उनके नतीजे आने वाले समय में कई तरीकों से खेती की बेहतरी में सीधा योगदान करेंगे। बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा वेयरहाउसिंग के संबंध में आई है, जिसमें सरकार ने देश में मौजूद 16.2 करोड़ टन अनुमानित क्षमता के भंडारगृहों (वेयरहाउस) की मैपिंग और जियो टैगिंग करने का फैसला किया है। वेयरहाउस की मैपिंग और जियो टैगिंग होने से पहली बात तो यह होगी कि सरकार को हर वक्त यह पता रहेगा कि देश के किस हिस्से में किस व्यापारी के पास कौन–सी कमोडिटी किस मात्रा में मौजूद है। यह अकेली ऐसी जानकारी है, जिसके बूते देश के पूरे कृषि बाजार का कायाकल्प हो सकता है। इस जानकारी के आधार पर देश के अलग–अलग हिस्सों में हर कमोडिटी की मांग और आपूर्ति के संतुलन पर हमेशा नज़र रखी जा सकेगी और साथ ही किसानों के लिए अगले सीज़न की बुवाई के लिए एडवाइज़री भी जारी की जा सकेगी। कमोडिटी की देशव्यापी आपूर्ति की जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध रहने के कारण मूल्य निर्धारण में वायदा बाजारों की सक्षमता और बढ़ेगी, जिससे देश का कृषि बाज़ार किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद बनेगा। कमोडिटी की कालाबाज़ारी और जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा और मांग के लिहाज से आपूर्ति को नियंत्रित व विनियमित किया जा सकेगा।

मौजूदा वेयरहाउस को विनियमित करने के अलावा सरकार ने नई क्षमता जोड़ने के बारे में भी अपना इरादा साफ किया है। निर्मला सीतारमण ने नई भंडार क्षमता जोड़ने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) की ज़मीनों को इस्तेमाल में लाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही, उन्होंने ब्लॉक और तालुक–स्तर पर नए गोदाम बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल अपनाए जाने का भी प्रस्ताव किया, जिसके तहत राज्य ज़मीन का प्रबंध करेंगे।

हालांकि भारत में वेयरहाउसिंग की समस्या केवल क्षमता की नहीं है, बल्कि गुणवत्ता की भी है। हमारे देश में ज्यादातर भंडारण

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

पीएम कुसुम में स्टैण्ड अलोन सोलर पंप हेतु 20 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा और ग्रिड से जुड़े पंपों के लिए 15 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा।

- पीपीपी मोड पर कार्यक्षम वेयरहाउस के सृजन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
- एमएचजी द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम भंडार स्कीम का शुभारंभ
- ई–एनडब्ल्यूआर का ई–नाम के साथ एकीकरण

खराब होने वाली वस्तुओं के लिए अबाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारतीय रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्रमशः "किसान रेल" और "कृषि उड़ान" की शुरुआत

- 2025 तक मवेशियों में एफएमडी तथा ब्रूसेलोसिस तथा भेंड़ और बकरियों में पीपीआर को समाप्त करना।
- कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना।
- 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दुगुना करना।
- 2020–21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य।

- 2022–23 तक 20 लाख टन का मत्स्य उत्पादन।
- 45000 एकड़ जल कृषि को सहायता
- 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य एफपीओ के माध्यम से मत्स्यपालन का विस्तार।
- 2024–25 तक मत्स्य निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करना।

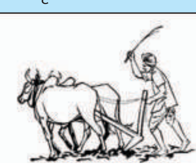

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

क्षमता सरकारी नियामक के दायरे से बाहर है। ऐसी स्थिति में गोदामों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर पाना लगभग असंभव होता है। जब तक हमारे देश के गोदाम सही तकनीकी मानकों पर नहीं बनेंगे, जिनमें सही मात्रा में हवा, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था हो और बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उनमें रखी उपज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, तब तक हम खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को सही मायनों में हासिल करने से दूर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, नियामक वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) से विनियमित वेयरहाउस के लिए दवाओं के प्रयोग, फ्यूमिगेशन, चूहों–कीटों से बचाव इत्यादि के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तय है, जिसका पालन नहीं करने के कारण एक ओर तो खाद्यान्न नष्ट होते हैं, दूसरी ओर उनमें अनियंत्रित ज़हरीली दवाओं और स्प्रे के कारण उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी संकट भी पैदा होते हैं।

बजट में वित्तमंत्री ने इस दिशा में रोडमैप पेश करते हुए कहा कि आने वाले महीनों में डब्ल्यूडीआरए के मानकों के आधार पर और भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी। हालांकि उन्होंने 2007 के उस अधिनियम में बदलाव का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है, जिसके आधार पर डब्ल्यूडीआरए का गठन किया गया था। इस अधिनियम के मुताबिक केवल उन्हीं वेयरहाउस के लिए डब्ल्यूडीआरए का पंजीकरण आवश्यक है, जो निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट (एनडब्ल्यूआर) जारी करना चाहते हैं। ऐसे में नए गोदामों को डब्ल्यूडीआरए के दायरे में लाने के लिए अधिनियम में संशोधन एक अनिवार्य शर्त है। यह संशोधन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कृषि कमोडिटी का रखरखाव एक बहुत संवेदनशील और तकनीकी विषय है।

ब्लॉक और तालुक–स्तर पर बनने वाले गोदामों को बैकवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए बजट में स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से गांव–स्तर पर गोदाम तैयार करवाने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए समूहों को मुद्रा लोन और नाबार्ड से वित्तीय सहायता मिलेगी। इस एक कदम से किसानों की कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। एक ओर तो किसान अपने माल का भंडारण कर सही समय पर उसे बेचने की क्षमता हासिल कर सकेंगे और दूसरी ओर, यदि इन गोदामों को डब्ल्यूडीआरए के तहत लाया जा सके, तो किसानों को गोदामों में रखी अपनी उपज के ऊपर बैंकों से कर्ज़ भी हासिल हो सकेगा और वे कटाई के सीज़न में मजबूरी की बिक्री (डिस्ट्रेस सेलिंग) से बच सकेंगे।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि 2017 में लांच इलेक्ट्रॉनिक एनडब्ल्यूआर के आधार पर मिलने वाला कर्ज़ 6000 करोड़ रुपये को पार कर चुका है और अब सरकार इसे इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) के साथ जोड़ने जा रही है। ई–नाम से ईएनडब्ल्यूआर के जुड़ने का सीधा असर यह होगा कि ई–नाम नेटवर्क वाली 585 मंडियों में आने वाले किसानों को अपनी उपज के ऊपर बैंक कर्ज़ उपलब्ध होने लगेगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का समय निर्धारित करने की सहूलियत मिल सकेगी, जब उन्हें अधिकतम भाव हासिल हो सके।

> जब 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी तब अवसंरचना में निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। मैं यह भी सूचित करना चाहूंगी कि अवसंरचना परियोजना की सहायता के रूप में लगभग 22,000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह आईआईएफसीएल तथा एनआईआईएफ की सहायक कंपनी जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों को इक्विटी सहायता की पूर्ति करेगी। वे इसका उपयोग, यथा अनुमेय, 1,00,000 करोड़ से अधिक की वित्तपोषण परियोजना के सृजन के लिए करेंगे। इससे अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक ऋण के एक बड़े स्रोत का सृजन होगा और एक बहुप्रतीक्षित अनिवार्यता पूर्ण होगी।
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

नए वेयरहाउस के निर्माण और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने से जुड़ी घोषणाओं के साथ ही बजट में **'किसान रेल'** और **'कृषि उड़ान'** शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। जहां **किसान रेल** देश के एक इलाके के किसानों को दूसरे इलाके तक जल्दी खराब होने वाले कृषिगत उत्पाद, जैसे दूध, मांस, मछली इत्यादि पहुंचाने का जरिया उपलब्ध कराएगी, वहीं **कृषि उड़ान** के माध्यम से जनजातीय इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को देश के बड़े बाजारों से जोड़ने में सहूलियत होगी। यहां एक बात उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019–20 के मुकाबले कृषि बजट में महज 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसे लेकर कई विशेषज्ञों ने नाखुशी ज़ाहिर की है और 16–सूत्री एजेंडे के क्रियान्वयन को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल भी उठाए गए हैं। लेकिन यदि बजट घोषणाओं के वित्तीय प्रबंधन को ध्यान से देखें तो आसानी से समझा जा सकता है कि वित्तमंत्री सीतारमन ने जो प्रस्ताव किए हैं उनमें पूंजी के मुकाबले योजनागत दिशा की आवश्यकता ज़्यादा है। जैसे, वेयरहाउस निर्माण के लिए ज़मीन के प्रबंध के लिए जहां एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी तय की गई है, वहीं निर्माण लागत का इंतज़ाम करने के लिए मुद्रा लोन, नाबार्ड और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भरोसा जताया गया है। किसान रेल जहां रेल मंत्रालय के अंतर्गत होगी, वहीं कृषि उड़ान की ज़िम्मेदारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की होगी। इस तरह एक कुशल वित्तीय प्रबंधन के ज़रिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर किसी तरह के संदेह का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

बजट 2019–20 में सरकार ने अगले 5 साल में दस हजार किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) तैयार करने की घोषणा की

थी। इस साल बजट में उसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नाबार्ड की ओर से 3 साल में एक एफपीसी को 9 लाख रुपये और एसएफएसी (स्मॉल फार्मर्स एग्रोबिजनेस कंसोर्शियम) की ओर से इसी अवधि में दी जाने वाली 27 लाख रुपये की सहायता राशि को देखते हुए समझा जा सकता है कि 500 करोड़ रुपये की रकम काफी बड़ी है और इससे इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इन एफपीसी को उसी कंपनी अधिनियम में रजिस्टर होना होता है, जिसमें कोई भी दूसरी कंपनी होती है। उन पर भी ऑडिट से लेकर जीएसटी के वे तमाम नियम–कानून उसी तरह लागू होते हैं, जिस तरह किसी भी दूसरी कंपनी पर लागू होते हैं। ऐसे में काला धन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लागू कई नियमों के अनुपालन के कारण एफपीसी का कामकाजी खर्च बहुत बढ़ गया है। साथ ही, किसानों की कंपनियों से यह उम्मीद करते हुए 3 साल के बाद उन्हें अपने दम पर छोड़ देना कि इतनी अवधि में वे बिजनेस के दाव–पेंच में निपुण हो चुके होंगे, एफपीसी के विकास में सबसे बड़ी बाधा है और संख्या का लक्ष्य हासिल करने के अलावा यदि सरकार एफपीसी का वास्तविक प्रभाव कृषि क्षेत्र और छोटे व सीमांत किसानों को दिलाना चाहती है, तो उसे उनकी वित्तीय सहायता से लेकर वैधानिक जरूरतों में छूट देने तक कुछ कदम तुरंत उठाने की आवश्यकता है। फिर भी, इतना तो अवश्य है कि 500 करोड़ रुपये की आवंटित राशि एफपीसी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खासतौर पर मत्स्य उत्पादन को 2022–23 तक 200 लाख टन करने के उद्देश्य से किसानों की कंपनी तैयार करने में इससे काफी मदद मिलेगी।

पिछले बजट में वित्तमंत्री ने ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का एक दिशासूचक प्रस्ताव दिया था। 2020–21 के दौरान जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पहली बार इस बजट में रासायनिक खादों की सब्सिडी में कटौती की शुरुआत की है। चालू साल के लिए आवंटित 79,996 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी को आने वाले साल में 10.8 प्रतिशत कम कर 71,309 करोड़ रुपये पर लाया गया है। साफ है कि कृषि विशेषज्ञों की खाद सब्सिडी को खत्म करने की वर्षों पुरानी मांग पर अमल करने की शुरुआत हो चुकी है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे सस्ती यूरिया के लोभ में उसके अतिशय प्रयोग की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जिससे एक ओर तो मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा और दूसरी ओर जैविक खाद मूल्य प्रतियोगिता में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। खाद्य सब्सिडी के मद में भी करीब 70,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है और यह चालू साल के 1,84,220 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष में 1,15,570 करोड़ रुपये रखा गया है। केवल इन दो सब्सिडी से बचाई गई करीब 78,000 करोड़ रुपये की रकम यदि बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च हो, तो सरकार के 16–सूत्री कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाने में कोई अड़चन नहीं आएगी।

अमूमन जब भी देश के जल संकट की चर्चा होती है, तो उसमें ज्यादातर फोकस पीने के पानी पर ही होता है। लेकिन कम लोगों को अंदाज़ा है कि पूरे देश में भूजल संकट के कारण कृषि सबसे गंभीर मुश्किल से गुजर रही है। यह संकट तीन प्रकार का है– पहला, जहां पानी 500 फीट से ज्यादा नीचे चला गया है और साल–दो साल या 5 साल में पूरी तरह सूखने वाला है; दूसरा, जहां पानी है, लेकिन खारा होने की वजह से खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और तीसरा, जहां रासायनिक खादों के अतिशय प्रयोग के कारण मिट्टी की ऊपरी परत के नीचे एक ठोस रासायनिक परत जम गई है, जिसके कारण बारिश का पानी भूजल में नहीं मिल पाता और बह कर या तो मिट्टी काटता है, या फिर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा करता है। यह काफी उम्मीदपरक बात है कि बजट 2020–21 में निर्मला सीतारमन ने पहली बार इस समस्या पर सीधे ध्यान दिया है। वित्तमंत्री ने प्रस्ताव किया है कि जल संकट से सबसे ज्यादा ग्रस्त 100 जिलों की पहचान की जाएगी और वहां स्थितियों को संभालने–सुधारने के उद्देश्य से कदम उठाए जाएंगे।

हॉर्टिकल्चर के किसानों के लिए बाज़ार हमेशा बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि उनके उत्पाद बहुत जल्दी खराब होने वाले होते हैं। छोटा किसान अपने थोड़े से उत्पाद को आढ़तियों और बिचौलियों के तय भाव पर बेचने के लिए मजबूर होता है क्योंकि उसके पास अपने उत्पाद को रोकने का विकल्प नहीं होता। इसलिए देशभर में अलग–अलग हॉर्टिकल्चर उत्पादों के केंद्र बनाने के उद्देश्य से बजट में **'एक ज़िला, एक उत्पाद'** की योजना का प्रस्ताव किया गया है। जब एक पूरा जिला किसी एक उत्पाद का केंद्र बन जाएगा, तो वहां उस उत्पाद के किसानों की कंपनी बनाना आसान होगा। इससे किसानों के पास अपने उत्पाद का सौदा करने के लिए एक बड़ा वॉल्यूम होगा और वे बड़े खरीदारों से बराबरी के आधार पर मोलभाव कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकार और उद्योग जगत को जब पता होगा कि अमुक ज़िला किसी खास फल का केंद्र है, तो वहां उस खास फल की प्रकृति के लिहाज से कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग लाइन इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे विकसित किए जा सकेंगे और उनके निर्यात को भी बढ़ावा मिल सकेगा। ये सभी बातें सीधे तौर पर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करेंगी।

यानी साफतौर पर बजट 2020–21 कृषि क्षेत्र में ऐसे बुनियादी बदलाव करने के लिहाज से एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिनमें भारतीय कृषि को दशकों आगे ले जाने की कुव्वत है। चुनौती दो मोर्चों पर है, एक कार्यान्वयन और दूसरा किसानों के बीच इनके प्रति जागरूकता। यदि सरकार इन दोनों मोर्चों पर अपेक्षित नतीजे हासिल कर सकी, तो इन प्रस्तावों के दूरगामी परिणाम तय हैं।

(लेखक कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)
ई–मेल : **bhaskarbhuwan@gmail.com**

वित्तीय समावेशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगी मज़बूती

–सतीश सिंह

इस बजट में समाज के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचने की नीतिगत मंशा दिखाई देती है। यूं तो यह बजट सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया है, फिर भी इसे मुख्यतः किसान–केंद्रित कहा जा सकता है। बजट 2020–21 में खेती–किसानी के लिए बड़ी राशि का आवंटन किया गया है।

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गत 1 फरवरी को संसद के पटल पर बजट 2020–21 प्रस्तुत किया। इस बजट में समाज के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचने की नीतिगत मंशा दिखाई देती है। यूं तो यह बजट सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया है, फिर भी इसे मुख्यतः किसान–केंद्रित कहा जा सकता है। बजट 2020–21 में खेती–किसानी के लिए बड़ी राशि का आवंटन किया गया है। माना जा रहा है कि बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करके किसान अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

खेती–किसानी के लिए बड़ी राशि का आवंटन

वर्ष 2020–21 के बजट में खेती–किसानी और ग्रामीण विकास के लिए पिछले साल के मुक़ाबले 1.52 लाख करोड़ रुपये ज्यादा यानी 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 130458 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह लगातार तीसरा साल है जब कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन राशि में भारी–भरकम बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि बजट 2017–18 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सिर्फ 51,576 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस साल के बजट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कृषि ऋण के लिए बजट में प्रावधान

बजट 2020–21 में कृषि ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि वर्ष 2019–20 में इस मद में 1.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। अल्पावधि कृषि ऋण के लिए बजट 2020–21 में 21,175 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2019–20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 18.54 प्रतिशत अधिक है। बजट 2020–21 में वेयरहाउस में अनाज रखने की रसीद पर कर्ज़ देने पर भी ज़ोर दिया गया है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना को मज़बूत करने की पहल

ग्रामीण इलाकों में हाल ही में खपत में वृद्धि घटी है। इसके लिए बजट 2020–21 में ग्रामीण बुनियादी ढांचा को मज़बूत करने के लिए भंडारण की व्यवस्था को सशक्त बनाने की पहल की गई है। बजट में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। इससे किसान

केंद्रित सहकारी संगठनों जैसे, अमूल और चीनी सहकारी समितियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली तीन बड़ी योजनाओं पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम ग्राम सड़क योजना और आजीविका मिशन में आवंटन 2019–20 के स्तर पर बरकरार रखा गया है और पहली दो योजनाओं के लिए 19,500 करोड़ रुपये और तीसरे के लिए 9500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि ग्रामीण आधारभूत संरचना को मज़बूती मिल सके।

कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऋण की जरूरत

आज किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए, वर्ष 2020–21 के बजट में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ब्रूसिलोसिस और पीपीआर बीमारी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022–23 तक मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 200 लाख टन करने और वर्ष 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 से बढ़ाकर 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार यह भी चाहती है कि वर्ष 2024–25 तक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया जाए।

आम बजट में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 16 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों को अमल में लाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पानी की समस्या को दूर करने, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित करने, किसानों की बंजर भूमि पर सौर पैनल इकाई लगाने संबंधी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, एकीकृत कृषि प्रणाली, ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि को बढ़ावा देने, नाबार्ड की किसानोन्मुख योजनाओं का विस्तार करने जैसी घोषणाएं भी बजट में की गई हैं। वहीं, दुग्ध उत्पादन को 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन तक ले जाने, मछली उत्पादन को वर्ष 2023 तक 200 लाख टन तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा देने और 2.83 लाख करोड़ रुपये कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च करने आदि की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

सरकार उद्यान कृषि (हॉर्टिकल्चर) को ज़िला–स्तर पर बढ़ावा देगी, ताकि किसानों की आय में ज्यादा बढ़ोतरी हो। बजट में प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के विस्तार की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी और 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की समस्या को देखते हुए स्वयंसेवी निकायों द्वारा कोल्ड स्टोर का विकास करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। साफ है बजट में निर्धारित इन लक्ष्यों को सिर्फ बजटीय प्रावधानों से हासिल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को बैंक से कर्ज़ लेने की जरूरत होगी।

कृषि ऋण

मौजूदा समय में देश में सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि ऋण वितरण में अग्रणी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें कृषि एक प्रमुख क्षेत्र है, के विकास के लिए निवेश की ज़रूरत है, जो कृषि ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। इन उद्देश्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार ने बैंकों को साफतौर पर कहा है कि वे कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। कृषि ऋण के तहत फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि गोल्ड ऋण, ट्रैक्टर ऋण, सहायक गतिविधियों के लिए डेयरी, पॉल्ट्री व फिशरीज़ ऋण, भूमि खरीदने के लिए ऋण आदि किसानों के बीच वितरित किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय केसीसी है। वर्तमान में सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों में भारतीय स्टेट बैंक कृषि वित्तपोषण में सबसे आगे है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त कर्ज़ में ब्याज दर कम होती है, बिचौलिये नहीं होते हैं, छुपी हुई लागत भी नहीं होती है, ऋण देने में देरी नहीं की जाती है, आदि।

केसीसी का उद्देश्य

- किसानों की फ़सली ऋण जरूरतों, मसलन, कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति, आकस्मिक खर्चों, सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चों आदि के लिए।
- फसलोत्तर घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं के लिए।
- कृषि आस्तियों, फसलों और वैयक्तिक दुर्घटना आदि के बीमा के लिए।
- ऋण सीमा का निर्धारण करते समय कृषि उपकरणों, जैसे, स्प्रेयर, हल आदि पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाता है।

पात्रता

केसीसी ऋण के पात्र सभी किसान, जिसमें भूमि के एकल या संयुक्त स्वामित्वधारी, किराये के काश्तकार, पट्टेदार या साझा किसान और स्वयंसहायता समूह के किसान शामिल हैं।

ब्याज दर

- एक वर्ष के लिए या चुकौती की देयतिथि तक, जो भी पहले हो, 7 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज आरोपित किया जाता है।
- देय तिथियों के अंदर चुकौती नहीं करने पर कार्ड दर से ब्याज वसूल किया जाता है।
- देय तिथि के बाद छमाही अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है।

"नई अर्थव्यवस्था अभिनव परिवर्तनों पर आधारित होती है जो पहले से स्थापित व्यापार मॉडलों का स्थान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट–ऑफ–थिंग्स (आईओटी), 3–डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डाटा स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि विश्व की अर्थव्यवस्था की पटकथा लिख रहे हैं। भारत ने पारंपरिक व्यवसायों के स्थान पर एग्रीगेटर प्लेटफार्म्स के साथ साझी अर्थव्यवस्था जैसे नए प्रतिमान पहले ही अपना लिए हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन में सक्षम होने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का दोहन किया है और वह भी उस पैमाने पर जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी।"

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020

चुकौती

जिन फसलों के लिए ऋण संस्वीकृत किया गया है, उनकी अपेक्षित फसल कटाई एवं विपणन अवधि के अनुसार चुकौती अवधि निर्धारित की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़

- विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन–पत्र।
- पहचान प्रमाण यथा, मतदाता पहचान–पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- आवास प्रमाणपत्र जैसे, मतदाता पहचान–पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

अन्य कृषि व संबद्ध ऋण

किसानो को केसीसी के अलावा अन्य गतिविधियों जैसे डेयरी, वृक्षारोपण, बागवानी, लघु सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, भूमि विकास, भेड़, बकरी, सूअर, पोल्ट्री एवं मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, आदि के लिए भी कर्ज़ दिए जाते हैं। इसके अलावा, कृषि–आधारित उद्योगों के विकास के लिए कृषि ऋण के अलावा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है, क्योंकि कृषि–आधारित उद्योगों में फसलों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फसलों का पर्याप्त उत्पादन होने से कच्चा माल कृषि–आधारित उद्योगों को सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकता है।

भंडारण ऋण पर कम ब्याज दर

किसान मजबूरी में कम कीमत पर अपनी फसल को नहीं बेचे, इसके लिए गोदाम में रखे अनाजों के बदले जारी रसीदों के एवज में ऋण देने का प्रावधान है। ऐसे ऋणों में ब्याज दर में छूट का लाभ फसल के छह महीने तक की अवधि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारक, छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है। इसमें ब्याज दर केसीसी के बराबर आरोपित की जाती है।

बैंकिंग सुधार

सरकार का मानना है कि बैंकिंग कार्यप्रणाली में सुधार लाकर बैंकों के प्रदर्शन में सुधार लाया जा सकता है। कामकाज में सुधार लाने से बैंकों को अपनी वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता लाने एवं प्रतिस्पर्धी होने में मदद मिलेगी। इसलिए, विगत महीनों बैंकों को 3,50,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा बैंक जमा पर गारंटी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना है। इस घोषणा से निवेशकों का बैंकों पर भरोसा बढ़ेगा और बैंकों को सस्ती पूंजी की किल्लत भी नहीं होगी। जमा गारंटी सीमा में बढ़ोतरी से सबसे अधिक फायदा ग्रामीणों को मिलेगा क्योंकि वे सभी तरह के बैंकों जैसे सहकारी, सरकारी, निजी बैंकों आदि में अपना पैसा जमा करते हैं।

मौजूदा समय में गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियां भी कृषि ऋण दे रही हैं। इसके लिए नाबार्ड की पुनः वित्तपोषण योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है। पीएम किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को भी कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2019 के दौरान बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में 7.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2018 के दौरान इसमें 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भारत को 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बैंकिंग क्रेडिट को मौजूदा–स्तर से दोगुना करना जरूरी है।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा

वित्तीय समावेशन का अर्थ है–समाज के कमज़ोर तबके को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय सेवाएं उन्हें वहन करने योग्य मूल्य पर मिले। ग्रामीण जरूरतों के मुताबिक वित्तीय सेवाओं के दायरे में मोटे तौर पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जमा व निकासी एवं ऋण की सुविधाओं को रखा जाता है। वैसे, आज वित्तीय सेवाओं का दायरा विस्तृत हो गया है। दुर्घटना बीमा या जीवन बीमा को भी इस वर्ग में शामिल किया गया है। आज वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने में डिजिटल बैंकिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे–धीरे डिजिटल बैंकिंग की अवधारणा मज़बूत हो रही है। इसके तहत इंटरनेट, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

वित्तीय समावेशन को साकार करने में बैंकों का योगदान

देखा जाए तो वित्तीय समावेशन का सारा दारोमदार बैंकों पर है। वित्तवर्ष 2016–17 में नाबार्ड की ऑल इंडिया फाइनेंनशियल इंक्लुज़न सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसके अनुसार 88.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवार एवं 55 प्रतिशत कृषक परिवार के पास बचत खाता था। प्रत्येक परिवार साल में औसतन 17,000 रुपये की बचत कर रहा था। 52.5 प्रतिशत कृषक परिवार एवं 42.8 प्रतिशत कृषि मजदूरी से जुड़े परिवार कर्ज़ में डूबे थे। 26 प्रतिशत कृषि से जुड़े परिवार और 25 प्रतिशत कृषि मज़दूरी से जुड़े परिवार बीमा की सुविधा का उपभोग कर रहे थे, जबकि 20.1

प्रतिशत कृषक परिवार एवं 18.9 प्रतिशत कृषि मज़दूरी करने वाले परिवार पेंशन की सुविधा ले रहे थे। इस सर्वे के मुताबिक कृषक परिवार की सालाना औसत आमदनी 1,07,172 रुपये और कृषि मजदूरों की सालाना औसत आय 87,228 रुपये थी। गौरतलब है कि नाबार्ड इस तरह का सर्वे तीन सालों के अंतराल पर करता है। उक्त सर्वे में ग्रामीण क्षेत्र के 40,327 परिवारों को शामिल किया गया था।

व्यक्तिगत तौर पर अभी भी ग्रामीण जनसंख्या की बड़ी आबादी बैंकों से नहीं जुड़ पाई है, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण बैंकिंग सुविधा दूरदराज के इलाकों में नहीं पहुंच पाना है। बैंकों में कामकाज की सीमित अवधि, वैकल्पिक चैनलों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता नहीं होने आदि के कारण ग्रामीण वित्तीय सेवाओं से महरूम हैं।

दरअसल, बैंक शाखा खोलने एवं उसे संचालित करने की लागत बहुत ही ज्यादा है। इसलिए, बैंक ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा शाखाएं नहीं खोल पा रहे हैं। हालांकि, इसके समाधान के तौर पर बैंक, प्रौद्योगिकी से जुड़े बैंकिंग उत्पादों जैसे, एटीएम, इंटरनेट कियोस्क आदि विकल्प, ग्रामीणों को उपलब्ध करा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक लगभग 85 प्रतिशत सेवाएं वैकल्पिक चैनलों मसलन इंटरनेट, मोबाइल, एटीएम आदि के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। गांवों में मोबाइल टॉवर, बिजली व फोन की उपलब्धता होने से ग्रामीण अब प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अभी देशभर में लगभग 2.36 लाख एटीएम हैं, जिसे लगभग 130 करोड़ आबादी वाले देश में पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

अमूमन, ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले लेन–देन कम राशि के होते हैं। उनकी जरूरतें सीमित होती हैं। लिहाज़ा, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक शाखा खोलना बैंकों के लिए व्यावहारिक नहीं होता है। इसीलिए ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर 'मिनी बैंक' खोले जा रहे हैं, जिन्हें 'कस्टमर सर्विस पॉइंट' (सीएसपी) के नाम से जाना जाता है। इन मिनी बैंकों के द्वारा ग्राहकों को जमा, निकासी, खाते के बारे में पूछताछ आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। आज देश में 1 लाख 26 हजार 'बैंक मित्र' कार्यरत हैं, जिनका काम ग्रामीणों के बीच वित्तीय जागरूकता लाना और उन्हें बैंकिंग सुविधाएं उनके घर पर जाकर उपलब्ध कराना है।

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने में स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) और माइक्रो फाइनेंस की अहम भागीदारी है। एसएचजी आंदोलन की गति देशभर में तेज़ हो गई है। भारत सहित बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बोलीविया आदि देशों में इसकी मदद से वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इन देशों को बहुत हद तक सफलता भी मिली है। स्वयंसहायता समूहों और माइक्रो फाइनेंस में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। आमतौर पर इनके सदस्य अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश शिद्दत से करते हैं। एसएचजी के उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए बैंक इन्हें कर्ज़ उपलब्ध कराने से परहेज नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सेगमेंटों में अभी भी एनपीए एक प्रतिशत से कम है। इस क्षेत्र की ऐसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दे रही है, ताकि ग्रामीण आत्मनिर्भर बनकर देश के समावेशी विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं।

वित्तीय समावेशन का आधार प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेशन को साकार करने के मामले में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त, 2014 को की गई थी और 28 अगस्त से इस योजना को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस योजना के तहत जीवन बीमा, बिना पैसे के खाता खोलने, ऋण, रुपे कार्ड, एसएमएस आदि की सुविधाएं आम जन को दी जा रही हैं। इस योजना के तहत सभी बैंकों द्वारा लगभग 38 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें 1,13,676 करोड़ रुपये जमा हैं।

इन खातों पर लाखों रुपे कार्ड भी जारी किए गए हैं। यह एक एटीएम कार्ड है, जिसे 'डेबिट कार्ड' भी कहा जाता है जिसकी मदद से एटीएम से पैसों की निकासी, पैसों का अंतरण, खातों में अधिशेष की जानकारी, बिल का भुगतान, पॉइंट ऑफ सेल से खरीददारी, ऑनलाइन शॉपिंग आदि सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों द्वारा उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीणों का बैंकों में खाता खुलने से सरकार विविध सरकारी योजनाओं में मिलने वाले पैसों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए उनके खाते में सीधे हस्तांतरित करा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। साथ ही, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना का फैलाव मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इस योजना के आगाज़ से ग्रामीण आसानी से बैंकों में खाता खोल रहे हैं, क्योंकि इस योजना को सफल बनाने के लिए 'ग्राहकों को जानें' (केवाईसी) के नियमों का सरलीकरण किया गया है। ऐसे खातों में जमा करने की सीमा निर्धारित की गई है, ताकि इन खातों के माध्यम से फर्जीवाड़ा को अंजाम नहीं दिया जा सके। इसका दूसरा पहलू यह है कि ग्रामीणों की ज़रूरतें सीमित होती हैं। उन्हें खातों में ज्यादा पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती है। बैंक खाते का संतोषजनक संचालन करने वाले ग्रामीणों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है।

ओवरड्राफ्ट के तहत ग्राहकों को एक निश्चित राशि खाते में से आहरित करने की सुविधा दी जाती है। यह एक प्रकार का ऋण है, जिसे समय–सीमा के अंदर ऋणी को वापिस चुकाना होता है। बैंक शाखाओं की कमी को पूरा करने के लिए मिनी बैंक या सीएसपी खोले गए हैं, जिसकी उपलब्धता गांव, ब्लॉक एवं तहसील में है। इस तरह, बैंक से जुड़कर ग्रामीणों के लिए कारोबार करना आसान हो गया है। यह योजना स्वरोज़गार शुरू करने या रोज़गार सृजित करने का आज एक बड़ा माध्यम बन गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का वित्तीय समावेशन में योगदान

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को वित्तीय समावेशन को अमलीजामा पहनाने की राह में सबसे बड़ा सहायक–तंत्र माना जा सकता है। आमतौर पर छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले जैसे, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, फेरी वाले बिना बैंक से जुड़े कारोबार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत होने के बाद ऐसे अधिकांश कारोबारी बैंक से जुड़ गए हैं, जिससे उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। मुद्रा लोन केवल सरकारी बैंक के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। माइक्रोफाइनेंस (एमएफआई), गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक आदि भी मुद्रा ऋण देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में छोटे एवं मझोले कारोबारी लाभान्वित हो रहे हैं। मुद्रा ऋण देने में सबसे आगे सरकारी बैंक हैं। दूसरे स्थान पर निजी बैंक और एमएफआई हैं। वित्त वर्ष 2019–20 में 4 करोड़ 27 लाख मुद्रा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस ऋण के लाभान्वितों में महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की उल्लेखनीय संख्या है।

वर्तमान में मुद्रा ऋण को रोज़गार सृजन का एक बड़ा जरिया माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी मदद से लोग स्वरोज़गार और रोज़गार कर रहे हैं। ये रोज़गार असंगठित क्षेत्र में सृजित हो रहा है इसलिए इसकी गणना करना संभव नहीं है। फिर भी, जहां 20 या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं, उनकी गणना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर रहा है। ऐसे कामगारों की गणना पेरोल रिपोर्टिंग में गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लाखों की संख्या में हर साल रोज़गार पैदा हो रहा है, जिसकी पुष्टि मुद्रा ऋण के लाभार्थियों की संख्या से भी की जा सकती है।

मनरेगा से रोज़गार सृजन

ग्रामीणों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे एक प्रभावी रोज़गारपरक कार्यक्रम माना जा सकता है। इस योजना का ग्रामीणों को रोज़गार मुहैया कराने में अहम योगदान है, जो बैंकों से जुड़कर ही संभव हो पा रहा है। मौजूदा समय में मनरेगा के तहत लगभग 12.50 करोड़ सक्रिय कामगार हैं। कहने का तात्पर्य है कि बिना वित्तीय समावेशन की राह में आगे बढ़े इस योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता है।

निरंतर प्रयास से संभव है वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन एक सतत प्रक्रिया है। यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसको मूर्त रूप देने के लिए सभी हितधारकों को टीम भावना के साथ प्रयास करना चाहिए। पूरे परिदृश्य में प्रौद्योगिकी की भूमिका को कमज़ोर या कमतर नहीं माना जा सकता है। आज प्रौद्योगिकी से जुड़े तंत्रों जैसे, एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल आदि की मदद से ग्रामीण अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

निष्कर्ष

बजट 2020–21 में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 16 बिंदुओं को चिह्नित किया गया है, जहां सुधार और जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। माना जा रहा है कि इन उपायों को अमल में लाने से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

इस बजट में "ज़ीरो बजट" खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इससे किसानों की आय में इज़ाफा होगा। इस क्रम में किसानों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 20 लाख सोलर पंप देने की पहल सही दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है। बजट में वेयरहाउस के निर्माण, सतत फसल चक्र पर काम करने, रसायनिक खादों के प्रयोग को कम करने, बायो खाद का इस्तेमाल, स्वस्थ कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने आदि का भी प्रस्ताव है। पानी की कमी से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिए व्यापक योजना बनाना समय की मांग है। पानी की कमी खेती–किसानी के लिए आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है। 'किसान रेल' और 'किसान उड़ान' योजना सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2025 तक दूध उत्पादन को दोगुना करने से डेयरी और पशुपालन उद्योग को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने 1,23,000 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए आवंटित किए हैं, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को मज़बूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार 12,300 करोड़ रुपये का निवेश 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत करेगी। बिना बैंक कर्ज़ के इन योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है।

कृषि कर्ज़ लेने की प्रक्रिया आसान है। सरकार ने बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को कर्ज़ देने में कोताही नहीं करें। साथ ही, ऋण प्रक्रिया को और भी आसान बनाएं। इस दिशा में वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करना बेहद ही जरूरी है, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, बैंकों द्वारा शुरू किए गए मिनी बैंक, बीसी, प्रौद्योगिकी से संबद्ध उत्पाद आदि की मदद से पूरा किया जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि इन योजनाओं को लागू करना मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे ग्रामीण मज़दूरों एवं किसानों की आय में इज़ाफा होने की भी संभावना है, जो अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने में सहयोगी होगा।

संदर्भ स्रोत

1–बजट दस्तावेज़
2–विभिन्न बैंकों की वेबसाइट
3–नाबार्ड की वेबसाइट
4–रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट
5–ग्रामीण मंत्रालय की वेबसाइट

(लेखक वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर केंद्रित पत्रिका 'आर्थिक दर्पण' के संपादक हैं।)
ई–मेल : satish5249@gmail.com

कृषि क्षेत्र के लिए दूरदर्शी बजट

–जी. श्रीनिवासन

केंद्रीय बजट 2020–21 में देश के किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए एक प्रगतिशील चरण का आरंभ होता दिखाई पड़ता है चूंकि वे समग्र अर्थव्यवस्था के जीवंत और गतिशील अंग हैं। किसान समर्थक विभिन्न नीतियां और प्रोत्साहन देश के कृषि क्षेत्र के विकास की गति को तीव्र करने में मदद करेंगे ताकि वह अर्थव्यवस्था के निर्माण में मज़बूती से आगे बढ़ें।

सरकार 2024–25 तक देश की कृषि आय को दोगुना करने के प्रति दृढ़–संकल्प है, और इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और यह तब जबकि आर्थिक मंदी ने किसी बड़े खर्चे पर नकेल डाल रखी है और अर्थव्यवस्था में अन्य हितधारकों की प्रतिस्पर्धी मांगों को देखते हुए यह कार्य काफी कठिन लग रहा है। फिर भी, केंद्रीय बजट 2020–21 ने बहु–आयामी और दूरगामी उपायों के जरिए अर्थव्यवस्था की मंदी को विपरीत दिशा में पलटने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं। इसमें लोगों की जेब में अधिक पैसा डालने से लेकर छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों पर लाभांश वितरण कर को हटाने सहित मेगा निवेश परियोजनाओं को चालू करना शामिल है ताकि हर नागरिक के जीवनयापन को सुगम बनाया जा सके। इसमें उत्पादक क्षेत्रों के लिए कर कटौतियों और निवेश का एक कुशल मिश्रण है, जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 10 प्रतिशत की वृद्धि और अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के लिए विकास का प्रयोजन बनेगा। बजट के एक महत्वपूर्ण कदम में कृषि, उससे जुडी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास हेतु 2.83 लाख करोड़ रुपये की विशाल राशि का आवंटन किया गया है। इसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों और शेष 1.23 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के अपने दूसरे बजट में मध्यम अवधि में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए संवर्धित परिव्यय से कहीं अधिक, बजट में 16 कार्यबिंदुओं का विशेष उल्लेख किया और उनको उचित ठहराया। प्रस्तावित कार्ययोजनाओं से उन मूल उद्देश्यों को पहचानने और उन्हें साकार करने में मदद मिलेगी जैसे कृषि बाज़ारों के उदारीकरण की आवश्यकता, कृषि को अधिक

प्रतिस्पर्धी बनाने और कृषि–आधारित गतिविधियों की आरंभिक सहायता, खेती के स्थायी स्वरूपों और उत्पादकता में वृद्धि के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो लंबी अवधि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए अतिरिक्त लक्ष्य हैं। अगले वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए कृषि ऋण की 15 लाख करोड़ रुपये की राशि, जो 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, संकटग्रस्त किसानों की मदद करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) तक पहुंच किसान को आसान शर्तों पर ऋण के अभाव से उत्पन्न निराशाजनक कठिन श्रम की स्थिति से उबारने में मदद करेगी।

एक छोटे किसान और बाजार सामर्थ्य संभावनाओं के नज़रिए से, यह कार्ययोजना इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय परिवर्तन लाएगी जो मानसून की कृपा पर निर्भर है; मानसून जो कम वर्षा के कारण फसल बर्बाद कर सकता है या प्रचुर वर्षा से किसान को धनधान्य से परिपूर्ण कर सकता है। 16–सूत्रीय कार्ययोजना में भूमि पट्टा (2016) के मॉडल अधिनियमों के अनुसार कृषि विपणन सुधारों को लागू करना, कृषि और पशुधन उत्पाद विपणन (2017) और अनुबंध कृषि (2018) के लिए से लेकर जल्दी ख़राब होने वाली खाद्य–सामग्री के लिए प्रभावी मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चेन) को बढ़ावा देने हेतु **'किसान रेल'** और **'कृषि उड़ान'** शुरू करने के लिए राज्यों से आग्रह करना शामिल है। इस बाद के कदम से उत्तर–पूर्व की उपज को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे दूरदराज क्षेत्र हैं। जल की कमी से जूझते 100 जिलों पर ध्यान देना सराहनीय है और उतना ही सराहनीय कदम है सौर ऊर्जा परियोजनाएं और कृषि क्षेत्र में उनका उपयोग, जो घरेलू कृषकों को सौर उर्जा का उत्पादक भी बनाते हैं जिससे वह प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम बनते हैं और जीवाश्म ईंधन जैसे डीज़ल के अत्यधिक प्रयोग को भी घटाते हैं। 20 लाख स्टैंडअलोन और 15 लाख ऑन–ग्रिड सौर–पंप और उसके लिए बंजर और परती भूमि के उपयोग का एक सामान्य लक्ष्य रखा गया है।

कार्ययोजना के अन्य महत्वपूर्ण घटकों में, कृषि–भंडारण और कोल्ड–स्टोरेज क्षेत्र पर पहली बार ध्यान केंद्रित करना और वेयरहाउस रसीदों के लिए मालगोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी) के साथ जुड़ना, जो किसानों को स्थानीय क्षेत्रों में भंडारण क्षमता प्रदान करके बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रयास में भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम की भागीदारी भी एक वांछनीय प्रस्ताव है और इसमें मुद्रा और नाबार्ड ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के ऋणों की सहायता से महिला स्वयंसहायता समूहों को शामिल करना और सर्वोपरि किसानों के लाभ और उपयोग के लिए नाबार्ड को ऐसे भंडारणों की जिओ टैगिंग की जिम्मेदारी देना है।

यह कहते हुए कि सरकार ने **'कुसुम'** के माध्यम से ऊर्जा संप्रभुता और परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से निवेश संप्रभुता प्रदान की है, वित्तमंत्री ने गर्व से बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को 6.11 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। दालों की खेती पर बल देने, कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार ने खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की स्थिति में पहुंचाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभायी। उन्होंने कहा कि किसान को आय के किसी भी वार्षिक पूरक का प्रावधान सीधे प्रधानमंत्री –किसान कनेक्टिविटी के जरिए पीएमजीएसवाई के माध्यम से किया जाता है क्योंकि ऐसे वित्तीय समावेश का उद्देश्य कृषि आय बढ़ाना है।

सबसे महत्वपूर्ण रूप से, व्यवहार्यता अंतर–वित्तपोषण इस दिशा में निर्णायक सकारात्मक कदम होगा। वेयरहाउसों को ई–ट्रेडिंग और ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना भी विशेष रूप से किसानों के विपणन संकट को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का दिलचस्प पहलू यह है कि कई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसी) और अन्य किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ), जो वर्तमान में वेयरहाउसिंग ऑपरेशन करते हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि वे स्थानीय हैं। अगर उन्हें भंडारण और नेगोशिएबल प्राप्तियों का स्वरूप मिले, तो वे किसानों को बेहतर कीमतें हासिल करवाने की दिशा में आने वाले विशाल अंतर को पाट सकते हैं जिस समस्या से किसान बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं।

'एक ज़िला एक उत्पाद' के तहत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर दृष्टिकोण देश से गुणवत्तापूर्ण निर्यात को प्रोत्साहन देने का एक और सकारात्मक कदम है, जिसका बहुत समय से इंतज़ार था। पशुधन बीमा पर ध्यान केंद्रित करना और चारे के उत्पादन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोज़गार योजना का उपयोग एक सुविचारित कदम है।

कृषि श्रमिकों की लाभकारी आय सुनिश्चित करने और गैर–कृषि एवं कृषि गतिविधियों को व्यापक और विविधतापूर्ण बनाने के लिए, वर्षा–सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणालियों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। गैर–फसल के मौसम में बहुस्तरीय फसल, मधुमक्खी पालन, सौरपंप, सौर ऊर्जा उत्पादन भी शामिल हैं। पिछले बजट में शामिल ज़ीरो–बजट प्राकृतिक कृषि को भी शामिल किया जाएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और संदीप दास द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद् (आइसीआरआईईआर) के अध्ययन से पता चलता है कि पारंपरिक रसायन–आधारित उर्वरक खेती की तुलना में, ज़ीरो–बजट प्राकृतिक कृषि में गेहूं और धान के उत्पादन में 25–50 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि ज़ीरो–बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा

तरीका यह होगा कि रसायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी की प्रणाली में सुधार लाकर उसे बराबरी पर लाया जाए और किसानों को नकद हस्तांतरण करने के साथ रसायनिक उर्वरकों की कीमतों को बजट–पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण के सुझाव के अनुसार मुक्त किया जाए। संभवतः बजट ने छोटे और सीमांत किसानों की संवेदनशीलता को देखते हुए और ऐसे समय तक उन्हें सहायता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे टाल दिया है, जब उनके व्यापार की शर्तें अब की तुलना में कुछ बेहतर हो।

घरेलू डेयरी क्षेत्र के साथ–साथ विभिन्न कृषि–संबंधित कामों में लगी किसान सहकारी समितियों के लिए, बजट ने सहायता का हाथ बढ़ाया है। दुग्ध क्षेत्र में 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 108 मिलियन टन ले जाने का उद्देश्य है। साथ ही स्वदेशी डेयरी क्षेत्र को एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना है ताकि उद्योग को बर्बाद करने वाले सस्ते आयातों के प्रहार से इसे सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। बजट ने किसी भी वित्तीय वर्ष में 10,000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर के आयात पर 15 प्रतिशत मूल रियायती सीमा शुल्क हटा दिया है। मौजूदा टैरिफ कोटा नियम के तहत उस रियायत को वापस ले लिया गया है और अब से सभी आयातों में समान रूप से 60 प्रतिशत शुल्क लगेगा। यह दर अब तक केवल 10,000 टन से अधिक टैरिफ दर कोटा अधिकतम सीमा पर लागू थी। बजट में छाछ (जलरहित दूध, प्रोटीन पाउडर), पनीर, मक्खन, बटर ऑयल और घी पर मूल सीमा शुल्क को 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। सरकार ने बजट में सभी डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत सर्वाधिक जायज़ दरों तक बड़ा दिया है जिससे डेयरी व्यवसाय में संलग्न किसानों को बेहतर खरीद मूल्य मिल सके।

बजट में सहकारी समितियों का उन्हें लाभ पर कर लगाने के मामले में कॉर्पोरेट कंपनियों के बराबर रखा है। 30 प्रतिशत की वर्तमान दर (10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत शिक्षा उपकर) के बजाय सहकारी समितियों पर अब 22 प्रतिशत (अधिभार और उपकर अतिरिक्त) लगाया जाएगा, जो कर की प्रभावी दर को 25. 17 प्रतिशत तक ले जाएगा बशर्ते वे किसी छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं।

पशुधन क्षेत्र के लिए, बजट में 2025 तक मवेशियों में खुरपका–मुंहपका रोग (फुट एंड माउथ रोग) ब्रुकेलोसिस और भेड़–बकरियों में होने वाले पीपीआर रोग को समाप्त करने का प्रस्ताव है। कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा। चरागाहों के विकास के लिए मनरेगा का संयोजन किया जाएगा।

बजट एजेंडा के कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऊपर वर्णित विवरणों से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के मार्ग को अच्छे इरादों के साथ प्रशस्त किया गया है जो एक कार्ययोजना द्वारा पोषित है और अपेक्षित परिवर्तनों के माध्यम से ग्रामीण भारत के स्वरूप व रचना में सकारात्मक बदलाव लाया जाएगा। यह भी दिलचस्प बात है कि जिस दिन संसद में बजट पेश किया गया था, उसी दिन वर्ष 2020–21 के लिए 15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को उस पर की गई कार्यवाही के साथ सदन में रखा गया। महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प बात यह है कि वित्त आयोग ने राज्यों को प्रमुख क्षेत्रों में अनुदान के लिए महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव दिया है जिसमें प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अनुसार वे क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण से सीधे जुड़े हैं, उनमें राज्यों को मज़बूत और निगरानी योग्य परिणाम संकेतकों को विकसित कर 2020–21 में एक विश्वसनीय कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली स्थापित करके प्रारंभिक कार्रवाई करनी चाहिए जो बाद के वर्षों में राज्य को अनुदान प्राप्त करने के योग्य बनाएगा।

वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि संकट को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इसने ऐसे सुधारों को चुना है जो कृषि बाजारों को उदार बनाने, निर्बाध व्यापार करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में स्वस्थ विकास के लिए निजी क्षेत्र से संगठित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। तदानुसार, राज्य वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे यदि वे (i) कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 (ii) मॉडल कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2018 और (iii) मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 की सभी सुविधाओं को लागू करते हैं। इस प्रकार राज्यों को 2020–21 में अपनी संबंधित विधानसभाओं में इन विधेयकों के पारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि वे 2021–22 से वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान प्राप्त करने के योग्य हो सकें। वास्तव में, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए बजट और वित्त आयोग के बीच स्पष्ट तालमेल है क्योंकि दोनों ही कृषि उपज विपणन, भूमि पट्टे और अनुबंध खेती से संबंधित "मॉडल कानूनों" को पारित करने के आधार पर विकसित कृषि सुधारों पर उचित बल देते हैं।

केंद्रीय बजट 2020–21 में देश के किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए एक प्रगतिशील चरण का आरंभ होता दिखाई पड़ता है चूंकि वे समग्र अर्थव्यवस्था के जीवंत और गतिशील अंग हैं। किसान समर्थक विभिन्न नीतियां और प्रोत्साहन देश के कृषि क्षेत्र के विकास की गति को तेज़ करने में मदद करेंगे ताकि वह अर्थव्यवस्था के निर्माण में मज़बूती से आगे बढ़ें।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और हिंदू ग्रुप में डिप्टी एडिटर रह चुके हैं।)

ई–मेल : geyes34@gmail.com

कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी का बहीखाता

–शिशिर सिन्हा

सब्सिडी यानी राजसहायता जब सार्वजनिक कल्याण के मकसद से खाद्य, उर्वरक, रसोई गैस या मिट्टी का तेल (केरोसीन) को लागत से कम पर बाजार में बेचा जाए और लागत व बाज़ार कीमत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार करे तो यह अंतर ही 'सब्सिडी' कहलाता है। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी से जुड़े तीन अहम क्षेत्र हैं– खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी और कृषि हेतु कर्ज़ पर ब्याज में सब्सिडी। इस आलेख में लेखक ने बजट 2020–21 में कृषि क्षेत्र के लिए बजट 2020–21 में दी गई सब्सिडी का अवलोकन प्रस्तुत किया है।

आम बजट के पेश होने के साथ ही ये चर्चा गरमाने लगी कि सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी में तो कमी की है, खाद्य पर भी भारी कमी देखने को मिल रही है। उर्वरक के मामले में तो कोई संदेह नहीं था, क्योंकि बजट भाषण में उसका साफतौर पर जिक्र था, लेकिन खाद्य सब्सिडी के मामले में सुर्खियों वाली संख्या कमी की तस्वीर पेश कर रही थी। हालांकि बजट के दस्तावेजों की गंभीरता से पड़ताल के बाद ये साफ हो गया है कि संख्याएं और भी हैं और उन्हें समझ लिया जाए तो साफ हो जाएगा कि खाद्य–सब्सिडी बढ़ी ही है, घटी नहीं।

खाद्य और उर्वरक के अलावा कृषि क्षेत्र के लिए एक और सब्सिडी अहम है हालांकि इससे जुड़ी रकम सुर्खियों में नहीं होती है और वो है कृषि के लिए कर्ज़ पर ब्याज का बोझ किसानों के लिए कम हो, इसके लिए भी ब्याज का एक हिस्सा बतौर सब्सिडी सरकार अदा करती है।

सब्सिडी यानी राजसहायता आखिरकार है क्या? जब सार्वजनिक कल्याण के मकसद से खाद्य, उर्वरक, रसोई गैस या मिट्टी का तेल (केरोसीन) को लागत से कम पर बाजार में बेचा जाए और लागत व बाज़ार कीमत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार करे तो यह अंतर ही 'सब्सिडी' कहलाता है। इसे यूं समझिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1–2–3 का फॉर्मूला अपनाया जाता है, यानी मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गरीबों को बेचा जाएगा, जबकि बाजार से मिली जानकारी के आधार पर गेहूं की औसत आर्थिक लागत 25 रुपये प्रति किलो और चावल की 36 रुपये प्रति किलो है। कीमत और लागत के बीच के अंतर की भरपाई खाद्य सब्सिडी के तौर पर होगी जिसका भुगतान सरकार भारतीय खाद्य निगम को करेगी।

इसी तरह उर्वरक के मामले में किसानों के लिए यूरिया की कीमत सरकार ने तय कर रखी है। 45 किलो वाली बोरी 242 रुपये (नीम कोटिंग की लागत व कर शामिल नहीं) और 50 किलो

वाली बोरी 268 रुपये (नीम कोटिंग की लागत व कर शामिल नहीं) में बेची जा रही है। खेत तक यूरिया पहुंचाने की लागत और किसान की ओर से चुकायी जाने वाली कीमत (कर घटाकर) के बीच का अंतर उर्वरक सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। जहां तक फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का संबंध है, इनके लिए 1 अप्रैल, 2010 से पोषक तत्व–आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की योजना लागू है। योजना के तहत हर वर्ष एक निश्चित राशि उर्वरक के प्रत्येक ग्रेड पर उसके पोषक तत्व अवयवों के आधार पर सब्सिडी के तौर पर कंपनियों को दी जाती है। इस सहायता के आधार पर कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करती हैं जो सब्सिडी की वजह से लागत से कम हो जाती है। इस तरह किसानों को फायदा पहुंचता है।

यहां गौर करने की बात ये है कि आम बजट में ना तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिया जाने वाले अनाज या फिर यूरिया की खुदरा कीमत में कोई बदलाव किया गया है।

खाद्य सब्सिडी

आम बजट 2020–21 के खर्च से जुड़े दस्तावेंजों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि जुलाई 2019 में पेश हुए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में बजटीय अनुमान के तौर पर 1,84,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। संशोधित अनुमान में ये राशि घटकर 1,08,688.35 करोड़ रुपये रह गई जबकि 2020–21 के लिए बजटीय अनुमान 1,15,569.68 करोड़ रुपये है। पहली नजर में सब्सिडी में कमी नजर आएगी। लेकिन अब बजट से जुड़े एक अन्य दस्तावेज, प्राप्ति दस्तावेज को खंगाले और नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के इस्तेमाल पर नज़र डालें। यहां पता चलेगा कि वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान इस फंड से 1.10 लाख करोड़ रुपये बतौर उधार फूड कॉरपोरेशन को दिए गए जबकि 2020–21 के दौरान ये रकम 1.36 लाख करोड़ करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

ये रकम भी खाद्य सब्सिडी के लिए ही दी जा रही है। इस तरह खाद्य सब्सिडी पर 2019–20 मे समग्र राशि 2,18,688.35 करोड़ रुपये होगी जबकि 2020–21 में ये रकम 2,51,56.68 करोड़ रुपये होगी। यहां ये भी ध्यान देने की बात है कि 2020–21 में बजट में सीधे प्रावधान से कहीं ज्यादा रकम नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से उधारी के तौर पर फूड कॉरपोरेशन को मिल रही है। यहां ये भी ज़िक्र करना होगा कि 2019–20 में फूड कॉरपोरेशन 46,400 करोड़ रुपये और 2020–21 में 68,400 रुपये के पुराने कर्ज़ का भुगतान भी कर देगी।

अब सवाल उठता है कि आखिरकार नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से इतनी ज्यादा उधारी लेने की बात क्यों आयी? यहां अहम तथ्य ये है कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से निजी क्षेत्र उधार नहीं ले सकता। दूसरी ओर, सरकार खर्चों से निबटने के लिए उधारी लेने खुले बाजार में जाए तो वहां पर निजी क्षेत्र के लिए उधार जुटाने का विकल्प सीमित हो जाएगा। इस स्थिति में बांड बाजार पर दबाव बढ़ेगा। सीधे–सीधे कहें तो जो संसाधन सिर्फ सरकार के लिए उपलब्ध हैं, वो उसका इस्तेमाल अपने खर्चों से निबटने के लिए कर सकती है।

इस लेखा कार्य का एक मकसद ये भी है कि वित्तीय घाटे पर बोझ बढ़ाए बगैर सरकार अपने खर्च की रफ्तार बनाए रख सकती है। आमदनी कम हो और खर्च ज्यादा तो सरकारी खजाने का घाटा बढ़ेगा। अब ऐसे में दूसरे उपलब्ध संसाधनों, जिसमें पुनर्भुगतान किस्तों में कई वर्षों में करने की सुविधा हो, का इस्तेमाल फायदेमंद होगा। जरुरी बात ये भी कि बजट के दस्तावेज में हर तथ्य– सीधे प्रावधान या फिर नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से उधारी, साफ–साफ रखे गए हैं। सरकार ये भरोसा दिला रही है कि खाद्य सब्सिडी के मामले में किसी तरह की कोताही नहीं होगी और हर देनदारी पूरी की जाएगी।

उर्वरक सब्सिडी

किसानों के लिए उर्वरक एक जरुरी कच्चा माल है। जब बात आती है कि किसान की आमदनी बढ़े तो यहां पर अहम है कि कच्चा माल कितना सस्ता उपलब्ध हो पाता है। यहां पर उर्वरक सब्सिडी की अहमियत का पता चलता है। चूंकि उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था रसायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देती है, और ऐसे रसायनिक उर्वरक ज़मीन की उत्पादकता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे में जरुरत इस बात है कि किस तरह से रसायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक के इस्तेमाल में संतुलन बनाया जाए। इस सिलसिले में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषा में कहा, "हमारी सरकार पारंपरिक, जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देगी। मौजूदा प्रोत्साहन प्रणाली, जो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, में परिवर्तन के लिए ये आवश्यक कदम है।"

वित्तमंत्री के भाषण के बाद जब आंकड़े सामने आए तो उम्मीद के मुताबिक उर्वरक सब्सिडी में कमी दिखी। वर्ष 2019–20 के आम बजट में बजटीय अनुमान के तहत 79,996 करोड़ रुपये (यूरिया के लिए 53,629 करोड़ रुपये, एनबीएस के लिए 26,367 करोड़ रुपये)

> "हमारी सरकार पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देगी। मौजूदा प्रोत्साहन प्रणाली, जो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, में परिवर्तन के लिए यह एक आवश्यक कदम है।"
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

का प्रावधान किया गया। संशोधित अनुमान में इस रकम को बहुत ही मामूली तौर पर बढ़ाकर 79,997 करोड़ रुपये (यूरिया के लिए 53,629 करोड़ रुपये, एनबीसी के लिए 26,638 करोड़ रुपये) किया गया। बहरहाल, अब 2020–21 के लिए 71,309 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से यूरिया के लिए 47,805 करोड़ रुपये और एनबीएस के लिए 23,504 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से आयोजित आंचलिक सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि 2019–20 के रबी सत्र (अक्टूबर 2019–मार्च 2020) के लिए तमाम तरह के उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी, मिश्रित और एसएसपी) की करीब 329.41 लाख टन मात्रा की आवश्यकता होगी। इसका एक हिस्सा आयात के जरिए पूरा किया जाएगा जिसके लिए जरुरी कार्रवाई पूरी कर दी गई है।

अनुमान के साथ ही उर्वरकों की आपूर्ति और उपलब्धता की निगरानी का भी इंतजाम है। इसके लिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने सूचना तकनीक आधारित एक प्रणाली (इंटीग्रेटिड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम या आईएफएमएस) विकसित की है। इसके तहत उत्पादन, संचलन, उपलब्धता, आवश्यकता व बिक्री के साथ उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देने से जुड़े तमाम ब्यौरे को दर्ज किया जाता है। इस प्रणाली पर विभिन्न ब्यौरे की जानकारी केंद्रीय अधिकारियों के साथ–साथ राज्य में अधिकारी और उर्वरक कंपनियां समय–समय पर ले सकती हैं।

इन सबके साथ ही सरकार जैविक उर्वरकों को लगातार बढ़ावा दे रही है। विभिन्न प्रयासों के जरिए जैविक उर्वरक का सालाना उत्पादन साढ़े तीन हजार लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है जबकि 2013–14 में ये मात्रा करीब सवा दो हजार लाख टन थी। किसानों को इस मामले में शिक्षित किया ही जा रहा है; साथ ही, राज्यों को जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहनों का इंतज़ाम है। मसलन, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों को जैव उर्वरक समेत विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के लिए तीन वर्षों में 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान का प्रावधान है। इसी तरह पूर्वोत्तर जैव–उर्वरक सहित कृषि और ऑफ–फार्म जैविक आदान, दोनों के लिए क्षेत्र जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआऱ) के तहत तीन वर्षों में 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान होगा। इसी तरह राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जैविक उर्वरक के लिए 300 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने फसलों और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर विभिन्न तरह के जैविक उर्वरक विकसित किए हैं। आईसीएआर के अध्ययन से पता चला है कि जैविक उर्वरक के जरिए फसल की पैदावार में 10–25 फीसदी तक का सुधार संभव है। साथ ही, इन्हें रसायनिक उर्वरकों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो महंगे रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 20 से 25 फीसदी तक की कमी हो सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बजट में कही गई बातों के बाद जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल में और बढ़ोतरी होगी।

> "गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) कृषि ऋण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। नाबार्ड की पुनःवित्तपोषण स्कीम का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2020–21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री–किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।"
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

कृषि कर्ज़ के ब्याज पर सब्सिडी

कृषि क्षेत्र से जुड़े सब्सिडी के मामले में तीसरा अहम विषय है, थोड़े समय के लिए कर्ज़ पर ब्याज में सब्सिडी। इस मद में वित्तवर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में 18 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो संशोधित अनुमान में भले ही घटकर 17,863 करोड़ रुपये रह गया हो, लेकिन वित्त वर्ष 2020–21 में इस मद में 21,175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले निर्माता के समान ही किसान को कार्यशील पूंजी की जरुरत है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीज़ल वगैरह पर खर्च करने के लिए थोड़े समय की पूंजी की जरुरत होती है। ये पैसा बैंक और सहकारी संस्थाओं के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। इसी के मद्देनजर हर वर्ष बजट में कृषिगत कर्ज़ का लक्ष्य बताया जाता है। इस बारे में आम बजट 2020–21 के अपने भाषण में वित्तमंत्री ने कहा, "वर्ष 2020–21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री–किसान के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) स्कीम में शामिल किया जाएगा।"

इसी व्यवस्था के तहत भारत सरकार एक ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित करती है। इसके तहत 7 फीसदी सालाना की कम ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक अल्पावधि फसली ऋण मुहैया कराया जाता है। यही किसान यदि तत्परता से कर्ज़ अदा कर दें तो तीन फीसदी का अतिरिक्त फायदा मिलेगा, यानी किसान के लिए ब्याज की प्रभावी दर चार फीसदी होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक विषयों पर लिखते रहते हैं।)

ई–मेल : hbtshishir@gmail.com

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण

1. हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करते हैं:

(क) मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016

(ख) मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 और

(ग) मॉडल कृषि उत्पाद तथा पशुधन संविदा कृषि और सेवाएं (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018

2. पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय हैं। हमारी सरकार पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव कर रही है।

3. जुलाई, 2019 में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि ''अन्नदाता'' ''ऊर्जादाता'' भी हो सकता है। पीएम–कुसुम स्कीम से डीजल ओर केरोसिन पर किसानों की निर्भरता समाप्त हुई है और उन्होंने अपने पंप सेट सौर ऊर्जा से जोड़े हैं। अब, मैं स्टैण्डअलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों को यह सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव करती हूं; इसके अलावा, हम अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेट को सौर ऊर्जा आधारित बनाने के लिए भी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी खाली पड़ी/बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा निर्माण क्षमता स्थापित करने और उस ग्रिड को बेचने में समर्थ बनाने की स्कीम आरंभ की जाएगी।

4. हमारी सरकार पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देगी। मौजूदा प्रोत्साहन प्रणाली, जो रसायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, में परिवर्तन के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

विकास हेतु 16 कार्यबिंदु

5. भारत के पास कृषि भंडारण, शीतगृह, माल ढुलाई वैन की सुविधाओं की 162 मिलियन मीट्रिक टन की अनुमानित क्षमता है। नाबार्ड इन्हें मापने और जिओ टैग करने की कवायद करेगा। इसके अलावा, हम माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के मापदंडों की तर्ज पर मालगोदाम बनाने का प्रस्ताव करते हैं। हमारी सरकार ब्लॉक/तालुक–स्तर पर ऐसे कार्यक्षम मालगोदाम स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मुहैया कराएगी। इसे हासिल किया जा सकता है, जहां राज्य भूमि की सुविधा दे सकते हैं और यह पीपीपी मॉडल पर हो। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) अपनी भूमि पर भी ऐसे भंडारण बनाएंगे।
6. बैकवर्ड लिंकेज के रूप में, ग्राम भंडार स्कीम स्वयंसहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे किसानों को एक अच्छी धारिता क्षमता मुहैया होगी और उनकी लाजिस्टिक लागत कम हो जाएगी। महिला स्वयंसहायता समूह धन लक्ष्मी के अपने ओहदे को पुनः प्राप्त करेंगे।
7. दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारतीय रेल पीपीपी मॉडल के जरिए ''किसान रेल'' चलाएगी; एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटिड कोच होंगे।
8. नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इससे विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा जनजातीय जिलों में मूल्य प्राप्ति में सुधार करने में अत्यधिक मदद मिलेगी।
9. बागवानी क्षेत्र ने 311 मिलियन मीट्रिक टन के अपने वर्तमान उत्पाद के चलते खाद्यान्नों के उत्पाद को पीछे छोड़ दिया है। बेहतर विपणन और निर्यात के लिए, हम उन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं जो क्लस्टर आधार अपनाते हुए ''एक जिला एक उत्पाद'' पर फोकस करेंगे।
10. वर्षासिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। गैर–फसल सीज़न में बहुस्तरीय पैदावार, मधुमक्खी पालन, सौर पंप, सौर ऊर्जा निर्माण को शामिल किया जाएगा। ज़ीरो बजट प्राकृतिक कृषि (जिसका जुलाई 2019 के बजट में उल्लेख किया गया था) को भी शामिल किया जाएगा। ''जैविक खेती'' पर पोर्टल–ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन बाजार को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
11. ई–निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट (ई–एनडब्ल्यूआर) पर किया जाने वाला वित्तपोषण 6000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसे ई–नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।
12. गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) कृषि ऋण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। नाबार्ड की पुनःवित्तपोषण स्कीम का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2020–21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री–किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
13. हमारी सरकार वर्ष 2025 तक मवेशियों के खुर और मुंह में होने वाली बीमारी ब्रूसिलोसिस तथा भेड़ और बकरियों को होने वाली पेस्टे पेटिट्स रुमिनेंट (पीपीआर) नामक बीमारी को खत्म करने की मंशा रखती है। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत किया जाएगा। मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, हम 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन करेंगे।
14. **नीली अर्थव्यवस्था** : हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है। इससे विकास होगा और प्रभावी संरक्षण भी होगा। समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा, सुस्थिरता और उत्तरदायी समुद्र मत्स्य पर फोकस किया जाएगा।
15. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन के जरिए लाभ मिलता है। वर्ष 2022–23 तक, मैं मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन कराने का प्रस्ताव करती हूं। शैवाल, समुद्री खरपतवार उगाने तथा केज कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार युवाओं को 3477 सागर मित्रों तथा 500 मत्स्य–पालक उत्पादक संगठनों के माध्यम से फिशरी एक्सटेंशन में शामिल करेगी। हम आशा करते हैं कि 2024–25 तक मछली निर्यात बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएगा।
16. गरीबी उपशमन की दीन दयाल अन्त्योदय योजना के अंतर्गत 58 लाख स्वयंहायता समूहों (एसएचजी) को जोड़ा गया है। हम एसएचजी का ओर विस्तार करेंगे।

स्रोत : **indiabudget.gov.in**

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

चतुश्रृंगी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रोड, पुणे – 411 007

020 - 25701000 / 25537974 / 25539808 फॅक्स 020-25537735

ईमेल : cme@vamnicom.gov.in वेबसाइट : www.vamnicom.gov.in

प्रवेश सूचना

प्रबंधन में स्नाकोत्तर पदविका – कृषि व्यवसाय और प्रबंधन
पीजीडीएम – एबीएम (2020 - 22) 28 वां बैच

(एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा एमबीए की डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं : 1) पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम 2) उद्योग की उम्मीदों से मेल खाने के लिए पाठ्यचर्या का निरंतर उन्नयन 3) छह छात्रों को एनसीयूआई छात्रवृत्ति 4) तीन एससी/एसटी छात्रों के लिए आईएफएफसीओ छात्रवृत्ति 5) सीकटैब मेधावी पुरस्कार 6) केस विधि से अध्यापन 7) लडकों और लडकियों हेतु परिसर में अलग-अलग छात्रावास 8) उद्योग और विदेश की यात्रा 9) छात्रों के लिए जिमनासियम समेत पर्याप्त खेल सुविधाएं उपलब्ध 10) वाई-फाई कनेक्टिविटी

प्लेसमेंट : कॉर्पोरेट, एनजीओ, सार्वजनिक और सहकारी संगठनों और निजी बैंकों में अत्यधिक सफल प्लेसमेंट। एमओयू देशों (श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया) में कुछ छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप उपलब्ध हैं।

पीजीडीएम–एबीएम 2017 - 19 बैंच (25 वें बैच) के मान्य भर्तीकर्ता :

एडीएम एग्रो इंडस्ट्रीअयल इंडिया प्रा. लि., एचडीएफसी बैंक , फेडरल बैंक, डीसीएम श्रीराम लि., समस्त माइक्रो-फायनांस लि., उज्जीवन स्मॉल फायनांस बैंक लि., टाटा इंटरनॅशनल लि. रिलायंस रिटेल, रैलिस इंडिया लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि., धनुका एग्रीटेक लि., स्वंतत्र माइक्रो फायनांस प्रा. लि., समुन्नति माइक्रो फायनांस, भारत फायनांशियल इनक्लूशन लि., एच.एम.क्लाऊज, ग्लेनकोर एग्रीकल्चर इंडिया प्रा. लि., वी.एन.आर. सीड्स, निंजाकार्ट, अमूल, इसफ-स्मॉल फायनांस बैंक, बेसिक माइक्रो फायनांस, मार्क एग्री जेनेटिक प्रा. लि., इडी & एफ मैन कमोडिटिज, इफको.

प्रवेश प्रक्रिया : पीजीडीएम-एबीएम कार्यक्रम का चयन प्रवेश परीक्षा पर आधारित है जिसमें (1) आवेदन के समय एआईसीटीई के सीएटी/एमएटी/एक्सएटी/एटीएमए/सीएमएटी का नवीनतम वैध परिक्षण स्कोर (विदेशी राष्ट्रीय उम्मीदवारों के लिए जीमैट/जीआरई) 2) समूह चर्चा (जीडी) और 3) व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई)।

प्रवेश के लिए पात्रता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक , सामान्य /ओबीसी (नॉन क्रिमी) उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 15 साल पूर्णकालिक शिक्षा (10+2+3) की न्यूनतम शिक्षा और एससी/ एसटी उम्मीदवारों के लिए स्नातक स्तर पर 45% राष्ट्रीय स्तर के सामान्य प्रवेश परिक्षाओं - एआईसीटीई के सीएटी/एमएटी/एक्सएटी/एटीएमए/जीएमएटी/सीएमएटी में से एक परीक्षण का वैध स्कोर होना चाहिए। इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर एआईसीटीई या सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है। आगामी डिग्री परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे 14.08.2020 तक शर्तो की पूर्ति कर सकें। भारत सरकार के नियमानुसार ओबीसी (नॉन क्रीमी)/एससी/एसटी/विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग सीटें आरक्षित हैं। वैमनीकॉम मे कुछ सीटें एनसीसीटी/एनसीयूआई/वैमनीकॉम कर्मचारियों, सहकार प्रायोजित उम्मीदवारों के वार्डो और विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार अप्रैल / मई 2020 के दौरान बेंगलुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गांधीनगर, जबलपुर, जयपुर, नागपुर, गुडगांव/नई दिल्ली, पटना, पंतनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, भोपाल, इंफाल, कन्नूर, मदुरै, कल्याणी, लखनऊ, हैदराबाद और पुणे में आयोजित किए जाएंगे। (किसी विशेष केंद्र के लिए पर्यात संख्या में उम्मीदवार के अधीन)।

आवेदन कैसे करें : आवेदन करने वाले उम्मीदवार वैमनीकॉम वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र वैमनीकॉम वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है और एआईसीटीई के सीएटी/एमएटी/एक्सएटी/एटीएमए/सीएमएटी के वैध स्कोर के साथ अपने आवेदन "निदेशक, वैमनीकॉम, पुणे" के पक्ष में देय रु 500/- के डिमांड ड्राफ्ट के साथ 11 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक डाक द्वारा भेज सकते है।

नोट : संस्थान जो सीएटी /एमएटी /एक्सएटी/एटीएमए/जीएमएटी/सीएमएटी परीक्षा आयोजित कर रहे है, चयन या कार्यक्रम के संचालन में उनकी कोई भूमिका नही है।

* 2019 जून के बाद से एनबीए मान्यता के विस्तार के लिए आवेदन किया।

श्री. अनिल कुमार तिवारी	डॉ. आर. जयलक्ष्मी	डॉ. डी. रवी	श्री. वी. सुधीर	डॉ. के. के. त्रिपाठी, आईईएस
संयुक्त कार्यक्रम निदेशक (शिक्षाविद)	प्लेसमेंट निदेशक	संयुक्त कार्यक्रम निदेशक	निबंधक	निदेशक, वैमनीकॉम

कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता

–डॉ. के. के. त्रिपाठी

बजट 2020–21 में कृषि और किसान कल्याण हेतु प्रस्तावित पहल और निवेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यक क्षमता है। हालांकि, वास्तविक चुनौती ग्रामीण/कृषि उद्यमों और स्टार्टअप के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी–तंत्र बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक जीवंत कृषि और गैर–कृषि वातावरण न केवल कृषि और ग्रामीण गतिविधियों को स्वीकार्य, व्यवहार्य और लाभदायक बना देगा, बल्कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों (जनगणना 2011) में रहती है, जिनके प्राथमिक व्यवसाय–खेती, कृषि श्रम, ग्रामीण कारीगर, खुदरा व्यापार/छोटी सेवाएं आदि हैं। भारत दुनिया में दालों, मसालों, दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और महत्वपूर्ण खेती योग्य भूमि गेहूं, चावल और कपास तीन प्रमुख फसलों के अंतर्गत है। देश की 19.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल 37 प्रतिशत सिंचित है। कुल रोज़गार के परिदृश्य में रोज़गार का हिस्सा (1993–94 और 2011–12 के बीच) 64.8 प्रतिशत से घटकर 48.9 प्रतिशत हो गया है। वैश्विक संदर्भ में जलवायु, कृषि बाजार और व्यापार क्षेत्र से उत्पन्न चुनौतियों के कारण कृषि समुदाय को उत्पादकता में वृद्धि का लाभ उठाना बाकी है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कृषि को किस तरह लाभकारी बनाया जाए और एक आकर्षक व्यवसाय की स्थिति में लाया जाए।

हाल ही में प्रकाशित भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 में ग्रामीण कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि वित्त, पर्याप्त बीमा कवरेज, सिंचाई सुविधा, उत्पादों की बाजार पहुंच आदि से जुड़ी विभिन्न चुनौतियां परिलक्षित हुई हैं। इसने समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में कृषि और ग्रामीण विकास के महत्व को रेखांकित किया क्योंकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने 2019–20 में मौजूदा कीमतों पर देश के सकल मूल्यवर्धन में 16.5 प्रतिशत का योगदान दिया। इस संदर्भ में यह लेख बजट 2020–21 में प्राथमिकता के रूप में कृषि और किसान कल्याण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करके भारत सरकार

की अंतर्निहित नीतिगत दिशा और सामाजिक–आर्थिक मंशा को समझाने का प्रयास करता है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बजट आवंटन

बजट में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर ज़ोर दिया गया है और इसके लिए एक 16 सूत्री एजेंडा प्रस्तुत किया गया है जिससे तेजी से कृषि–आधारित ग्रामीण आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए महत्वपूर्ण आजीविका और ग्रामीण अवसंरचना पहलों पर ज़ोर दिया गया है। कृषि, सिंचाई और संबद्ध गतिविधियों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये और 1.23 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए रखे गए हैं। इस तरह के संसाधन आवंटन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोज़गार सृजन, आय और धन सृजन और समग्र उपभोग की मांग को बढ़ाने के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

संशोधित अनुमानों 2019–20 और बजट अनुमानों 2020–21 की समीक्षा से संकेत मिलता है कि आवंटन (तालिका–1 के कॉलम 8 और 9) में वृद्धि के संदर्भ में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि, योजनाबद्ध भागीदारी और योजनाबद्ध निवेश, बेहतर खरीदारों की मांग और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रोज़गार सृजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास इंजन हो सकते हैं। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, बजट में कृषि, कौशल निर्माण, डेयरी और मत्स्य विकास और एमएसएमई को प्राथमिकता दी है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण ने 2019–20 के संशोधित अनुमानों में 31.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी, जबकि कौशल विकास एवं उद्यमिता, कौशल विकास और उद्यमिता, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, महिला और बाल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और कृषि अनुसंधान और

तालिका–1 वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान चुने हुए केंद्रीय मंत्रालय/विभागों में बजट आवंटन और वास्तविक व्यय

क. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	आवंटन (करोड़ रुपये में)						निर्धारण की वृद्धि (प्रतिशत में)		
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20		2020–21	2020–21		
		वास्तविक			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक 2018–19	संशोधित 2019–20	बजट अनुमान 2019–20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	40,626	37,396	36,912	1,30,485	1,01,904	1,34,400	264.1	31.9	3.0
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5,995	6,942	5,729	8,079	7,846	8,363	45.9	6.6	3.5
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन	2,376	2,022	1,858	3,737	3,490	4,114	123.0	17.9	1.0
4	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	3650	6,202	3,626	7,011	7,011	7,572	108.8	8.0	8.0
5	ग्रामीण विकास	1,56,287	1,08,559	95,069	1,17,647	1,22,649	1,20,147	26.4	–2.1	2.1
6	कौशल विकास और उद्यमिता	1,553	2,198	1,553	2,989	2,531	3,002	93.3	18.6	0.4
7	महिला और बाल विकास	17,097	20,396	16,874	29,165	26,185	30,007	77.8	14.6	2.9

स्रोत : केंद्र सरकार के आम बजट 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 में अनुदानों के लिए मांग से संकलित, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

शिक्षा ने वर्ष 2020–21 से संबंधित बजट आवंटन में क्रमशः 18.6 प्रतिशत, 17.9 प्रतिशत, 14.6 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, ग्रामीण विकास योजनाओं में 2019–20 (संशोधित अनुमान) पर 2020–21 में संसाधन आवंटन में 2.1 प्रतिशत की कमी देखी गई। यह ग्रामीण विकास विभाग की संसाधन अवशोषण क्षमता की कमी को दर्शाता है। इसी प्रकार, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यान्वयन के कारण 2019–20 और 2020–21 के दौरान अपने बजट आवंटन में एक बड़ा परिवर्तन का अनुभव किया, जहां 14 करोड़ किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की दर से सहायता राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। बजट अनुमान के 1,34,400 करोड़ रुपये में पीएम किसान योजना हेतु 75,000 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। (विभाग के लिए कुल बजट अनुमान का 44 प्रतिशत)।

कृषि विकास के माध्यम से आजीविका

सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए मूल्य खोज तंत्र की समीक्षा और उसे पुनर्जीवित करके भारतीय कृषि को लाभकारी बनाने के महत्व को रेखांकित किया ताकि किसानों को अपनी उपज की अधिक कीमत मिल सके। अब तक, 585 कृषि मंडियों को ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। हालांकि, रसद के मुद्दों जैसे कृषि उत्पादन के परिवहन, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला की कठिनाइयों ने ई–नाम के माध्यम से पर्याप्त लेन–देन को बाधित किया है।

इस पर विचार करते हुए, बजट में कृषि बाज़ारों को उदार बनाने और कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कृषि और पशुधन बाज़ारों में कठिनाइयों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इससे कृषि लॉजिस्टिक्स, कृषि सेवाओं में पर्याप्त निवेश के समर्थन की वकालत करने का आग्रह किया गया और कृषि–आधारित गतिविधियों जैसे पशुधन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, आदि के एकीकृत समाधान जैसे भंडारण/गोदाम, प्रसंस्करण, वित्तपोषण और विपणन को कृषि को प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

बजट में मॉडल कानूनों जैसे कि (i) मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (एलएलए), 2016; (ii) मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम (एपीएलएमए) 2017; और (iii) कृषि क्षेत्र को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से मॉडल कृषि उत्पादन और पशुधन संविदा खेती और सेवा अधिनियम (एपीएलसीएफएसए) 2018 के कार्यान्वयन की सुविधा देने का संकल्प लिया गया है। जबकि, एलएलए के कार्यान्वयन से उम्मीद है कि छोटे और सीमांत किसानों को कानूनी भूमि लीज़िंग प्रक्रियाओं के माध्यम से परिचालन होल्डिंग्स के आकार को बढ़ाने हेतु कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए, एपीएलएमए और एपीएलसीएफएसए बेहतर कीमत वसूली के लिए कृषि उद्योगों और निर्यातकों सहित थोक खरीद के साथ किसानों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे।

यह बाज़ार और मूल्य जोखिमों को भी समाप्त करेगा और कृषि उद्योगों को कच्चे माल की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही, फार्म–सहकारी समितियों और किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से अनुबंध खेती और सेवा अनुबंध का प्रचार सार्वजनिक और निजी प्रयासों से समेकित और संकलित रूप से करेगा। जबकि 100 जल–अभाव के ज़िलों पर ध्यान केंद्रित करने से खेत और गैर–कृषि गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जिससे 20 लाख स्टैंडअलोन सोलर पंपों और 15 लाख ऑन–ग्रिड सोलर पंपों की सुविधा उपलब्ध कराने से बंजर/परती/असिंचित ग्रामीण भूमि से अतिरिक्त कृषि आय उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।

उत्पादन, उत्पादकता, कृषि लाभ और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:

- कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर रु.15 लाख करोड़ करना।
- कृषि आधारित आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए अधिक सुविधा प्रदान करना जैसे पशुधन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन आदि।
- रासायनिक और जैव–आदानों के बीच एक अच्छा संतुलन लाना व बढ़ावा देना तथा पारंपरिक, जैविक और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
- कृषि और मत्स्य पालन में एफपीओ को बढ़ावा देकर ऑपरेशन ग्रीन पहल को मज़बूत करना।
- कृषि–भंडारण, शीतभंडार, रेफर वैन जैसी कृषि–लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना और वृद्धि।
- मौजूदा एग्री–लॉजिस्टिक्स की मैपिंग और जियो–टैगिंग और सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से तालुका–स्तर पर इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए व्यवहार्यता निधि सुनिश्चित करना;
- समुदाय–आधारित गांव भंडारगृहों के निर्माण और संचालन के माध्यम से किसानों की धारण क्षमता बढ़ाना और रसद लागत को कम करना।
- 'किसान रेल' और 'कृषि उड़ान' के माध्यम से एक राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण और रखरखाव; आसानी से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए वस्तु परिवहन को जोड़ने की सुविधा।
- जैविक खेती को बढ़ावा देना।
- ई–नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रसीदों को ई–नाम के साथ जोड़ना।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से चारा खेतों को विकसित करना ।
- सामूहिक प्रयास से मत्स्य पालन का विकास, उसे बढ़ावा देना और लाभदायक बनाना।
- वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना।

निष्कर्ष

चुनौतियों से बाहर आने और संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए, भारतीय कृषि क्षेत्र को उत्पादक, प्रतिस्पर्धी, विविध और टिकाऊ होना होगा। इस प्रकार, कृषि क्षेत्र ने पांच महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है– प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, कृषि उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना, परिष्कृत नीतियों के साथ अनुबंध खेती को मान्यता, फसल के नुकसान के लिए जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, लाखों कृषि परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ परंपरा का संयोजन (टीटी) कर सतत कृषि पद्धतियों (एसएपी) को विकसित करना। हाल के दिनों में कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान करने में किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों द्वारा निर्मित एफपीओ बेहतर निवेश सुधार, प्रौद्योगिकी तथा आदानों और बाजारों की चुनौतियों का समाधान करने में सबसे प्रभावी साधनों के रूप में उभरे हैं।

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट का 16 सूत्री एजेंडा समय की मांग है। इसमें अन्य बातों के साथ, बीमा कवरेज के माध्यम से कृषि में जोखिम को कम करना; कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में समय पर पर्याप्त, न्यायसंगत वित्तपोषण की सुविधा; एग्री–लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण; कृषि–आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना; सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सतत कृषि विज्ञान प्रथाओं को बढ़ावा देना; सौर ऊर्जा का उपयोग; किसान समूहों (एफपीओ तथा एसएचजी) के माध्यम से खेती का सामूहिकीकरण और बेहतर ग्रामीण आजीविका और रोज़गार के लिए मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों के अभिसरण पर बल देना शामिल है।

विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे ग्रामीण रोज़गार, ग्रामीण और कृषि बाज़ार सुधार/पुनरुद्धार/लिंकेज, कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत वसूली, गांवों को जोड़ने और फसल बीमा के व्यापक कवरेज में प्रस्तावित पहल और निवेशों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यक क्षमता है। यह सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी, ग्रामीण और कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण; ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, एएचडीएफ और एसीएफडब्ल्यू के मंत्रालयों/विभागों के योजनाबद्ध हस्तक्षेप को एकीकृत करने और अभिसरण के माध्यम से नवीन निवेश के अवसरों को सुनिश्चित करने का भी आह्वान करता है। हालांकि, वास्तविक चुनौती ग्रामीण/कृषि उद्यमों और स्टार्टअप के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी–तंत्र बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक जीवंत कृषि और गैर–कृषि वातावरण न केवल कृषि और ग्रामीण गतिविधियों को स्वीकार्य, व्यवहार्य और लाभदायक बना देगा, बल्कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

(लेखक वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई–मेल : **tripathy123@rediffmail.com**

फॉर्म–IV

कुरुक्षेत्र (हिंदी) मासिक पत्रिका का स्वामित्व तथा अन्य विवरण

(1) प्रकाशन का स्थान	:	नई दिल्ली
(2) प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
(3) मुद्रक का नाम	:	ईरा जोशी
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110003
(4) प्रकाशक का नाम	:	ईरा जोशी
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110003
(5) संपादक का नाम	:	ललिता खुराना
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 655 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110003
(6) उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व/हिस्सेदार हों	:	सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली–110001

मैं ईरा जोशी एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक : 15.02.2020

(ईरा जोशी)
प्रकाशक

केंद्रीय बजट 2020-21

स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए नए कदम

–डॉ. जगदीप सक्सेना

सरकार का संकल्प है कि देश में बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग, सभी स्वच्छ रहें, फिट रहें और निरोगी जीवन जियें। सभी को रोगों से सुरक्षा मिले, और फिर भी कभी कोई बीमारी घेर ले तो उसके इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। शहर हो या गांव, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित समुदाय को भी स्वास्थ्य सुविधाएं हर जगह सुलभ हों। स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच गहरे रिश्ते को देखते हुए पूरे देश में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक महत्वाकांक्षी मिशन के जरिए यह प्रयास भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर तक नल से साफ पानी पहुंचे।

स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। भारत सरकार 'सबके लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य को शीघ्र साकार करना चाह रही है। इसलिए इस वर्ष केंद्रीय बजट (2020–21) में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को मज़बूत करेंगे। साथ ही, पहले से जारी कुछ कार्यक्रमों को आवश्यक वित्तीय सहायता देकर अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने का प्रस्ताव भी है।

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए तर्कसंगत रूप से 'स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता' संबंधित प्रस्तावों को एक साथ, एक सूत्र में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य के प्रति भारत सरकार का एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसे निरंतर धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रति वर्ष इसके लिए आवश्यक बजट प्रावधान किए जाते हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बीमा योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के लिए 6,400 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। कुल बजट में से 65,011.8 करोड़ रुपये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; 2,122.08 करोड़ रुपये 'आयुष' मंत्रालय; और 2,100 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि बजट आवंटन में पिछले साल के मुकाबले सराहनीय वृद्धि की गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। सबसे अधिक, 10 प्रतिशत वृद्धि स्वास्थ्य में अनुसंधान के लिए की गई है, ताकि भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश के विकास में स्वास्थ्य को एक अहम् कड़ी मानती है।

रोगों से सुरक्षा

बजट प्रस्ताव में 'मिशन इंद्रधनुष' को 12 रोगों और पांच टीकों के लिए विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। सन् 2014

आरोग्यता, जल और स्वच्छता

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया।
- गैर–संचारी रोगों के विरुद्ध फिट इंडिया अभियान की शुरुआत।

- तपेदिक को 2025 तक समाप्त करने के लिए ''टीबी हारेगा देश जीतेगा'' अभियान की शुरुआत।

निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत कवरेज (लाख)

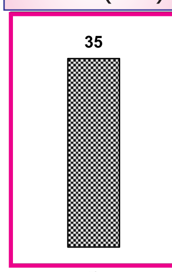

- पीपीपी मोड में अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन का प्रस्ताव।
- 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार।

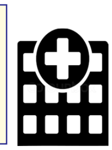

- ओडीएफ व्यवहार की वहनीयता हेतु ओडीएफ प्लस
- अपशिष्ट प्रबंधन के साथ तरल और धूसर जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।

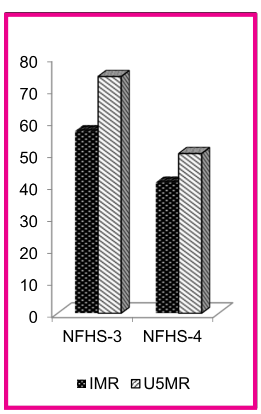

एसबीएम (करोड़)

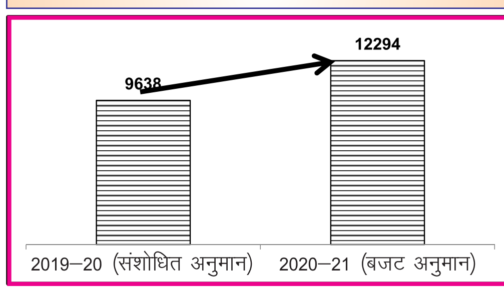

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

संयुक्त राष्ट्र ने रोगरोधी उपायों द्वारा सन् 2030 तक विश्व को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने सन् 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इसे पूरा करने के लिए भारत सरकार ने हाल में 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' नाम से व्यापक अभियान शुरू किया है। अनेक चिकित्सा उपायों और जागरूकता द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत टीबी के सभी रोगियों को, चाहे वो निजी अस्पतालों में हों या सरकारी अस्पतालों में, मुफ्त इलाज और देखरेख की सुविधा प्रदान की जाएगी।

में इस मिशन को शिशुओं के टीकाकरण द्वारा जानलेवा रोगों से बचाव के लिए शुरू किया गया था। अब तक इसके छह चरण पूरे हो चुके हैं, जिसके सार्थक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। सन् 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया और सन् 2015 में देश को मातृ एवं नवजात शिशु टिटेनस से मुक्ति मिल गई। मिशन इंद्रधुनष के अंतर्गत अब नौ रोगों के लिए राष्ट्रीय–स्तर पर टीका लगाया जाएगा। ये रोग हैं– डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, खसरा, र्यूबेला, उग्र शिशु तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और हीमीफिलस इंफ्लुएंजा टाइप बी द्वारा उत्पन्न होने वाला दिमागी बुखार तथा न्यूमोनिया। जबकि तीन रोगों (रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानीज़ एंकेफेलाइटिस) के लिए केवल इनके संक्रमण क्षेत्र में ही टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए कुल पांच टीके चुने गए हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग पहले केवल चुनिंदा राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब इन्हें राष्ट्रीय–स्तर पर लगाया जाएगा। ये टीके हैं– निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, मीज़ल्स रूबेला टीका, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और टिटनेस तथा वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन। हमारे देश में खराब जीवनशैली से उत्पन्न होने वाले रोगों, जैसे मधुमेह, दिल के रोग, जोड़ों का दर्द और घुटने खराब होना, की बढ़ती संभावनाओं के कारण इस बजट में 'फिट इंडिया' अभियान को मज़बूती देने की बात कही गई है। इस अभियान की शुरूआत प्रधानमंत्री ने पिछले साल की थी। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों से लेकर बड़ों तक में व्यायाम और खेलकूद के प्रति जागरूकता जगाना है। इसमें स्कूलों सहित देश की अनेक सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

तपेदिक या क्षयरोग (टीबी) का बढ़ता प्रकोप केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। इसलिए

सबको मिले स्वास्थ्य बीमा

भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये खर्च तक का इलाज मुफ्त दिया जाता है। यह बीमा कवर परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। इसके लिए गरीब और वंचित समुदाय के लगभग 10.74 करोड़ परिवार योग्य हैं, जिसके अंतर्गत वास्तविक लाभार्थियों की संख्या 50 करोड़ तक हो सकती है। अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले, अस्पताल से छुट्टी के 15 दिन बाद तक का दवाइयों, जांच आदि का खर्च भी बीमा में शामिल किया गया है। लेकिन बीमा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि रोगी किसी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में भर्ती हो। इसके लिए देश के लगभग 20,000 अस्पताल सूचीबद्ध

> "हमारा स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में एक सर्वांगीण दृष्टिकोण है जो सभी नागरिकों की तंदुरुस्ती में परिवर्तित होता है। टिटनेस, प्रौढ़ डिप्थेरिया, पोलियो, मिज़ल्स–रुबेला तथा रोटा वायरस की रोकथाम के लिए 5 नई वैक्सिनों सहित 12 बीमारियों को कवर करने के लिए इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है। **फिट इंडिया अभियान** जीवनशैली से उत्पन्न होने वाली गैर–संचारी बीमारियों का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वास्थ्य विज़न के समर्थन में एक अत्यंत केंद्रित सुरक्षित जल (जल जीवन मिशन) और व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम (स्वच्छ भारत मिशन) की शुरुआत की गई है। इससे गरीबों पर बीमारियों का बोझ कम होगा।"
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

हैं। लेकिन इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। इसलिए वित्तमंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में टीयर–2 और टीयर–3 शहरों में सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया है। इसके पहले चरण में देश के उन आकांक्षी ज़िलों में अस्पताल खोले जाएंगे, जहां अभी तक कोई भी सूचीबद्ध अस्पताल नहीं है। बता दें कि नीति आयोग ने कमज़ोर सामाजिक–आर्थिक विकास वाले ज़िलों को आकांक्षी ज़िले का नाम देकर इनमें विकास की गति तेज करने के दिशा–निर्देश जारी किए हैं। बजट प्रस्ताव के अनुसार आकांक्षी जिलों में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के माध्यम से वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था कर नए अस्पताल खोले जाएंगे। आयातित किए जाने वाले कुछ चिकित्सा उपकरणों में 5 प्रतिशत का उपकर (सेस) लगाया जाएगा, जिससे प्राप्त राशि को नए अस्पताल बनाने में खर्च किया जाएगा। इससे ना केवल स्वास्थ्य बीमा की सुलभता बढ़ेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके अलावा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की लगभग 6,500 परियोजनाओं में भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

बजट प्रस्ताव के शिक्षा संबंधी भाग में वित्तमंत्री ने देश में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों की कमी को संबोधित करने का प्रयास किया है। इसके लिए ज़िला अस्पतालों के साथ पीपीपी माध्यम से मेडिकल कॉलेज बनाने तथा संबद्ध करने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र को यदि अस्पताल की सुविधा मिल जाएगी तो नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना दर में वृद्धि होगी, ऐसा सरकार का मानना है, जो सही भी है। जो राज्य अस्पताल की सुविधाओं को मेडिकल कॉलेज के साथ साझा करने को तैयार होंगे और कॉलेज को रियायती दरों पर ज़मीन भी देंगे, उन्हें वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस योजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। उच्च मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले बड़े अस्पतालों को डिप्लोमा और फैलो ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी/एफएनबी) की स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी) प्रदान करने की मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव भी है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में विदेशों में अध्यापकों, नर्सों और पैरा–मेडिकल स्टॉफ की अच्छी मांग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय–स्तर के अनुरूप इनकी कुशलता में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय को साथ मिलकर इस दिशा में काम करने के लिए कहा। इसके लिए ब्रिज कोर्स या प्रशिक्षण पैकेज तैयार किए जा सकते हैं, जिनमें विदेशी भाषाओं को भी शामिल करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने सन् 2014 में 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र' नाम से एक योजना लागू की थी, जिसका उद्देश्य जनसाधारण को कम कीमत पर दवाएं तथा सर्जिकल्स उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत सरकारी एजेंसियों, स्वैच्छिक संगठनों, प्राइवेट अस्पतालों और ट्रस्टों, चिकित्सा से संबंधित संगठनों और संघों द्वारा 'जनऔषधि मेडिकल स्टोर' खोले जा सकते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा एक निश्चित वित्तीय सहायता तथा कुछ अन्य सरकारी रियायतें व सुविधाएं भी मिलती हैं। ये मेडिकल स्टोर महंगी और ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। परंतु ये दवाएं गुणवत्ता और प्रभावशीलता में ब्रांडेड दवाओं से कम नहीं होतीं। गरीब समुदाय को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने में जनऔषाधि मेडिकल स्टोर अहम् भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल इनकी संख्या सीमित है, इसलिए वित्तमंत्री ने सन् 2024 तक सभी ज़िलों में इनके प्रसार का प्रस्ताव किया है। यहां लगभग 2,000 दवाएं और 300 सर्जिकल्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाते हुए वित्तमंत्री ने रोगों की रोकथाम के उपायों में मशीन लर्निंग और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के समावेश को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।

> सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति करने के लक्ष्य से, प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से **जल जीवन मिशन** की घोषणा की थी। हमारी सरकार ने इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन किया है। यह मिशन स्थानीय जल स्रोतों को पुनःपोषित करने पर भी बल देता है और जल संचयन तथा विलवणीकरण को बढ़ावा देगा। वे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उन्हें चालू वर्ष में ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2020–21 के दौरान इस स्कीम को 11,500 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

स्वच्छता के साथ शुद्ध जल भी

भारत सरकार के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस वर्ष 12,300 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण को विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि देश के सभी, लगभग छह लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। यानी इन्होंने ओडीएस स्टेटस प्राप्त कर लिया है। अब चुनौती है शौच के लिए तैयार सुविधाओं के रखरखाव की और शौचालय में शौच करने के व्यवहार को सतत् बनाए रखने की। इसे 'ओडीएफ प्लस' कहा

गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम 'ओडीएफ प्लस' के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, ताकि स्वच्छता मानक सतत् रूप से बना रहे। उन्होंने व्यर्थ जल और मल–जल (सीवेज) के उचित प्रबंधन की दिशा में भी गहनता के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठोस कचरे को इकट्ठा करना, प्रबंधन के लिए उसे वर्गीकृत कर अलग–अलग करना और फिर उसका उपचार या प्रसंस्करण करना भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र है, जिस पर गंभीरता से सोचने और काम करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए साफ पानी की उपलब्धता आज भी एक बड़ी और गंभीर चुनौती है। देश के कुल 17.87 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.27 करोड़ (लगभग 18.33 प्रतिशत) घरों में ही नल से पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध है। बाकी सभी को कहीं बाहर स्थित स्रोत से पानी ढोकर लाना पड़ता है, कई बार यह दूरी कई कोस भी होती है। विशेष रूप से महिलाओं को इस कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने 'जल जीवन मिशन' नामक एक बड़ी योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य सन् 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसे **'हर घर नल'** अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार का कुल बजट 3.60 लाख करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2020–21 के लिए 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस अभियान के अंतर्गत गांवों में सामुदायिक भागीदारी से जल स्रोतों का विकास तथा बुनियादी संरचना का विकास तथा रखरखाव किया जाएगा। लक्ष्य यह है कि प्रत्येक परिवार को नल से कम से कम 55 लीटर साफ पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से उपलब्ध हो। साफ पानी की उपलब्धता निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार करेगी।

> "हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति वचनबद्ध है। इस स्कीम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन हुआ है। ओडीएफ व्यववहार बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे छूट न जाए। अब तरल और घूसर जल प्रबंधन की दिशा में कार्य किए जाने की और अधिक जरूरत है। कचरा इकट्ठा करने, इकट्ठा करने की जगह पर ही कचरे को अलग–अलग करने और उसको संसाधित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।"
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

स्वच्छ भारत मिशन

#जन–जन का बजट

- सरकार ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस के लिए प्रतिबद्ध है।
- ठोस अपशिष्ट संग्रह, स्रोत पर एकत्रण और शोधन पर फोकस
- 2020–21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए ₹ 12,300 करोड़
- सीवर प्रणाली या सेप्टिक टैंक की हाथों से न सफाई हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीक की बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता हेतु वित्तीय सहायता।

ताकि हवा साफ रहे

साफ पानी के साथ साफ हवा भी स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता चिंता का विषय बन गई। सरकार वित्तीय सहायता देकर ऐसे राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहती है, जो दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में साफ हवा के लिए कुछ ठोस उपाय अपनाना चाहते हैं। इस प्रयोजन से दी जाने वाली वित्तीय सहायता तथा लाभों का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंपी गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान इसके लिए 4,400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कोयले से चलने वाले पुराने बिजलीघरों से उत्पन्न होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण पर भी चिंता ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि जो पुराने बिजलीघर तय मानकों से अधिक प्रदूषण कर रहे हैं, उन्हें बंद करने की सिफारिश की जाएगी और इस तरह हासिल खाली ज़मीन का वैकल्पिक उपयोग किया जाएगा। वित्तमंत्री ने बताया कि भारत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति भी सजग और सतर्क है, तथा इस दिशा में किए गए अपने अंतर्राष्ट्रीय आश्वासनों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इन प्रयासों को सभी मंत्रालय तथा विभाग अपने सामान्य बजट से पूरा करेंगे। स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के सुधार के लिए नए कदमों, नए कार्यक्रमों से हम एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)

ई–मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण पुनरुत्थान

–डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

तीन टी, अर्थात् व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ग्रामीण आर्थिक विकास में एक सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। बजट 2020–21 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों पर सुस्पष्ट बल दिया गया है। इन तीनों में से प्रत्येक के संबंध में बजट में की गई घोषणाएं बड़े पैमाने की किफ़ायत, विशेषज्ञता का महत्व, समावेशी विकास तथा एकीकृत विकास की आवश्यकता और टेक्नोलॉजी के विकास का जनसांख्यिकीय लाभ के साथ संतुलन बैठाने की संभावना के महत्व को उजागर करती हैं।

व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी ग्रामीण आर्थिक विकास में सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। इसे देखते हुए बजट 2020–21 में इन तीनों पर ज़ोर दिया गया है।

व्यापार क्षमता का दोहन

व्यापार स्थानीय संसाधनों के कुशल और लाभकारी उपयोग में मदद करता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। मज़बूत व्यापार को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण घटक उत्पाद की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र और इसकी मांग करने वाले क्षेत्र के बीच सफलतापूर्वक सुगम संयोजन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए, बजट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर 'कृषि उड़ान' योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। व्यापार को बढ़ाने में एक और चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि पारगमन करते समय उत्पादों में कम से कम बदलाव आए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुमान से पता चलता है कि 2016 में ढुलाई के दौरान नुकसान के साथ फसल कटाई और कटाई उपरांत 93,000 करोड़ रुपये की एक बहुत बड़ी क्षति हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, कृषि उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में 12 प्रतिशत हिस्सा है। कृषि उत्पाद विशेष रूप से ख़राब होने वाले पदार्थों की गुणवत्ता को स्रोत से गंतव्य तक बनाए रखने के महत्व को समझते हुए बजट में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से 'किसान रेल' की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसमें दूध, मांस और मछली जैसे उत्पादों के लिए प्रशीतित डिब्बे होंगे।

'एक ज़िला एक उत्पाद' की घोषणा, यानी एक ज़िले द्वारा एक उत्पाद को अपनाना, निसंदेह क्षेत्र विशेष द्वारा खास उत्पाद के निर्यात में विशेषज्ञता के लिए एक प्रोत्साहन है। निर्माता पैमाने की किफायतों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो ऐसे उत्पादों के उत्पादन में संसाधनों को केंद्रित करके विकसित होती हैं।

3,477 सागर मित्र और 500 मछली उत्पादक संगठनों के माध्यम से मत्स्य विस्तार में युवाओं को शामिल करने का बजट का उद्देश्य मत्स्य निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। इस पहल से तटीय क्षेत्रों को विकसित करने का एक अतिरिक्त लाभ होगा जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए प्रभावी रूप से फायदेमंद होगा।

निर्यातकों की ऋण और धनवापसी आवश्यकताओं को समझते हुए, बजट ने 'निर्वीक' (निर्यात ऋण विकास योजना) तथा शुल्क और कर प्रत्यावर्तन योजना की शुरुआत की घोषणा की है। 'निर्वीक' के अंतर्गत अधिक बीमा कवरेज मिलेगी, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम घटाया जाएगा और दावों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा, जबकि दूसरी योजना के तहत केंद्रीय,

ध्यान रखने वाला समाज

महिला और बाल कल्याण

- 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए गए।
- मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और पोषण–स्तर सुधारने के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक कार्यबल गठित किया जाएगा।

संस्कृति और पर्यटन

- भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव।
- 5 पुरातात्विक स्थल दर्शनीय (आईकानिक) स्थलों के रूप में विकसित किए जाएंगे
- मुद्रा विषयक एवं व्यापार संबंधी एक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
- रांची में जनजातीय संग्रहालय।
- लोथल में समुद्री संग्रहालय की स्थापना।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- आपदा समुत्थान अवसंरचना सम्मेलन का सितंबर, 2019 में शुभारंभ
- 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों में अधिक स्वच्छ हवा के लिए योजनाएं लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन

पोषाहार संबंधी कार्यक्रम (₹ करोड़)

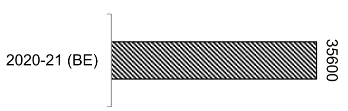

पर्यटन प्रोत्साहन (₹ करोड़)

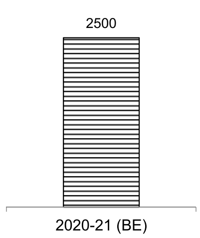

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

राज्य और स्थानीय–स्तरों पर लगाए गए शुल्कों और करों को डिजिटल रूप से लौटा दिया जाएगा, जैसे बिजली शुल्क और परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर वैट, जिस पर मौजूदा प्रणाली के तहत छूट नहीं मिलती या उसे वापस नहीं किया जाता है।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि यह माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि प्रत्येक ज़िले को 'निर्यात हब' के रूप में विकसित होना चाहिए। इसके कार्यान्वयन के लिए हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए ज़िला निर्यात योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्यात बढ़ाने के अलावा, इससे विशेषज्ञता, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और रोज़गार सृजन होगा।

पर्यटन को प्रोत्साहन

आर्थिक विकास के लिए किए गए उपाय प्रभावी रूप से उन नीतियों से जुड़ सकते हैं जिनका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन के बढ़ने से रोज़गार का सृजन होता है। पर्यटन आंकड़े – एक झलक, 2019 'में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या, जो कैलेंडर वर्ष 2017 में 1,00,35,803 थी, 2018 में बढ़कर 1,05,57,929 हो गई है। 2019 की पहली छमाही में, यानी जनवरी से जून तक, यह संख्या पहले ही 52,66,898 तक पहुंच चुकी थी। बजट में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई लाभकारी प्रस्ताव हैं। इनमें से एक भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होगा। इसके अलावा, पांच पुरातात्विक स्थल यानी हरियाणा में राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, असम में शिवसागर, गुजरात में धोलावीरा और तमिलनाडु में अदिचनल्लूर को प्रतिष्ठित स्थलों और ऑनसाइट संग्रहालयों के रूप में चुना गया है। बजट में मुद्राशास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय और चार अन्य संग्रहालयों की घोषणा की गई है जिनका नवीकरण और री–क्यूरेशन किया जाएगा। साथ ही, रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को सहायता दी जाएगी। जहाजरानी मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद के पास हड़प्पा युग के समुद्रतटीय स्थल लोथल में समुद्री संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता सुनिश्चित करने में बजट का समग्र दृष्टिकोण पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक आवश्यक अग्रगामी कदम है। पर्यटन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा एक और आवश्यकता है। बजट के अनुसार जल्द ही राष्ट्रीय रसद नीति की घोषणा की जाएगी। यह नीति सिंगल विंडो ई–लॉजिस्टिक बाज़ार बनाएगी और रोज़गार व कौशल के सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा, यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाएगी। बजट में राजमार्गों के त्वरित विकास के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसमें 2,500 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग; 9,000 किमी. के आर्थिक गलियारे; 2,000 किमी. तटीय और भूमि बंदरगाह, सड़कें और 2,000 किमी. सामरिक राजमार्ग शामिल हैं। इसमें रेलवे के लिए महत्वपूर्ण क़दमों की रूपरेखा भी है, जो देश में कुल माल का 40 प्रतिशत भाग ढोती है। इनमें से एक है तेजस जैसी और नई ट्रेनों से संबंधित घोषणा जो भारत के भीतरी इलाकों के मनोहारी पर्यटन स्थलों को जोड़ती हैं। लोगों के ग्रामीण भारत की यात्रा और उसका आनंद उठाने, जिसमें गंतव्य विवाहों (डेस्टिनेशन वेडिंग) की मेज़बानी भी शामिल है, के प्रति बढ़ते रुझान की पृष्ठभूमि में यह और भी अधिक महत्व रखता है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की पहलों से इसे और बढ़ावा मिला है।

प्रौद्योगिकी और एकीकृत विकास

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि और गैर–कृषि संबंधित गतिविधियों में प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की मौजूदगी बढ़ रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद,

रोज़गार और निर्यात में सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी–सक्षम सेवाओं का योगदान हाल के वर्षों में बढ़ रहा है। बजट का उद्देश्य ग्राम पंचायत–स्तर पर सभी सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, सरकारी स्कूलों, राशन की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। भारतनेट के माध्यम से फाइबर–टू–द–होम कनेक्शन प्राप्त करने का लक्ष्य है जो 2020–21 में 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा। इसके अलावा, बजट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समुद्री बंदरगाहों की दक्षता में सुधार करना चाहता है। इसके अलावा, बजट में एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाने का भी उल्लेख है जिसका लक्ष्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का निर्बाध अनुप्रयोग और उन्हें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना; आईपीआर के क्षेत्र में जटिलता और नवाचार पर काम करने के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस में एक केंद्र स्थापित करना; विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में 'नॉलेज ट्रांसलेशन कलस्टरों' की स्थापना; टेक्नोलॉजी क्लस्टरों की स्केलिंग; और राष्ट्रीय–स्तर की विज्ञान योजनाओं के माध्यम से भारत के आनुवांशिक परिदृश्य की मैपिंग करना है।

एक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा के महत्व से अधिक क्या हो सकता है! 9 फरवरी, 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति से ज्ञात होता है कि 2015–16 में देश में 18–23 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिशत के तौर पर उच्च शिक्षा में कुल भर्ती 24.5 प्रतिशत थी। समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के लिए और उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं रखने वालों के लिए बजट द्वारा गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। बजट में उन संस्थानों द्वारा डिग्री–स्तर के संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे में शीर्ष 100 में शामिल हैं।

उपरोक्त अनुच्छेदों में तीनों 'टी' से संबंधित बजट घोषणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, पर जब तीनों शीर्षों के तहत प्रत्येक घोषणा का करीबी अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि ये न केवल एक–दूसरे से जुड़ी हैं, बल्कि सर्वव्यापी भी हैं और इन तीन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी किसी न किसी तरह जुड़ी हैं। यह अपने आप में समावेशी विकास की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके अलावा, तीन 'टी' ने न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक ढांचे के भीतर विकास को गति दी। तीन 'टी' यानी व्यापार (ट्रेड), पर्यटन (टूरिस्म) और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) की वृद्धि के लिए बजट ने तीन 'ए' की हिमायत की है यानी सामर्थ्य (अफोरडेबिलिटी), उपलब्धता (अवेलेबिलिटी) और पहुंच (एक्सेसिबिलिटी)।

(लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा से संबद्ध हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई–मेल : igtripathy@gmail.com

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2020

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

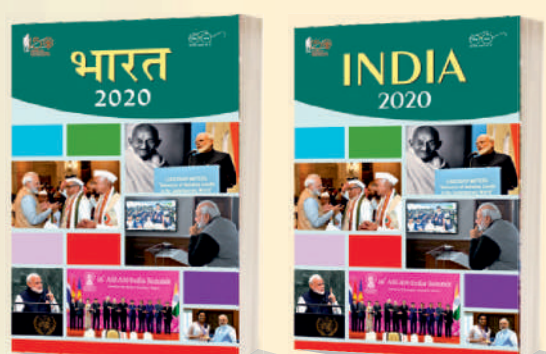

मूल्यः प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260, 24365610
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

युवाओं का कौशल विकास

–बनश्री पुरकायस्थ

बजट 2020–21 में भारत के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने का ही नहीं बल्कि उचित कौशल प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोज़गार की संभावनाएं निखारने का संकल्प भी दिखाई देता है जिससे भारत की युवाशक्ति अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होगी। बजट 2020 में कौशल विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सुधार, ग्रामीण एवं सामाजिक उद्यमशीलता तथा आजीविका की क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास और योजनाएं जारी रहेंगी।

अपनी युवा आबादी का भरपूर लाभ उठाने के लिए भारत को अपने श्रमबल को कौशल प्रदान कर सशक्त बनाने के रास्ते तलाशने होंगे ताकि उन्हें लंबे समय तक टिकने वाला रोज़गार हासिल करने में मदद मिल सके। 2020–21 के केंद्रीय बजट में कौशल विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सुधार, ग्रामीण एवं सामाजिक उद्यमशीलता तथा आजीविका पाने की क्षमता पर सरकार के ज़ोर को दोहराया गया है।

भारत अपनी युवा आबादी और डिजिटल कायाकल्प की दो नावों पर सवार होकर 5 ट्रिलियन (5 लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य साध रहा है। कार्यस्थल की बदलती तस्वीर के बीच कौशल विकास सबसे अहम हो गया है, जिसके लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को एक साथ आना होगा ताकि भारत के युवा को नए अवसरों का भरपूर फायदा उठाने लायक कौशल प्रदान करना सुनिश्चित हो सके। आज मौजूदा श्रमबल को नए सिरे से कुशल बनाने, पहली नौकरियों के लिए तैयार हो रहे युवाओं को प्रशिक्षण देने और पाठ्यक्रम को उद्योग की जरूरतों के मुताबिक ढालने तथा जुनून भरे शिक्षकों की मदद से ज्ञान प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थागत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने की ज़रूरत है ताकि कौशल की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर पाटा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की नई राह पर लाया जा सके।

आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यहां 60 करोड़ से अधिक लोगों की उम्र 25 वर्ष से कम है। देश की कामकाजी आबादी में से लगभग आधे (47 प्रतिशत) लोग वर्ष 2000 के बाद जन्मे हैं और अगले दस वर्ष तक भारत के श्रमबल में बड़ा हिस्सा इन्हीं का होगा। इनमें अधिकतर दूरदराज में रहते हैं, जहां कौशल प्रशिक्षण की सुविधा तथा आजीविका के अवसर बहुत सीमित हैं। लेकिन आबादी के इसी हिस्से से नई पहल करने वाले, नेता, निर्णयकर्ता, उद्यमी निकलेंगे तथा भारतीय श्रमशक्ति की रीढ़ बनेंगे। इसलिए ये ही अधिक संपन्न और अधिक मज़बूत 'नए' भारत के निर्माता होंगे और उसमें बदलाव

शिक्षा और कौशल

- लगभग 150 उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षुता संबद्ध पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी;
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नए इंजीनियरों को प्रशिक्षु अवसर;
- विदेश में रोजगार चाहने वालों की दक्षता में सुधार लाने हेतु विशेष।

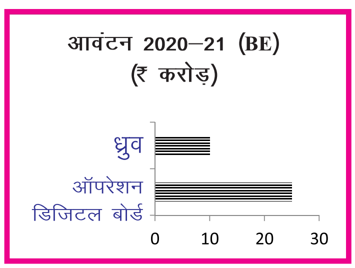

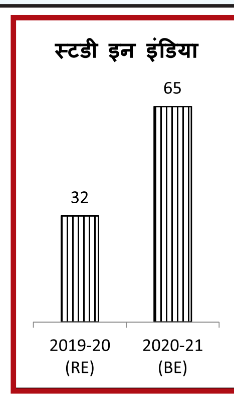

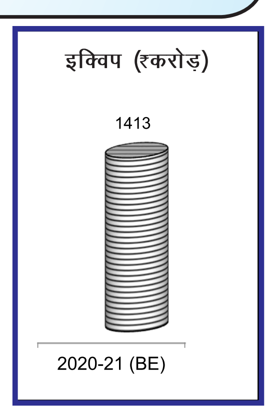

- समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए डिग्री–स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम।
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इन्ड–सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन।

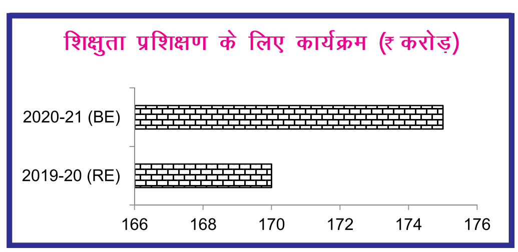

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21

लाएंगे। लेकिन इस युवा आबादी का भरपूर लाभ उठाने के लिए भारत को अपने श्रमबल को समुचित कौशल प्रदान कर सशक्त बनाने के तरीके तलाशने होंगे ताकि उन्हें रोज़गार हासिल करने में और उद्योग से आ रही मांग पूरी करने में मदद मिल सके। साथ ही, इससे वैश्विक रोज़गार बाज़ार को प्रतिभाएं प्रदान करने के अवसर भी लपके जा सकेंगे।

बजट में कौशल विकास के प्रस्ताव

बजट में भारत की युवा आबादी को रोज़गार के योग्य बनाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर खास ज़ोर दिया गया है और 2020–21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये एवं कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संसद में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, "2030 तक दुनिया में कामकाजी उम्र वाली सबसे बड़ी आबादी भारत के पास ही होगी। उन्हें साक्षरता की ही नहीं बल्कि नौकरी तथा जीवन के लिए जरूरी कौशलों की भी आवश्यकता है।"

मार्च 2020–21 तक लगभग 150 उच्च शिक्षा संस्थान अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षण) समेत डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे। इससे (सेवा और तकनीकी पाठ्यक्रमों की ही तरह) सामान्य पाठ्यक्रम के छात्रों की रोज़गार पाने की योग्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार एक कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें देशभर के स्थानीय नगर निकाय नए इंजीनियरों को एक वर्ष तक के लिए इंटर्नशिप के मौके देंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी बुनियादी ढांचे पर केंद्रित कौशल विकास के अवसरों पर खास ज़ोर देगी।

वित्तमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा होगी। प्रतिभा–संपन्न शिक्षकों को बुलाने, अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए बेहतर प्रयोगशालाएं तैयार करने के उद्देश्य से धन की अधिक आवक सुनिश्चित करने हेतु बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के उपाय भी किए जाएंगे।

समाज के वंचित तबकों के छात्रों और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा से वंचित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिग्री–स्तर के पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम आरंभ होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग प्रणाली में शीर्ष 100 स्थानों वाली संस्थाओं द्वारा ही चलाए जाएंगे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतरीन रहे।

आज भारत में विभिन्न देशों से हजारों छात्र आते हैं, जो स्नातक एवं परास्नातक स्तरों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्थाओं को चुनते हैं। भारत को उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा ठिकाना बनाने के उद्देश्य से बजट में घोषित "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत एशियाई एवं अफ्रीकन देशों में इंड–सैट आयोजित किया जाएगा ताकि भारत में उच्च–शिक्षा के केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले विदेशी उम्मीदवारों का प्रदर्शन मापा जा सके।

> "विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की अत्यधिक मांग है। हालांकि, कई बार उनका कौशल नियोजक के मानकों पर खरा नहीं उतरता है और इसलिए उनके कौशल को बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्वास्थ्य, मानव संसाधन, कौशल विकास मंत्रालय व्यावसायिक निकायों के साथ मिलकर विशेष ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करें और उनको मानकों के अनुरूप दक्ष बनाएं। विभिन्न देशों की भाषायी अपेक्षाओं का भी ख्याल रखे जाने की जरूरत है। यह सब विशेष प्रशिक्षण पैकेजों के माध्यम से हासिल किया जाना होगा। हमारी सरकार 2020–21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।"
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21**

योग्य चिकित्सकों की जरूरत पूरी करने के लिए पहले से चल रहे ज़िला अस्पताल में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के आधार पर मेडिकल कॉलेज चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए धन की कमी राज्यों द्वारा पूरी की जाएगी और वे मेडिकल कॉलेजों को अस्पताल की सुविधाओं का पूरा उपयोग करने देंगे तथा रियायती दर पर ज़मीन भी मुहैया कराएंगे। सरकार पर्याप्त क्षमता वाले बड़े अस्पतालों को प्रोत्साहित करेगी कि वे रेज़िडेंट डॉक्टरों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत डीएनबी या एफएनबी पाठ्यक्रम मुहैया कराएं। विदेशों में शिक्षकों, नर्सों और अर्ध–चिकित्साकर्मियों तथा देखभाल करने वालों की भारी मांग है। यदि उचित कौशल हो तो भारतीय रोज़गार के इन अवसरों को लपक सकते हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि नियोक्ताओं के मानकों के मुताबिक प्रशिक्षण देने तथा विभिन्न देशों की भाषा संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पेशेवर संस्थाओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय विशेष सेतु पाठ्यक्रम तैयार करेंगे।

पुलिस विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर–फोरेंसिक के क्षेत्र में बजट में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कानून प्रवर्तन बलों को तकनीकी योग्यता वाले विशेषज्ञों की मदद सुनिश्चित होगी और उम्मीदवारों को इन संस्थाओं में उच्च–स्तर का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित होगा।

ग्रामीण युवाओं को रोज़गार के योग्य बनाना

ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों की बात करें तो वर्तमान सरकार ग्रामीण आजीविका बढ़ाने वाले कार्यक्रमों पर ज़ोर देती आई है और विभिन्न मंत्रालयों के जरिए उन्हें लागू करती आई है। रोज़गार सृजन कर, आजीविका के अवसर बढ़ाकर, स्वरोज़गार को बढ़ावा देकर, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना चलाई हैं। कौशल प्रशिक्षण के मूल्यवर्धन के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सॉफ्ट स्किल (विशेष प्रकार के कौशल) भी शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत परियोजना चलाने वाली एजेंसी को परियोजना का पूरा खर्च सरकार से लेने के लिए कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोज़गार दिलाना होता है। वर्ष 2014–15 से दिसंबर, 2019 तक कुल 9.88 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और 6.01 लाख को रोज़गार मिल चुका है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के जरिए अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का संचालन कर रहा है। योजना के दो हिस्से हैं– एनएसडीसी द्वारा चलाया जा रहा केंद्र प्रायोजित एवं केंद्र के प्रबंधन वाला हिस्सा और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित एवं राज्य के प्रबंधन वाला हिस्सा।

एनएसडीसी ने क्षेत्र कौशल परिषदों की स्थापना में मदद की है, जो उद्योग द्वारा चलाई जा रही संस्था होती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि विभिन्न क्षेत्रों की कौशल संबंधी जरूरतें पूरी हों। योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को कौशल प्रदान करने की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और कृषि क्षेत्र कौशल परिषद के जरिए कृषि के लिए भी ऐसा किया जाता है। इस तरह ग्रामीण युवाओं को टिकाऊ रोज़गार पाने लायक जरूरी कौशल पाने में मदद की जाती है। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के तीन प्रकार के तरीके हैं: स्कूल/कॉलेज बीच में छोड़ने वालों और बेरोज़गार युवाओं को एकदम नए कौशल प्रदान करने के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी), पहले से मिले कौशल को पहचानने के लिए रेकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) और संवेदनशील समूहों की कौशल संबंधी ज़रूरतें पूरी करने एवं अल्पावधि प्रशिक्षण संपन्न कराने में लचीलापन बरतने के लिए विशेष परियोजनाएं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आरपीएल ने कुछ परियोजनाओं के जरिए सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से किसानों का कौशल उन्नयन किया है। कृषि क्षेत्र समेत 37 क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 2016 से 2020 के बीच कृषि क्षेत्र में 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पिछले तीन वर्षों में एनएसडीसी द्वारा मधुमक्खी पालन में 67 और पशुपालन में 60 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए हैं।

लाभार्थियों को पूरे भारत में डेयरी किसान, जैविक किसान, पुष्प कृषि विज्ञानी, बागवान और दाल किसान के रूप में रोज़गार मिल रहा है। माना यही जाता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) युवाओं को विनिर्माण उद्योगों में नौकरियों के लिए कौशल प्रदान करते हैं मगर तकनीकी नवाचारों के साथ कदम मिलाने के लिए अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट कृषि) और मृदा परीक्षण तथा फसल तकनीशियन जैसे कुछ नए पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं, जो ग्रामीण युवाओं तथा युवा किसानों के बहुत काम के हैं।

प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और अन्य प्रशिक्षण साझेदारों के जरिए एनएसडीसी पूरे भारत में रोज़गार मेले भी आयोजित करता है ताकि 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में रोज़गार ढूंढने वालों को नियोक्ताओं से मिलवाकर रोज़गार के मौके प्रदान किए जाएं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरण सूचना प्रणाली योजना के अंतर्गत जून, 2017 में देश के 9 जैव–भौगोलिक क्षेत्रों में 10 स्थानों पर हरित कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। प्रायोगिक आधार पर चलाए गए कार्यक्रम का मकसद युवाओं को पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में कौशल प्रदान करना तथा उन्हें लाभकारी रोज़गार या स्वरोज़गार के योग्य बनाना है। परीक्षण कार्यक्रम की सफलता को देखकर इसे पूरे भारत में आरंभ कर दिया गया और 2018–19 में प्रदूषण निगरानी (वायु/जल/मृदा), उत्सर्जन सूची (इमिशन इन्वेंटरी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट/कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट परिचालन, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन, जल की बजटिंग और ऑडिटिंग, बांस प्रबंधन एवं आजीविका सृजन जैसे अलग–अलग क्षेत्रों में 43 पाठ्यक्रम चलाए गए। 2018–19 में कुल मिलाकर देश के 87 स्थानों पर 135 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और 2315 युवाओं ने सफल प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ग्रामीण रोज़गार के लिए बजट

ग्रामीण आजीविका के लिए चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का 2020–21 के बजट में विशेष उल्लेख किया गया है और वित्तमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया है। आम बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाया गया है। इससे ग्रामीण आबादी का जीवन और भी आसान बनाने के सरकार के संकल्प तथा ग्रामीण गरीबी की समस्या को दूर करने के दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है।

2020–21 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1,20,147.91 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो 2019–20 के 1,17,647.19 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से

> “2030 तक, भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी। उनके लिए न सिर्फ साक्षरता आवश्यक है बल्कि उनको रोज़गार व जीवन कौशल की भी ज़रूरत है। इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्रियों, संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ शिक्षा नीति पर चर्चाएं की गई हैं। 2 लाख से अधिक सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी।”
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

अधिक है। ग्रामीण विकास विभाग राज्यों के साथ मिलकर कुछ बेहद अहम केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन करता है, जिनमें ग्रामीण रोज़गार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, सामाजिक सहायता एवं ग्रामीण महिला स्वयंसहायता समूह को प्रोत्साहन की योजनाएं शामिल हैं।

अत्यधिक गरीबी वाले 13 राज्यों में आर्थिक गतिविधियां तेज़ करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक कायाकल्प परियोजना आरंभ की गई है। परियोजना के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में क्लस्टर–स्तर के आदर्श महासंघ स्थापित करना, बड़े स्तर के किसान उत्पादक उद्यमों एवं किसान उत्पादक समूहों को बढ़ावा देना तथा सामूहिक गैर–कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना शामिल है।

केंद्रीय बजट में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव भी है। स्वयंसहायता समूहों की संख्या मौजूदा 58 लाख से बढ़कर 2023–24 तक 78 लाख होने की संभावना है। इनमें 8,10,000 समूह चालू वित्त वर्ष में बनाए जाएंगे। स्वयंसहायता समूहों को ग्राम कृषि भंडारण सुविधाएं स्थापित करने का मौका मिलेगा। ग्रामीण महिलाओं को ग्राम भंडारण योजना वाले स्वयंसहायता समूहों से जोड़ने पर उन्हें "धन लक्ष्मी" बनाने में मदद मिलेगी, जिससे महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय के मौके सृजित होंगे। ग्रामीण विकास विभाग का लक्ष्य महिला स्वयंसहायता समूहों के नैनो उद्यमों को सूक्ष्म उद्यमों में बदलना और उन्हें बैंकों से कर्ज दिलाना भी है। 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के जरिए युवाओं को मत्स्य–पालन विस्तार से जोड़ने का बजट प्रस्ताव भी विशेष रूप से तटवर्ती राज्यों में ग्रामीण रोज़गार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह, युवाओं को आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : banasree03@gmail.com

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

सामान्य अध्ययन

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) एथिक्स	श्री ए.के. अरुण भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) भारतीय राजव्यवस्था
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	श्री रीतेश आर जायसवाल सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे	एवं टीम

बैच प्रारम्भ

निःशुल्क कार्यशाला के साथ बैच प्रारम्भ 17 फरवरी सुबह 11:30 बजे

प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिये सामान्य अध्ययन की फीस मात्र ₹75000/- (जीएसटी सहित)

भूगोल (वैकल्पिक विषय) द्वारा- कुमार गौरव	इतिहास (वैकल्पिक विषय) द्वारा- अखिल मूर्ति

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पताः 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

ग्रामीण शिक्षा और बजट

–प्रो. सतीश कुमार यादव

सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए काफी प्रयास किए हैं परंतु ग्रामीण शिक्षा में सुधार लाने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। यह तब ही संभव होगा, जब शिक्षा में जीडीपी का 6 प्रतिशत निवेश हो जोकि शिक्षा आयोग ने 1966 में सुझाव दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोज़गार सृजन पर ध्यान देने सहित इंटरनेट की पहुंच में सुधार की ज़रूरत है। 'निष्ठा' जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 42 लाख अध्यापक व मुख्य अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शिक्षा व्यक्ति, समाज व देश के निर्माण और विकास में अहम भूमिका निभाती है। अगर बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हो तो उसके लिए ज़्यादा बजट के निवेश की आवश्यकता होती है इसीलिए बजट का स्थान और महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें न सिर्फ साक्षरता, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी पहचानना चाहिए और ज्ञान को हर बच्चे की बुनियादी जरूरत और मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब न्यायसंगत व उच्च–गुणवत्तापूर्ण प्रणाली में उचित निवेश किया जाए। इस संदर्भ में शिक्षा आयोग (1964–66) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा पर निवेश करने की सिफारिश की परंतु यह सिफारिश आज तक लागू नहीं हुई। 1968 की राष्ट्रीय नीति में भी यह परिकल्पित किया गया कि जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा में निवेश नहीं हुआ। सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति व 1992 में बने प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इस बात को दोहराया गया। अगर हम पिछले पांच वर्षों में देखें तो देश में शिक्षा पर निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के इर्द–गिर्द ही घुमता रहा। सन् 2017–18 के आर्थिक सर्वे के अनुसार शिक्षा पर निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत ही रहा। जबकि अन्य देशों के साथ तुलना करने पर पाया कि वहां शिक्षा पर निवेश काफी अधिक है। भारत में शिक्षा में कम बजट के निवेश की वजह से लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति जोकि ग्रामीण भारत में रहते हैं, वे विकास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस वर्ष सरकार ने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है जोकि पिछले वर्ष 94,853 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में 4,447 करोड़ रुपये ज्यादा दिए गए हैं। इस तरह बजट में 4.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये कौशल विकास हेतु आवंटित किए गए हैं। इस बजट में शिक्षा के विभिन्न प्रोग्रामों व योजनाओं को दिए गए बजट का विवरण आगे दिया गया है जोकि ज्यादातर ग्रामीण अंचल से संबंधित है। पहले भाग में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित कुछ मुख्य योजनाओं और दूसरे भाग में उच्च शिक्षा की योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट पर प्रकाश डाला गया है।

1. विद्यालयी शिक्षा

आज़ादी के बाद विशेषकर हमारे देश में विद्यालयी शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। सन् 1951 में 2,30,700 विद्यालय थे जो बढ़कर सन् 2020 में 15,22,346 लाख से ज्यादा हो गए हैं, यानी 1951 की तुलना में सात गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इन विद्यालयों में 25.1 करोड़ बच्चे प्राइमरी, मिडिल व हायर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अध्यापकों की संख्या मे भी काफी वृद्धि हुई है। लगभग 90 लाख अध्यापक देश के विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं जिनमें से 65 लाख अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस बजट में विद्यालयी शिक्षा हेतु 59,845 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, पिछले वर्ष 56,536.6 करोड़ रुपये दिए गए थे। यह राशि पिछले बजट से 3,304 करोड़ रुपये ज्यादा है और इसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रोग्राम व योजनाएं जिनका उद्देश्य पहुंच व शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है, में से कुछ मुख्य योजनाओं का वर्णन नीचे दिया गया है–

1.1 कौशल विकास

सन् 2030 तक भारत दुनिया का सबसे कार्यशील आयु वर्ग का देश होगा। ज़ाहिर तौर पर इन सभी को शिक्षा के अतिरिक्त

शिक्षा के माध्यम से रोज़गार को बढ़ावा

- 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए **₹99,300 करोड़** व कौशल विकास हेतु **₹3000 करोड़** आवंटित
- **नई शिक्षा नीति की होगी घोषणा,** राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव
- 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में मार्च 2021 तक **अपरेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत**
- स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत' एशियाई और अफ्रीकी देशों में **इन्ड-सैट आयोजित करने का प्रस्ताव**

जीवन कौशल व नौकरियों की आवश्यकता होगी। कृषि व अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे ज्यादा नौकरियां दी जा सकती हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल से ही इस प्रकार के प्रशिक्षण के साथ तैयार किया जाए ताकि स्कूली शिक्षा के बाद ही वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। शिक्षा के पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण के कार्यक्रम में जीवन कौशल को एकीकृत किया जाए। इन कार्यों को करने के लिए सरकार ने वर्तमान बजट मे 3,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है जोकि एक सराहनीय कदम है। लेकिन इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए ज़्यादा बजट की आवश्यकता होगी।

1.2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

सरकार ने अनुसूचित जनजातीय बच्चों की शिक्षा तक पहुंच के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्णक शिक्षा देना है। एकलव्य मॉडल आवासीय योजना पर 1,313.23 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है जोकि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ समाज की मुख्यधारा में लाने में सहायता करेगी।

1.3 जवाहर नवोदय विद्यालय

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार की पहल पर सन् 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों की योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई। तमिलनाडु को छोड़ कर देश के सभी राज्यों में कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त दी जाती है जोकि आवासीय होती है। इस समय लगभग 661 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। इनमें 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण विद्यार्थियों को आवंटित की गई हैं। इन विद्यालयों में 2,73,759 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार इन विद्यालयों में अधिकतर ग्रामीण बच्चे विशेषकर लड़कियां, अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धियां काफी संतोषजनक हैं। यह इस बात से साबित होता है कि 2018–19 में बारहवीं कक्षा का परिणाम 96.62 प्रतिशत रहा जोकि राष्ट्रीय–स्तर के परिणाम प्रतिशत से, जो 83.4 प्रतिशत था, अधिक रहा। इसके लिए बजट में 3,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लेकिन इन विद्यालयों को अधिक धन की आवश्यकता है क्योंकि 35 वर्ष पूर्व बने भवनों को मरम्मत, तकनीकी साधनों के रखरखाव तथा अन्य अकादमिक कार्यों पर खर्च की आवश्यकता होगी।

1.4 समग्र शिक्षा

यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना केंद्र द्वारा तीन योजनाओं–सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना का विलय करके बनाई गई है। यह स्कीम स्कूल–पूर्व कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के विकास के लिए सन् 2018 में बनाई गई। 2020–21 में इस स्कीम में 38,750 करोड़ रुपये का बजट में आवंटन किया गया है जोकि 2019–20 में 36,322 करोड़ रुपये था यानी बजट में 2,428.50 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई जोकि 6.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इस योजना के तहत विद्यालयी शिक्षा हेतु प्रस्तावित कुल बजट, जोकि 59,845 करोड़ रुपये हैं, उसमें से 38,750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जोकि स्कूल के कुल बजट का 64.75 प्रतिशत है। इस योजना के द्वारा स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुदृढ़ता, अतिरिक्त स्कूल खोलने, अतिरिक्त कक्षाओं को खोलने, शौचालयों का निर्माण इत्यादि किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। 'निष्ठा' कार्यक्रम के तहत सभी 42 लाख अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी इत्यादि के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा व शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।

1.5 मध्याह्न भोजन योजना

भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (एनपी–एनएसपीई) मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब, पिछड़े, दलित, ग्रामीण व वंचित वर्ग के लड़के व लड़कियों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना व विद्यालय में लाना था ताकि इन बच्चों की स्कूलों में संख्या बढ़ सके। इस स्कीम के लागू होने के बाद यह देखा गया कि इन बच्चों की वास्तव में प्राइमरी स्तर पर नामांकन व उपस्थिति की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। अक्टूबर 2007 में इस स्कीम का विस्तार किया गया और 3,479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में अपर प्राइमरी स्कूलों में (अर्थात कक्षा 6 से 8) को शामिल किया गया। इस स्कीम का नाम बदल कर 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' कर दिया गया था। इन बच्चों के लिए पौषणिक मानदंड 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन निश्चित किया गया। देशभर के सभी क्षेत्रों में एक अप्रैल 2008 से इस स्कीम का विस्तार किया गया। 2018–19 में इस स्कीम से लगभग 9.12 करोड़ बच्चे जोकि 11.35 लाख स्कूलों में पढ़ रहे थे, इससे

लाभान्वित हुए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रगति रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों का भी ज़िक्र किया गया है जैसे कि मध्याह्न भोजन को रोज़ाना स्कूलों में नहीं भेजना, भोजन परोसने में भेदभाव करना, भोजन की गुणवत्ता में कमी व साफ–सफाई पर ध्यान नहीं रखना इत्यादि। इस वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 11 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और पिछले वर्ष की तुलना में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई मगर बच्चों की लगातार स्कूलों में संख्या बढ़ना व खाद्यान्न पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए इस योजना में और बजट बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

1.6 डिजिटल तक पहुंच

देश के विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादातर ग्रामीण समुदाय शिक्षा में पिछड़े हुए हैं और आज भी वहां पर अध्यापकों की कमी है, पढ़ाने में पुरानी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षक व बच्चों का अनुपात भी ठीक नहीं है, पठन–पाठन सामग्री की इन क्षेत्रों में कमी है। इन सब चुनौतियों का सामना डिजिटल व इंटरनेट की सेवाओं से किया जा सकता है जिसका ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी तेज़ी से विस्तार हो रहा है जिसमें डिजिटल उत्पाद व उनके उपकरण एवं उनकी सेवाएं आसान रूप से उपलब्ध करायी जा रही हैं। इससे डिजिटल शिक्षा की नींव पड़ी है, जोकि अधिकतर जनता तक पहुंच रही है। इस समय डिजिटल शिक्षा की ओर समग्र व समर्पित पहल की आवश्यकता है जिसमें डिजिटल शिक्षा व स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी जोकि शहरी क्षेत्रों के बच्चों के बराबर होगी। इस बजट में सरकार ने कहा है कि सभी स्कूलों में डिजिटल कनेक्शन दिया जाएगा और इसका खर्च स्कूल शिक्षा के आवंटित बजट से वहन किया जाएगा। यह भारत सरकार का सराहनीय कदम है। सरकार ने और बहुत–सी डिजिटल संबंधित योजनाएं बनाई हैं, जिससे दूरदराज तक के सभी लोगों को लाभ होगा। यह योजना दूरदराज में रहने वाले बच्चों व अध्यापकों के लिए फायदेमंद होगी और वे 'स्वयं' के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

2. उच्च शिक्षा

हमारे देश में उच्च शिक्षा में भी आज़ादी के बाद काफी प्रगति हुई। इस दौरान बहुत से कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले गए और इन संस्थाओं में बच्चों के नामांकनों की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई। जैसे कि सन् 1991 में हमारे देश में केवल 184 विश्वविद्यालय थे जिनकी संख्या बढ़कर आज सन् 2020 में एक हज़ार से ज्यादा हो गई है जोकि पिछले वर्षों की तुलना में पांच गुना से ज्यादा है। इसी प्रकार कॉलेजों की संख्या भी 42,000 से ज्यादा हो गई है। सन् 2018–19 में इन संस्थाओं में ग्रोस इनरोलमेंट रेशो 26.3 प्रतिशत हो गया है और विद्यार्थियों के नामांकनों की संख्या 3.74 करोड़ हो गई है। (एआईएसएचई, एमएचआरडी, 2019) अगर हम दूसरे देशों के साथ तुलना करें तो हमारी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो काफी कम है। उदाहरण के तौर पर चीन में 48 प्रतिशत, यूएसए में 86.7 प्रतिशत और यूनाइटेड किंगडम में 56.5 प्रतिशत है। जबकि इन सबको देखते हुए ड्राफ्ट पॉलिसी में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो सन् 2035 तक 50 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया गया है। इस बजट मे उच्च शिक्षा के लिए 38,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि पिछले वर्ष की तुलना मे 2.99 प्रतिशत ज्यादा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी 4,693.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कुछ मुख्य योजनाओं का वर्णन निम्नलिखित है–

> “ यह महसूस किया गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रतिभाशाली शिक्षकों, अभिनव परिवर्तन, बेहतर प्रयोगशालाओं की और अधिक आवश्यकता है और इसके लिए जाहिर है अधिक पैसों की आवश्यकता है। विदेशी वाणिज्यिक ऋणों, कार्मिक और यहां तक कि एफडीआई सोर्सिंग को समर्थकारी बनाने के कदम उठाए जाएंगे ताकि अधिक गुणत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। ”
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020**

2.1 आल इंडिया काउंसिल फॉर टैकनिकल एजुकेशन (एआईसीटीई)

हमारे देश में लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थियों का झुकाव केवल अकादमिक ज्ञान अर्जित करने पर ही है, जबकि 90 प्रतिशत रोज़गार व नौकरियों के लिए विद्यार्थियों को कौशल विकास व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना के साथ इन संस्थाओं का लिंक किया है, ताकि बच्चे कौशल विकास और तकनीकी ज्ञान की ओर आकर्षित और प्रेरित हो सकें। इस बजट में सरकार ने भविष्य में सम्भावित चुनौतियों का सामना करने के लिए पहल की है। 5,109.20 करोड़ रुपये एआईसीटीई को इन संस्थानों के सुधार हेतु बजट में आवंटित किए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का बजट भी पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत ज्यादा दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे इन संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारतीय युवाओं को रोज़गार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

2.2 भारत में अध्ययन योजना (स्टडी इन इंडिया)

सरकार ने हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी प्रतिभाशाली छात्रों और संकाय को लाने के लिए स्टडी इन इंडिया (भारत में अध्ययन) कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रस्तावित किया है। इसके लिए शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लागू करने और बाहरी वाणिज्यिक उधारी खींचने के उपाय किए जाएंगे ताकि भारत उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्य बन जाए। इसलिए, अपने "भारत में अध्ययन" कार्यक्रम के तहत, एशियाई और अफ्रीकी देशों में इंड–सैट परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इसका उपयोग भारतीय उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों को बेंचमार्क करने के लिए किया जाएगा। सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए बाहरी उधारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्ग के माध्यम से

> समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों तथा साथ ही जिनके पास उच्चतर शिक्षा की पहुंच नहीं है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, डिग्री स्तर का संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव है। यह शिक्षा कार्यक्रम केवल उन्हीं संस्थानों में उपलब्ध होगा जो राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग रूपरेखा में शीर्ष 100 में आते हैं। शुरुआत में, ऐसे कुछ ही संस्थानों से इन कार्यक्रमों की पेशकश की जाएगी।
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21**

भारतीय संस्थानों को भागीदार बनाने के लिए दरवाजे खोलने का प्रस्ताव किया है, लेकिन उन्हें देश में पूर्ण परिसर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कई भारतीय छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश जा रहे हैं। फिलहाल 20 उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय–स्तर का बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इस प्रयास से भारतीय छात्रों का पढ़ाई के लिए विदेश जाना बंद हो जाएगा और आय का स्रोत भी पैदा होगा। करीब साढ़े सात लाख छात्र पढ़ाई के लिए हर साल विदेश जाते हैं और करीब 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करते हैं जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए आवंटित 38,000 करोड़ रुपये के बजट से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त इस बजट में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और साइबर फोरेंसिक भी खोलने का प्रस्ताव है।

2.3 ऑनलाइन कोर्स

विदेशों में शिक्षकों, नर्सो, पैरा मेडिकल स्टाफ और देखभाल देने वालों की भारी मांग है। हालांकि, उनके कौशल सेट, कई बार नियोक्ता के मानकों से मेल नहीं खाते हैं और इसलिए सुधार की जरूरत है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रणाली का अभाव और पाठ्यक्रम शुल्कों का अधिक बोझ, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में; गरीबों, ग्रामीण, लड़कियों और वंचित वर्गों को शिक्षा प्रणाली से बाहर धकेल देते हैं। सरकार ने बजट में घोषणा की कि 150 उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे जोकि अप्रेंटिसशिप–एम्बेडेड डिग्री या डिप्लोमा कोर्स मार्च 2021 तक शुरू कर देंगे। पूर्ण ऑनलाइन डिग्री–स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे में शीर्ष 100 के भीतर स्थान पर रहने वाले संस्थानों द्वारा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालयों, कौशल विकास मंत्रालयों द्वारा समानता लाने के लिए पेशेवर निकायों के साथ मिलकर विशेष ब्रिज कोर्स तैयार किए जाएंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल खोलने का प्रस्ताव रखा है। 38,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन से निश्चित रूप से बेहतर बुनियादी ढांचे, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का आकर्षण और विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महान अनुसंधान और नवविचारों का नेतृत्व होगा।

2.4 मेडिकल कॉलेज

हमारे देश में योग्य चिकित्सा व सामान्य चिकित्सकों के साथ–साथ विशेषज्ञों, दोनों की कमी है। बजट में पीपीपी मोड में मौजूदा ज़िला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज को साथ खोलने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष ब्रिज कोर्स तैयार किए जाएंगे। सरकार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तहत रेज़िडेंट डॉक्टरों डीएनबी/एफएनबी कोर्सो की पेशकश करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले बड़े अस्पतालों को प्रोत्साहित करेगी।

2.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति

भारत सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। श्री के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नीति का मसौदा 2019 में लाया गया। इसमें प्री–प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक कई सिफारिशें की गई हैं। शिक्षा के नए प्रारूप (5+3+3+4) के बारे में सुझाव दिया गया है। अनिवार्य प्री–प्राइमरी स्तर, चार वर्ष का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कोर्स प्रस्तावित करने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना जैसे कई नए कार्यक्रमों और नीतियों की भी सिफारिश की गई है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में यह भी सिफारिश की जानी है कि 2030 तक सरकारी खर्च का 20 फीसदी तक शिक्षा की ओर जाना चाहिए। शिक्षा नीति की सिफारिशों को यदि सरकार लागू करेगी, तो इसको क्रियान्वित करने हेतु और अधिक बजट की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

सरकार ने वर्ष 2020–21 के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये प्रदान किए है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट का अलग से आवंटन नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई से पैठ बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार के विशेष फोकस, प्रयासों और समर्थन की आवश्यकता है। यह समय है कि हमें न सिर्फ साक्षरता, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी पहचानना चाहिए और ज्ञान को हर बच्चे की बुनियादी जरूरत और मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना चाहिए।

शिक्षा बजट 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोज़गार सृजन पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, पर्याप्त संख्या में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, योग्य शिक्षक और संकाय प्रदान किए जाएं; स्कूलों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षण सामग्री, पुस्तकें और अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए; बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; साथ ही, अनुसंधान और नव–विचारों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच में सुधार की जरूरत है। 'निष्ठा' जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 42 लाख अध्यापक व मुख्य अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(लेखक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के अध्यापक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं।)

ई–मेल: writetosatish51@gmail.com

महिला और बाल विकास एवं पोषण

–डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी

ये बजट नए आत्मविश्वासी भारत के निर्माण का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है और यह आने वाले वर्षों में देश को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाएगा। बजट में सभी वर्गों के कल्याण व विकास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित है; इसमें किसानों, शिक्षा, महिला एवं बाल–स्वास्थ्य व पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार की लोक–कल्याणकारी विकास योजनाओं से रोज़गार पैदा होंगे। परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 में जीडीपी वृद्धि दर 10 फीसदी रहने का अनुमान है। अतः इसे इस दशक (2020–2030) का 'आधार बजट' कहा जा सकता है।

इस दशक के पहले बजट में दूरदर्शिता एवं कार्ययोजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा है और नए सुधारों का ऐलान किया गया है जो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ–साथ इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का कार्य करने में मददगार होगा। ये बजट नए आत्मविश्वासी भारत के निर्माण का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है और यह आने वाले वर्षों में देश को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाएगा। बजट में सभी वर्गों के कल्याण व विकास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित है। इसमें किसानों, शिक्षा, महिला एवं बाल स्वास्थ्य व पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार की लोक–कल्याणकारी विकास योजनाओं से रोज़गार पैदा होंगे। परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 10 फीसदी रहने का अनुमान है। अतः इसे इस दशक (2020–2030) का 'आधार बजट' कहा जा सकता है।

बजट में महिला एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण

वित्त वर्ष 2020–21 में पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, 28,600 करोड़ रुपये मात्र महिलाओं पर आधारित कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे। महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु की सिफारिश करने के लिए भी एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति से महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध हो रहे है; वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और अपने कॅरियर को संवार सकती हैं। इसीलिए लड़कियों के मां बनने के उम्र संबंधी पूरे मामले को नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है।

> "वर्ष 1929 के शारदा अधिनियम में संशोधन करते हुए 1978 में महिलाओं के विवाह की आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष से 18 वर्ष की गई। जैसे–जैसे भारत तरक्की कर रहा है, महिलाओं के शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बन रहे हैं। महिला मातृत्व दर में कमी लाना तथा पोषण के स्तरों में सुधार लाना अनिवार्य है। मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिका की आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दे को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। मैं एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं जो अपनी अनुशंसाएं छह माह की समयावधि में देगा। मैं वित्तवर्ष 2020–21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करती हूं। महिलाओं के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए इस बजट से महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।"
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21**

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। देश और दुनिया में बेटियों को बचाने की दिशा में भरसक प्रयास हो रहे हैं और कहीं–कहीं उसने जनांदोलनों का रूप ले लिया है खासकर भारत जैसे देशों में, जहां बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्याएं होती रही हैं। हालांकि अभी भी इस तरह के अक्षम्य अपराध चोरी–छिपे कहीं–कहीं हो रहे हैं। लेकिन अब इस पर शनैः–शनैः नियंत्रण होता जा रहा है, क्योंकि एक तो

> बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के आश्चर्यजनक रूप से सुखद नतीजे देखने को मिले हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों से अधिक है। प्रारंभिक–स्तर पर यह अनुपात 94.32 प्रतिशत, जबकि लड़कों के लिए 89.28 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर पर यह अनुपात 78 प्रतिशत की तुलना में 81.32 प्रतिशत है, उच्च माध्यमिक–स्तर पर लड़कों के 57.54 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों का अनुपात 59.70 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
>
> **स्रोत : केंद्रीय बजट 2020–21**

केंद्र और राज्य सरकारों ने कड़े कानून–नियम बनाए हैं, जिनकी गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। दूसरा, हमारा मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों) इतना चौकस हो गया है कि उसकी नज़र से बचना अब बड़ा मुश्किल है। और तीसरा, हमारे समाज की बेटियों के प्रति बदलती मानसिकता। यह जो जागरूकता आई है, उसने वास्तव में बेटियों की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी हैं। अब 'बेटियां बोझ हैं' के बजाय ***'बेटी है तो कल है'*** कहा जाने लगा है। बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ भी जुड़ गया है। और यह नारा ऐसा चल निकला कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। शिशु लिंग अनुपात के आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं।

पोषण संबंधी कार्यक्रम

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य से तय होती है और स्वस्थ नागरिक से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए केंद्र सरकार पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगातार जुटी हुई है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य 2022 तक भारत को 'कुपोषण मुक्त' देश बनाना है। अपितु पोषण ही स्वास्थ्य एवं समग्र विकास का मूलाधार है। पोषण का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न कारणों से भारतीय समाज में पोषण एवं स्वास्थ्य का संकट विद्यमान है। कुपोषण को चिकित्सीय आपात स्थिति के रूप में देखने की जरूरत है। यह एक ऐसा विशेष चक्र है, जिसके चंगुल में बच्चे अपनी मां के गर्भ में ही फंस जाते हैं और इससे जच्चा–बच्चा दोनों प्रभावित होते हैं। यह जन्म या उससे भी पहले शुरू होता है और छह माह से तीन वर्ष की अवधि में तीव्रता से बढ़ता है। परिणामस्वरूप वृद्धि–बाधिता, मृत्यु, कम–दक्षता और 15 अंक तक बुद्धिलब्धि का नुकसान होता है। फलतः कुपोषण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। निर्धनता सहित अपर्याप्त भोजन की खपत, भोजन का असमान वितरण, मातृ–शिशु एवं बच्चे की अनुचित देखभाल, असमानता और लैंगिक असंतुलन, साफ–सफाई का अभाव और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच आदि, इसके प्रमुख कारण हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत् कुपोषण से मुक्ति के लिए व्यापक–स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

वित्तमंत्री ने कहा कि माता और बच्चे का स्वास्थ्य घनिष्ठ रूप से सह–संबद्ध हैं। पोषण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक है। वित्तमंत्री ने बच्चों (0–6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणत्मक स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि वर्ष 2017–18 में शुरू किया गया 'पोषण अभियान' इस दिशा में एक बड़ा कदम है।

10 करोड़ से अधिक परिवारों की पोषणात्मक स्थिति को अपलोड करने के लिए छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए गए हैं जोकि अभूतपूर्व है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 30,007 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष से 3822 करोड़ रुपये (14 प्रतिशत) अधिक हैं। इसमें से 20,532.38 करोड़ रुपये आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु हैं। पोषण अभियान के तहत 0–6 उम्र के बच्चों में स्टंटिंग को 2022 तक 38.4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए बजट में 3400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष से 300 करोड़ रुपये अधिक है।

प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के लिए बजट आवंटन 2500 करोड़ रुपये है जोकि पिछले वर्ष से 200 करोड़ रुपये अधिक है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 6000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।

समेकित बाल सेवा कार्यक्रम के तहत बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन 1500 करोड़ रुपये है जोकि पिछले वर्ष से 150 करोड़ रुपये अधिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए 220 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महिला शक्ति केंद्र के लिए बजट आवंटन 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण हेतु कुल बजट पिछले वर्ष आवंटित 961 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1163 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

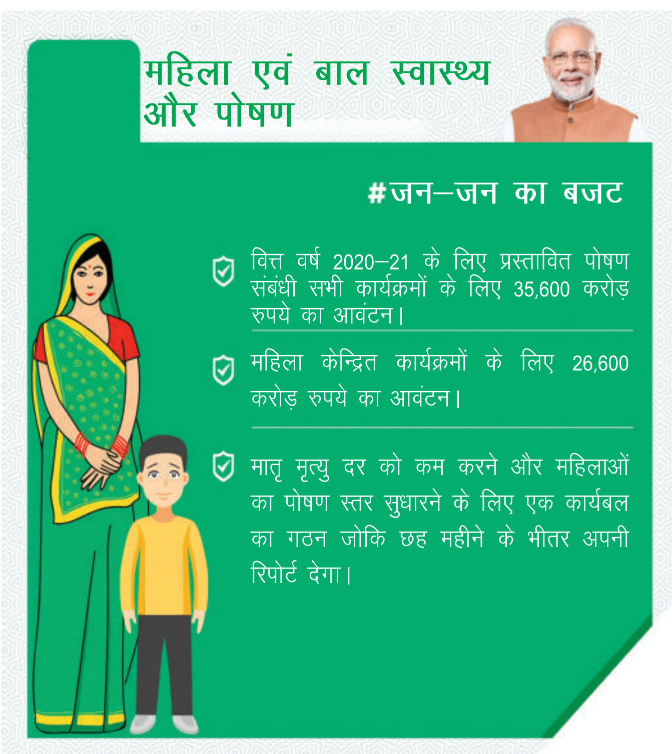

सामाजिक कल्याण

सिर पर मैला ढोने की प्रथा के बारे में वित्तमंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार कृत संकल्प है कि सीवर प्रणाली या सेप्टिक टैंक की सफाई का काम हाथ से नहीं किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान की है। यह मंत्रालय इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य कर रहा है।' उन्होंने इसे विधायी एवं संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से तार्किक निर्णय पर ले जाने का प्रस्ताव दिया। वित्तमंत्री ने अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में वर्ष 2020–21 के लिए 85,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव दिया। बजट प्रस्ताव में श्रीमती सीतारमण ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान 53,700 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने वर्ष 2020–21 के लिए बजट में 9500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया।

संक्षेप में, इस बजट में न केवल महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण पर ज़ोर दिया गया है। साथ ही, पिछड़े, कमज़ोर, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की समस्याओं के निवारण हेतु पर्याप्त बजट का आवंटन किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बजट से समाज कल्याण के व्यापक लक्ष्य को साधने और ज़िम्मेदार समाज की अवधारणा को वास्तविक रूप देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

(लेखक एम.बी. कॉलेज, आरा, (बिहार) में सहायक प्रोफेसर हैं।)
ई–मेल : krishna.nipccd@gmail.com

इंडिया/भारत 2020 का लोकार्पण

केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया/भारत 2020 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा, "यह पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले लोगों सहित सभी के लिए संपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है"। उन्होंने इसके प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संदर्भ ग्रंथ एक परम्परा बन गया है और इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है।

इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने प्रकाशन का ई–संस्करण भी जारी किया। ई–संस्करण टैबलेट, कंप्यूटरों, ई–रीडर्स तथा स्मार्ट फोन पर एक्सेस किया जा सकता है। ई–बुक तकनीकी रूप से सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है और मुद्रित संस्करण की विश्वसनीय प्रतिकृति है। ई–इंडिया में बेहतर संप्रेक्षण के लिए कई रीडर फ्रेंडली सुविधाएं हैं, जैसे हाईपरलिंक, हाईलाइटिंग, बुकमार्किंग तथा इंटरएक्टिविटी।

इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है और ई–बुक 225 रुपये में उपलब्ध होगी। यह पुस्तक निम्नलिखित लिंक पर प्रकाशन विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है।

https://www.publicationsdivision.nic.in/index.php?route=product/pbook

इसे एमेज़ान और गूगल प्ले स्टोर से भी खरीदा जा सकता है।

पुस्तक के बारे में जानकारी

द रिफरेंस एनुअल 'इंडिया' एवं संदर्भ ग्रंथ 'भारत'–2020 में वर्ष के दौरान भारत और इसके विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की गतिविधियों, प्रगति और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत और व्यापक जानकारी उपलब्ध है। यह संकलन का 64 वां संस्करण है। इंडिया/भारत 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग और न्यू मीडिया विंग द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। यह विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के आकांक्षी प्रतियोगियों के लिए एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक प्रकाशन है।

इस पुस्तक में ग्रामीण से शहरी, उद्योग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानव संसाधन विकास तक देश के विकास के सभी पहलुओं का विवरण है। यह संग्रह वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक प्रदान करता है। वर्षों से इसने शोधकर्ताओं, योजनाकारों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, मीडिया पेशेवरों और साथ ही रोज़गार खोजने वालों में एक गौरवपूर्ण स्थान अर्जित किया है।

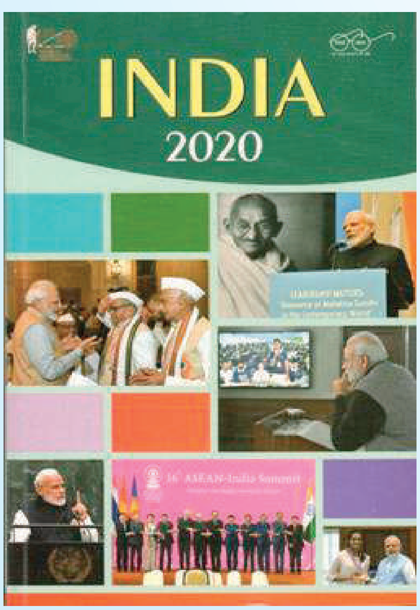

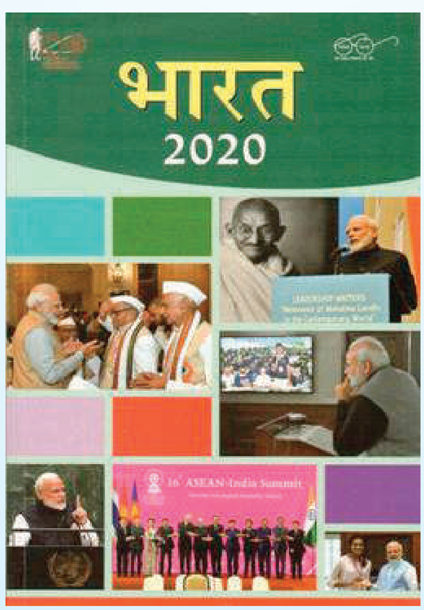

प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व के विषयों, भारत की समृद्ध संस्कृति और साहित्यिक विरासत को दर्शाती पुस्तकों और पत्रिकाओं का भंडार है। पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशन विभाग ने साहित्य एवं साहित्यिक हस्तियों के साथ–साथ विभिन्न विषयों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया है।

प्रकाशन विभाग में 2000 से अधिक डिजिटल पुस्तकें हैं। वर्तमान में डिजिटल अभिलेखागार में 2185 से अधिक पुस्तकों का भंडार है। इनमें से 405 ई–पुस्तकों को एमेज़ान और गूगल प्ले जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बिक्री के लिए रखा गया था। ई–पुस्तकों की 35,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। ❑

स्रोत : पीआईबी

BYJU'S The Learning App | IAS

INDIA's #1 INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION

आईएएस 2018 में श्रेष्ठ परिणाम

टॉप 50 में 11 चयन | टॉप 100 में 28 चयन | संपूर्ण परिणाम में कुल 183 चयन

BYJU'S का Tablet कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है

वीडियो पाठ्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम में उल्लेखित सभी विषयों /अध्यायों /मुद्दों से सुसज्जित 500 से अधिक घंटे के वीडियो व्याख्यान

छात्र पोर्टल
साप्ताहिक वेबिनार , चर्चित मुद्दे , समसामयिकी पत्र /पत्रिका और प्रैक्टिस सेट का रिकार्डेड सत्र उपलब्ध

नियमित टेस्ट
आपके ज्ञान उन्नयन के मूल्यांकन हेतु पाक्षिक टेस्ट सीरीज जिसमें छात्र के प्रदर्शन का विश्लेषण भी सम्मिलित है

समसामयिकी वेबिनार
पुनरीक्षण नोट्स के साथ समसामयिकी पर चर्चा हेतु साप्ताहिक लाइव क्लासेस

विस्तृत पाठ्य सामग्री
भारतीय राजव्यवस्था (लक्ष्मीकांत), भारत का प्राचीन इतिहास (राम शरण शर्मा) आधुनिक भारत का इतिहास (बिपिन चंद्र), नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, एवं अभिवृत्ति (जी सुब्बाराव) तथा 16 अन्य पुस्तकें

नियमित मूल्यांकन
परीक्षा लेखन कौशल और ज्ञान का नियमित मूल्यांकन (वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ), प्रश्न पत्र चर्चा, उत्तर और उत्तर लेखन रणनीति के व्यक्तिगत विश्लेषण द्वारा संवर्धन

मेंटर सपोर्ट
हमारे मेंटर द्वारा व्यक्तिगत सुझाव और निर्देश

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

- द हिन्दू समाचार पत्र पर आधारित दैनिक समाचार विश्लेषण
- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रवीणता हासिल करने हेतु अभ्यास
- मुख्य परीक्षा पश्चात् साक्षात्कार हेतु मार्गदर्शन

आईएएस टेबलेट कार्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध

BYJU'S के निशुल्क IAS Scholarship test

में भाग लें और **IAS Tablet course** पर **100% SCHOLARSHIP** प्राप्त करें ।

edu.byjus.com/scholarship पर जाएं या QR कोड स्कैन करें।
निशुल्क पंजीकरण करने के लिए कोड **BYJUSHETRA** का उपयोग करें।

BYJU'S The Learning App
Google play | App Store

हमारे कोर्स विशेषज्ञ के साथ सत्र के लिए संपर्क करे
9880031619

उपलब्ध कार्यक्रम
Class 4-12 | JEE | NEET | IAS

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
01 मार्च, 2020 को प्रकाशित एवं 5-6 मार्च, 2020 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दिल्ली शाखा

सामान्य अध्ययन

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच का प्रारंभ

24 मार्च
शाम 6:30 बजे

अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले ही स्थान आरक्षित कराएँ।

प्रयागराज शाखा

सामान्य अध्ययन

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच का प्रारंभ

5 फरवरी
प्रातः 11:15 बजे

अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले ही स्थान आरक्षित कराएँ।

करेंट अफेयर्स क्रैश कोर्स

आरंभ

20 मार्च (क्लासरूम कार्यक्रम) | 30 मार्च (ऑनलाइन कार्यक्रम)

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध | कुल 35-40 कक्षाएँ (लगभग 120 घंटे)

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 8750187501

प्रकाशक और मुद्रक: ईरा जोशी, प्रधान महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना